



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072026-273977
CG-DL-E-01072026-273977

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 24, 2026/आषाढ 3, 1948

No. 177]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 24, 2026/ASHADHA 3, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

प्रकटीकरण निवेदन

नई दिल्ली, 24 जून, 2026

केस सं.: एडी (ओआई)-10/2025

विषय: चीन जनवादी गणराज्य (चीन पीआर), यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य तथा थाईलैंड से उत्पन्न अथवा निर्यातित "एन -(1,3 डाइमिथाइलब्यूटिल)- एन-फेनिल- पी -फेनिलीनडायमीन (जिसे पीएक्स-13 के नाम से भी जाना जाता है)" के आयातों से संबंधित एंटी-डंपिंग जांच।

फा. सं. 6/10/2025-डीजीटीआर.— समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) तथा उसके अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (डंप किए गए लेखों पर एंटी-डंपिंग शुल्क का अभिज्ञान, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण) नियम, 1995 (जिसे आगे "एंटी-डंपिंग नियम" या "नियम" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, —

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. एनओसीआईएल लिमिटेड (जिसे आगे “आवेदक” कहा गया है) ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा एंटी-डंपिंग नियमों के अनुसार नामित प्राधिकरण (जिसे आगे “प्राधिकरण” भी कहा गया है) के समक्ष “एन -(1,3-डाइमिथाइलब्यूटिल)- एन’ -फेनिल-p-फेनिलीनडायमीन (जिसे पिक्सल -13 के नाम से भी जाना जाता है)” (जिसे आगे “विचाराधीन उत्पाद” या “विचाराधीन वस्तुएँ” कहा गया है) के आयातों के संबंध में एंटी-डंपिंग जांच प्रारंभ करने हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया। यह आवेदन चीन जनवादी गणराज्य (“चीन पीआर”), यूरोपीय संघ (“यूरोपीय संघ”), कोरिया गणराज्य (“कोरिया आरपी”) तथा थाईलैंड के राज्य (“थाईलैंड”) से होने वाले आयातों के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिन्हें संयुक्त रूप से “विचाराधीन देश” कहा गया है।
2. और चूँकि आवेदक द्वारा पर्याप्त प्रथम दृष्टया (प्रथम दृष्टया) आवेदन प्रस्तुत किए जाने के आधार पर, प्राधिकरण ने दिनांक 28 मार्च, 2025 की अधिसूचना एफ. सं. 6/10/2025-डीजीटीआर के माध्यम से, जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी, चीन पीआर, यूरोपीय संघ, कोरिया आरपी तथा थाईलैंड से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में एंटी-डंपिंग जांच प्रारंभ की। यह जांच नियमों के नियम 5 के अनुसार, विचाराधीन वस्तुओं के कथित डंपिंग के अस्तित्व, मात्रा एवं प्रभाव का निर्धारण करने तथा एंटी-डंपिंग शुल्क की राशि की सिफारिश करने हेतु शुरू की गई, ताकि यदि शुल्क लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त हो।

ख. प्रक्रिया

3. जांच के संबंध में नीचे बताई गई प्रक्रिया का पालन किया गया है:

3.1 प्रारंभ

- क. नियमों के नियम 5(5) के अनुसार, प्राधिकरण ने जांच प्रारंभ करने से पूर्व भारत में स्थित विचाराधीन देशों के दूतावासों को वर्तमान एंटी-डंपिंग आवेदन की प्राप्ति की सूचना दी।
- ख. आवेदन की जांच के पश्चात, प्राधिकरण ने डंपिंग तथा उसके परिणामस्वरूप हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाया। अतः, नियमों के नियम 5 एवं 6 के अनुसार, दिनांक 28 मार्च 2025 की अधिसूचना एफ. सं. 6/10/2025-डीजीटीआर के माध्यम से, प्राधिकरण ने वर्तमान कार्यवाही प्रारंभ की।
- ग. जांच अवधि (POI) को 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक माना गया। क्षति अवधि को 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तथा जांच अवधि (POI) को सम्मिलित करते हुए निर्धारित किया गया।
- घ. विचाराधीन वस्तुओं के क्षति अवधि के लिए लेन-देन-वार आयात आंकड़ों हेतु निदेशालय सामान्य (प्रणाली एवं डेटा प्रबंधन) (डीजी सिस्टम्स) से अनुरोध किया गया। प्राधिकरण को यह आंकड़े प्राप्त हुए तथा संबंधित लेन-देन की समुचित जांच के पश्चात आवश्यक विश्लेषण हेतु इन आंकड़ों पर भरोसा किया गया।

3.2 आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण का वितरण

- क. नियमों के नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकरण ने जांच प्रारंभ की सूचना देते हुए विचाराधीन देशों के भारत स्थित दूतावासों, विचाराधीन देशों में विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात उत्पादकों एवं निर्यातकों, भारत में विचाराधीन वस्तुओं के ज्ञात आयातकों तथा आवेदन में उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार अन्य इच्छुक पक्षों को प्रारंभिक अधिसूचना की प्रति साझा करते हुए जांच की सूचना दी।
- ख. नियमों के नियम 6(3) के अनुसार, प्राधिकरण ने विचाराधीन देशों के भारत स्थित दूतावासों के माध्यम से उन देशों की सरकारों, विचाराधीन आयातों के ज्ञात निर्यातकों तथा उन अन्य इच्छुक पक्षों, जिन्होंने लिखित रूप में आवेदन की प्रति प्राप्त करने का अनुरोध किया था, को आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण की प्रति उपलब्ध कराई।
- ग. प्राधिकरण ने विचाराधीन देशों के भारत स्थित दूतावासों के माध्यम से उन देशों की सरकारों को प्रश्नावली भेजी। विचाराधीन देशों की सरकारों से अनुरोध किया गया कि वे अपने देश के विचाराधीन वस्तुओं के उत्पादकों को प्रारंभिक अधिसूचना तथा प्रश्नावली अग्रेषित करें और उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने की सलाह दें।
- घ. इच्छुक पक्षों को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज़ के गैर-गोपनीय संस्करण के प्रसार के 7 दिनों के भीतर अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा किए गए गोपनीयता दावों से संबंधित मुद्दों पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया।

3.3 विचाराधीन देशों के निर्यातकों तथा भारत के आयातकों/उपयोगकर्ताओं की भागीदारी

- क. नियमों के नियम 6(4) के अनुसार, प्राधिकरण ने विचाराधीन देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी।

क. चीन पीआर

- i. चांगदे डिंगयुआन केमिकल इंडस्ट्रियल लिमिटेड
- ii. चाइना सनसाइन केमिकल होल्डिंग्स लिमिटेड
- iii. डालियान रिचॉन केम कंपनी लिमिटेड
- iv. डोंगयिंग बो-चेन केमिकल कंपनी लिमिटेड
- v. डोंगयिंग वानटोंग रबर ऑक्ज़िलियरी कंपनी लिमिटेड
- vi. हेबेई हानसिंग केमिकल कंपनी लिमिटेड
- vii. हेबेई हाउफेंग केमिकल ग्रुप
- viii. हेबी हुआशिया ऑक्ज़िलियरी कंपनी लिमिटेड
- ix. हेबी यूहू रबर केमिकल्स कंपनी लिमिटेड
- x. हेनान कैलुन केमिकल कंपनी लिमिटेड
- xi. जिआंगसु डोंगलॉन्ग इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
- xii. जिनान रनक्वान केमिकल कंपनी लिमिटेड
- xiii. जिनचेंग स्काई सक्सेस केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
- xiv. जिंगचेंग तियानचेंग केमिकल कंपनी लिमिटेड
- xv. केमाई केमिकल कंपनी लिमिटेड
- xvi. लिंकवेल रबर केमिकल्स कंपनी लिमिटेड
- xvii. लायन इंडस्ट्रीज लिमिटेड

- xviii. नानजिंग केमिकल प्लांट
- xix. नॉर्थईस्ट ऑक्ज़िलियरी केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
- xx. पुयांग विलिंग केमिकल्स कंपनी लिमिटेड
- xxi. किंगदाओ झोंगजियान रबर केमिकल्स कंपनी लिमिटेड
- xxii. रोंगचेंग केमिकल जनरल फैक्टरी कंपनी लिमिटेड
- xxiii. सिन्निक्स कंपनी लिमिटेड
- xxiv. शानडोंग यांगगू हुआताई केमिकल कंपनी लिमिटेड
- xxv. शांगयु लिक्सिंग केमिकल कंपनी लिमिटेड
- xxvi. शेनझेन हुआरेन इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड
- xxvii. द ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड
- xxviii. तियानजिन ईस्ट रिचॉन रबर एडिटिव्स कंपनी लिमिटेड
- xxix. यूनाइटेड रबर केमिकल कॉर्प
- xxx. यिक्सिंग डोंगफांग केमिकल कंपनी
- xxxi. झेजियांग हुआंगयान झेडोंग रबर ऑक्ज़िलियरी कंपनी लिमिटेड
- xxxii. झेजियांग योंगजिया केमिकल प्लांट
- xxxiii. झेजियांग युएकिंग अल्ट्राफाइन पाउडर्स एंड केमिकल्स कंपनी लिमिटेड

ख. यूरोपीय संघ

- i. फ्लेक्सिस नीदरलैंड्स बी.वी.
- ii. एसजीएस बेल्जियम एन.वी.
- iii. सोलूटिया यूरोप एसपीआरयू बीबीबीए

ग. कोरिया गणराज्य

- i. डेवू इंटरनेशनल कॉरपोरेशन
- ii. कुम्हो पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड
- iii. पोस्को इंटरनेशनल कॉरपोरेशन

घ. थाईलैंड

- i. निट्सु शोजी (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड
- ii. सिन्निक्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड
- iii. वी रबर कॉरपोरेशन लिमिटेड

ख. निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने वर्तमान जांच में स्वयं को इच्छुक पक्ष के रूप में पंजीकृत किया है:

क. चीन पीआर

- i. सिन्निक्स कंपनी लिमिटेड
- ii. सिन्निक्स कंपनी लिमिटेड, ताईआन
- iii. सिन्निक्स कंपनी लिमिटेड, शानडोंग
- iv. सिन्निक्स कंपनी लिमिटेड, आन्हुई
- v. सिन्निक्स सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड

ख. कोरिया गणराज्य

- i. कुम्हो पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड
- ii. पोस्को इंटरनेशनल कॉरपोरेशन

ग. थाईलैंड

- i. सिन्निक्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड

ग. प्राधिकरण ने नियमों के नियम 6(4) के अनुसार भारत में विचाराधीन वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/उपयोगकर्ताओं को आवश्यक सूचना प्राप्त करने हेतु आयातक प्रश्नावली भेजी।

- i. एपोलो टायर्स लिमिटेड
- ii. एटीसी टायर्स प्राइवेट लिमिटेड
- iii. बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- iv. बिड़ला टायर्स लिमिटेड
- v. ब्रिजस्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- vi. सीईएटी लिमिटेड
- vii. गुडइयर इंडिया लिमिटेड
- viii. जे. के. टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- ix. जे.के. फेनर (इंडिया) लिमिटेड
- x. लैंक्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- xi. मल्होत्रा रबर लिमिटेड
- xii. मेट्रो टायर्स लिमिटेड
- xiii. एमआरएफ लिमिटेड
- xiv. पीएमसी रबर केमिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

घ. विषय जांच की प्रारंभिक अधिसूचना के प्रत्युत्तर में, निम्नलिखित आयातकों/उपयोगकर्ताओं ने स्वयं को जांच में इच्छुक पक्ष के रूप में पंजीकृत किया है: -

- i. एपोलो टायर्स लिमिटेड
- ii. सीईएटी लिमिटेड
- iii. जे. के. टायर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- iv. एमआरएफ लिमिटेड
- v. रिशिरूप लिमिटेड
- vi. रिशिरूप पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड

ङ. फिनॉरकेम लिमिटेड ने वर्तमान जांच में स्वयं को अन्य घरेलू उत्पादक के रूप में पंजीकृत किया है।

च. उपरोक्त के अतिरिक्त, दो संगठनों, अर्थात् ऑटोमोटिव टायर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन तथा ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने भी वर्तमान जांच में स्वयं को इच्छुक पक्ष के रूप में पंजीकृत किया है।

छ. प्राधिकरण ने सार्वजनिक हित तथा शुल्कों के व्यापक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का आकलन करने हेतु एक आर्थिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) जारी की। ईआईक्यू की एक प्रति प्रत्येक विचाराधीन देश के दूतावास, सभी ज्ञात

निर्यातकों, आयातकों एवं उपयोगकर्ताओं तथा घरेलू उद्योग को भेजी गई। ईआईक्यू को प्रशासनिक लाइन मंत्रालय के साथ भी साझा किया गया। आवेदक, अन्य घरेलू उत्पादक, उत्पादक/निर्यातक, आयातक/उपयोगकर्ता तथा इच्छुक पक्ष के रूप में पंजीकृत उपयोगकर्ता संघों में से निम्नलिखित द्वारा आर्थिक हित प्रभावली के उत्तर प्रस्तुत किए गए: (इसके पश्चात उत्तर प्रस्तुत करने वाले पक्षों के नाम/विवरण दिए गए हैं)।

क्र.सं.	इच्छुक पक्ष का नाम
I.	आवेदक
क	एनओसीआईएल लिमिटेड
II.	उत्पादक/निर्यातक
क	कुम्हो पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड
ख	पोस्को इंटरनेशनल कॉरपोरेशन
III.	आयातक/उपयोगकर्ता
क	एमआरएफ लिमिटेड
ख	जे. के. टायर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
ग	सीईएटी लिमिटेड
घ	एपोलो टायर्स लिमिटेड

3.4 आगे की प्रक्रियाएँ

- क. निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्वयं को पंजीकृत करने वाले सभी इच्छुक पक्षों की सूची वेबसाइट पर अपलोड की गई। सभी पंजीकृत इच्छुक पक्षों को निर्देश दिया गया कि वे वर्तमान कार्यवाही में अपने सभी अभ्यावेदनों के गैर-गोपनीय संस्करण को अन्य सभी इच्छुक पक्षों के साथ परिपत्रित करें।
- ख. नियमों के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकरण ने 4 सितंबर 2025 को आयोजित एक सुनवाई में इच्छुक पक्षों को मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षों को यह निर्देश दिया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करें, जिसके बाद प्रत्युत्तर (पत्युत्तर) प्रस्तुत किए जाएँ। तत्पश्चात, नामित प्राधिकरण में परिवर्तन के कारण 19 दिसंबर 2025 को एक अन्य मौखिक सुनवाई आयोजित की गई। दूसरी मौखिक सुनवाई में उपस्थित सभी पक्षों को लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, जिसके बाद प्रत्युत्तर अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए। इसके अतिरिक्त, इच्छुक पक्षों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे अपने लिखित अभ्यावेदनों के गैर-गोपनीय संस्करण (एनसीवी) अन्य इच्छुक पक्षों के साथ साझा करें।
- ग. नियमों के नियम 6(8) के अनुसार, जहाँ किसी इच्छुक पक्ष ने वर्तमान कार्यवाही के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुँच प्रदान करने से इनकार किया है या अन्यथा समय पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है, अथवा जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा उत्पन्न की है, वहाँ प्राधिकरण ने ऐसे पक्षों को असहयोगी (असहयोगी) माना है तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष अभिलिखित किए हैं।
- घ. नियमों के नियम 7 के अनुसार, इच्छुक पक्षों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना का प्राधिकरण द्वारा गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में परीक्षण किया गया। संतुष्ट होने पर, प्राधिकरण ने जहाँ उचित समझा, गोपनीयता संबंधी दावों को स्वीकार किया तथा ऐसी सूचना को गोपनीय मानते हुए

- अन्य इच्छुक पक्षों को प्रकट नहीं किया। जहाँ संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षों को निर्देशित किया गया कि वे गोपनीय रूप से प्रस्तुत की गई सूचना का गैर-गोपनीय सार प्रस्तुत करें।
- ड. नियमों के नियम 8 के अनुसार, प्राधिकरण ने वर्तमान कार्यवाही के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक आवेदक तथा अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का सत्यापन किया। प्राधिकरण ने वर्तमान मामले में अपने विश्लेषण में इच्छुक पक्षों के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।
- च. अहानिकर मूल्य (जिसे आगे "एनआईपी" कहा गया है) का निर्धारण भारत में विचाराधीन वस्तुओं के उत्पादन लागत तथा नियोजित पूंजी पर युक्तिसंगत प्रतिफल के आधार पर किया गया है। यह निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) तथा एंटी-डंपिंग नियम, 1995 के परिशिष्ट-III के आधार पर प्रस्तुत जानकारी के अनुसार किया गया है, ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या डंपिंग मार्जिन से कम एंटी-डंपिंग शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।
- छ. प्राधिकरण ने कार्यवाही के दौरान इच्छुक पक्षों द्वारा उठाए गए मुद्दों, प्रदान की गई सूचनाओं तथा प्रस्तुत अभ्यावेदनों की जांच की, उस सीमा तक जहाँ तक वे साक्ष्य द्वारा समर्थित थे तथा वर्तमान प्रयोजन के लिए प्रासंगिक पाए गए, ताकि अंतिम निष्कर्ष तैयार किए जा सकें।
- ज. विचाराधीन देशों के सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की जांच एवं सत्यापन भी आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया तथा वर्तमान प्रकटीकरण विवरण के प्रयोजन हेतु उस पर भरोसा किया गया है।
- झ. *** उन सूचनाओं को दर्शाता है जो किसी पक्ष द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई हैं तथा जिन्हें नियमों के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा गोपनीय माना गया है।
- ञ. इस जांच के लिए प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = ₹ 84.27 है।

ग. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) एवं समान लेख

ग.1 विरोधी हितबद्ध पक्ष द्वारा प्रस्तुति

4. विपक्षी हितधारक पक्ष ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में कोई प्रस्तुति नहीं दी है।

ग.2 आवेदक द्वारा प्रस्तुति

5. आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित बातें कही हैं:
- विचाराधीन उत्पाद "एन -(1,3-डाइमिथाइलब्यूटिल)- एन' -फेनिल-p-फेनिलीनडायमीन" है, जिसे "पीएक्स-13" या "6 पीपीडी" के नाम से भी जाना जाता है।
 - विचाराधीन उत्पाद को 6पीपीडी के नाम से भी जाना जाता है और इसे अलग-अलग नामों जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट 6पीपीडी, कुमानॉक्स 13, सैंटोफ्लेक्स 6पीपीडी, सिरानटॉक्स 6पीपीडी, वल्कानॉक्स 4020, एंटीऑक्सीडेंट 4020, डुसानटॉक्स 6पीपीडी, एंटेज 6 सी, एन-1,3- डाइमिथाइल-ब्यूटाइल)- एन - फेनिल-पी-फेनिलीनडायमीन, आदि के तहत आयात किया जाता है।
 - विचाराधीन उत्पाद एक एल्काइल-एराइल- पीपीडी एंटी-डिग्रेडेंट है, जिसका इस्तेमाल रबर उद्योग के टायर और नॉन-टायर सेक्टर में सबसे ज्यादा किया जाता है।
 - विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 38 के अंतर्गत उपशीर्षक 3812 39 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। विचाराधीन उत्पाद का आयात निम्नलिखित एचएस कोड्स के

अंतर्गत किया गया है, अर्थात् 2921 51 20, 2921 51 30, 2921 51 90, 3812 10 00, 3812 20 90, 3812 31 00, 3812 39 10, 3812 39 20, 3812 39 30 तथा 3812 39 90।

- v. आवेदक द्वारा उत्पादित समान लेख तथा विचाराधीन देशों से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है।

ग.3 प्राधिकरण द्वारा जांच

6. प्राधिकरण ने यहाँ इच्छुक पक्षों द्वारा विचाराधीन उत्पाद (PUC) के संबंध में किए गए अभ्यावेदनों की निम्नानुसार जांच की है
7. प्रारंभिक चरण में, विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:
- “3. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) एन-(1,3-डाइमिथाइलब्यूटिल)- एन -फेनिल- पी - फेनिलीनडायमीन” है, जिसे “पीएक्स-13” या “6 पीपीडी” के नाम से भी जाना जाता है।”
4. पीएक्स-13 को 6PPD के नाम से भी जाना जाता है और इसे कई नामों से इम्पोर्ट किया जाता है, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट 6 पीपीडी, कुमानॉक्स 13, सैंटोफ्लेक्स 6पीपीडी, सिरानटॉक्स 6पीपीडी, वल्कानॉक्स 4020, एंटीऑक्सीडेंट4020, डुसानटॉक्स 6पीपीडी, एंटेज 6 सी, एन -1,3- डाइमिथाइलब्यूटिल)- एन -फेनिल- पी - फेनिलीनडायमीन, वगैरह।
5. पीएक्स-13 एक अल्काइल-एरिल- पीपीडी एंटी-डिग्रेडेंट है, जिसका उपयोग रबर उद्योग के टायर तथा नॉन-टायर क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जाता है। पीएक्स-13 रबर वल्कनाइजेट्स को ओज़ोन (स्थैतिक एवं गतिशील दोनों), फ्लेक्स-क्रैकिंग एवं थकान, ऑक्सीडेटिव हीट एजिंग, धातु-आयन उत्प्रेरित ऑक्सीडेटिव एजिंग, पराबैंगनी (यूवी) प्रकाश तथा मौसमीय प्रभाव जैसे विनाशकारी कारकों के विरुद्ध उत्कृष्ट प्रतिरोध प्रदान करता है। इसका उपयोग प्राकृतिक रबर, कृत्रिम रबर (एसबीआर, ब्यूटाडाइन रबर, नाइट्राइल रबर, कार्बॉक्सिलेटेड रबर) तथा अन्य सिंथेटिक रबर-आधारित यौगिकों के प्रसंस्करण में एंटीऑक्सिडेंट के रूप में किया जाता है, जिससे विभिन्न रबर उत्पादों के वांछित जीवन-चक्र को प्राप्त किया जा सके।
6. पीएक्स-13 को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 38, अर्थात् “विविध रासायनिक उत्पादों” के अंतर्गत उप-शीर्षक 3812 39 के तहत वर्गीकृत किया जाता है। आवेदक ने यह भी बताया है कि पीएक्स-13 का आयात आईटीसी-एचएस कोड 29215120, 29215130, 29215190, 38121000, 38122090, 38123100, 38123910, 38123920, 38123930 तथा 38123990 के अंतर्गत किया जाता है।”
8. प्राधिकरण ने प्रारंभिक अधिसूचना में विचाराधीन उत्पाद के दायरे को सूचित किया था। इसके अंतर्गत इच्छुक पक्षों को विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे तथा उत्पाद नियंत्रण संख्याओं (पीसीएन) की पद्धति पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था। घरेलू उद्योग के अतिरिक्त किसी भी अन्य इच्छुक पक्ष ने पीयूसी के दायरे तथा प्रस्तावित पीसीएन पद्धति पर कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की है। तदनुसार, प्राधिकरण निम्नानुसार विचाराधीन उत्पाद के दायरे की पुष्टि करने का प्रस्ताव करता है।

"3. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) "एन -1,3- डाइमिथाइलब्यूटिल)- एन -फेनिल- पी - फेनिलीनडायमीन" है, जिसे "पीएक्स-13" या "6 पीपीडी" के नाम से भी जाना जाता है।"

4. पीएक्स-13 को 6पीपीडी के नाम से भी जाना जाता है और इसे कई नामों से इम्पोर्ट किया जाता है, जैसे कि एंटीऑक्सिडेंट 6पीपीडी, कुमानॉक्स 13, सैंटोफ्लेक्स 6पीपीडी, सिरानटॉक्स 6पीपीडी, वल्कानॉक्स 4020, एंटीऑक्सीडेंट4020, डुसानटॉक्स 6पीपीडी, एंटेज 6 सी, एन -1,3- डाइमिथाइलब्यूटिल)- एन -फेनिल- पी - फेनिलीनडायमीन, वगैरह।

9. पीएक्स-13 को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 38, अर्थात् "विविध रासायनिक उत्पादों" के अंतर्गत उप-शीर्षक 3812 39 के तहत वर्गीकृत किया जाता है। आवेदक ने यह भी बताया है कि पीएक्स-13 का आयात आईटीसी-एचएस कोड 29215120, 29215130, 29215190, 38121000, 38122090, 38123100, 38123910, 38123920, 38123930 तथा 38123990 के अंतर्गत किया जाता है। प्राधिकरण यह नोट करता है कि उपर्युक्त सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है तथा विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है। विचाराधीन उत्पाद के आयात, जहाँ भी रिपोर्ट किए गए हैं, उन्हें वर्तमान निर्धारण के प्रयोजन हेतु ध्यान में लिया गया है।
10. भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि यह ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत आता है।
11. विचाराधीन उत्पाद पर लागू मूल सीमा शुल्क (मूल सीमा शुल्क) 7.5% है। आसियान-भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र (एआईएफटीए) तथा भारत एवं कोरिया के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) के अंतर्गत थाईलैंड से आयात किए जाने पर विचाराधीन उत्पाद के आयातों को मूल सीमा शुल्क में रियायत प्राप्त होती है। डीजी सिस्टम्स के लेन-देन-वार आंकड़ों तथा प्रश्नावली उत्तरों के परीक्षण से यह पता चलता है कि कोरिया आरपी से आयात किए गए उत्पादों पर सीमा शुल्क का भुगतान करने के पश्चात क्लियरेंस किया गया है। तथापि, थाईलैंड से आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद के आयात सीमा शुल्क के भुगतान के बिना क्लियर किए गए हैं।
12. विचाराधीन उत्पाद के लिए निर्धारित माप इकाई भार है, जिसे किलोग्राम (केजी) या मीट्रिक टन (मीट्रिक टन) में व्यक्त किया जाता है। आवेदन में प्रस्तुत जानकारी मीट्रिक टन (मीट्रिक टन) के रूप में दी गई है।
13. एंटी-डंपिंग नियमों का नियम 2(d) 'समान वस्तु' (like article) की परिभाषा इस प्रकार देता है:

"एक जैसी वस्तु" का मतलब है ऐसी वस्तु जो भारत में डंपिंग के लिए जांच की जा रही वस्तु के बिल्कुल समान या हर तरह से वैसी ही हो; या अगर ऐसी वस्तु न हो, तो कोई दूसरी वस्तु जो भले ही हर तरह से समान न हो, लेकिन उसकी विशेषताएं जांच की जा रही वस्तु की विशेषताओं से काफी मिलती-जुलती हों।

14. अभिलेख पर उपलब्ध सूचना पर विचार करने के पश्चात, प्राधिकरण यह निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव करता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद तथा विचाराधीन देशों से आयातित उत्पाद भौतिक विशेषताओं,

कार्यों एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के सीमा शुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। एंटी-डंपिंग नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएँ तथा विचाराधीन देशों से आयातित वस्तुएँ समान लेख (इसी तरह के लेख) हैं। दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से परस्पर प्रतिस्थापनीय हैं। अतः, प्राधिकरण यह निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव करता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन वस्तुएँ एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 2(डी) के दायरे एवं अर्थ के अंतर्गत विचाराधीन देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान लेख हैं।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा एवं स्थिति

घ.1 विरोधी हितधारक पक्ष द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन

15. विरोधी इच्छुक पक्ष ने घरेलू उद्योग के दायरे या उसकी स्थिति के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं।
- आवेदक की स्थिति (स्थिति) स्पष्ट नहीं है क्योंकि आवेदक ने भारत के कुल उत्पादन में अपने हिस्सेदारी की सीमा का खुलासा नहीं किया है।
 - जांच अवधि में 2021-22 की तुलना में आवेदक की कुल उत्पादन में हिस्सेदारी में 15% की गिरावट आई है।
 - फिनॉरकेम लिमिटेड का समर्थन पत्र अन्य इच्छुक पक्षों के साथ साझा नहीं किया गया है।
 - निर्धारित ट्रेड नोटिस (ट्रेड नोटिस संख्या 13/2018 तथा ट्रेड नोटिस संख्या 14/2018) के अनुसार इसका प्रकटीकरण किए बिना फिनॉरकेम लिमिटेड के कथित समर्थन पर प्राधिकरण की निर्भरता, प्राधिकरण के प्रक्रियात्मक ढांचे के अनुरूप नहीं है।

घ.2 आवेदक द्वारा प्रस्तुति

16. आवेदक ने घरेलू उद्योग के दायरे तथा उसकी स्थिति के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं:
- आवेदक के अतिरिक्त भारत में विचाराधीन वस्तुओं के दो अन्य उत्पादक हैं, अर्थात् फिनॉरकेम लिमिटेड तथा लैंक्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आवेदक के पास वर्तमान आवेदन दाखिल करने हेतु पर्याप्त स्थिति (स्थिति) है।
 - आवेदक ने जांच अवधि के दौरान विचाराधीन देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।
 - आवेदक का विचाराधीन देशों के किसी भी निर्यातक अथवा भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातकों से कोई संबंध नहीं है।
 - घरेलू उद्योग ने फिनॉरकेम लिमिटेड से आवेदन के संबंध में उनके विचार प्राप्त करने हेतु संवाद किया था, किंतु उन्होंने उस संवाद का कोई उत्तर नहीं दिया। फिनॉरकेम ने सीधे प्राधिकरण के समक्ष समर्थन पत्र प्रस्तुत किया था।

घ.3 प्राधिकरण द्वारा परीक्षण

17. यमों का नियम 2(b) घरेलू उद्योग को इस प्रकार परिभाषित करता है:

“(ख) ‘घरेलू उद्योग’ से आशय उन घरेलू उत्पादकों के समग्र समूह से है जो समान लेख (आर्टिकल पसंद करें) के निर्माण में संलग्न हैं तथा उससे संबंधित किसी गतिविधि में लगे हुए हैं, अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त

लेख का संयुक्त उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख भाग है। तथापि, यदि ऐसे उत्पादक कथित डंप किए गए लेख के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों अथवा स्वयं उस वस्तु के आयातक हों, तो ऐसी स्थिति में 'घरेलू उद्योग' शब्द का अर्थ शेष उत्पादकों से लगाया जा सकता है।”

18. यह आवेदन एनओसीआईएल लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। अभिलेख पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, भारत में विचाराधीन वस्तुओं के दो अन्य उत्पादक भी हैं, अर्थात् फिनॉरकेम लिमिटेड तथा लैंक्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। प्राधिकरण ने जांच प्रारंभ करने से पूर्व इन दोनों घरेलू उत्पादकों को संचार भेजा था। फिनॉरकेम लिमिटेड से आवेदन के समर्थन में प्रतिक्रिया प्राप्त हुई, जबकि लैंक्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। जांच प्रारंभ होने के पश्चात भी इन अन्य घरेलू उत्पादकों की ओर से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई।
19. अथॉरिटी ने डीजी सिस्टम के ट्रांज़ैक्शन-वाइज़ डेटा की जांच की है, और यह पाया गया है कि जांच की अवधि के दौरान इनमें से किसी भी उत्पादक ने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।
20. यह देखा गया है कि एनओसीआईएल लिमिटेड का संबंध संबंधित देशों से विचाराधीन उत्पाद के किसी निर्यातक या भारत में किसी आयातक से नहीं है।
21. रिकॉर्ड पर मौजूद जानकारी के आधार पर, अथॉरिटी ने भारतीय उत्पादन और भारतीय उत्पादन में एनओसीआईएल लिमिटेड की हिस्सेदारी इस प्रकार तय की है:

क्रम संख्या	विवरण	उत्पादन	हिस्सेदारी (%)
1	एनओसीआईएल लिमिटेड का उत्पादन	***	60-70
2(i)	फिनोरकेम लिमिटेड का उत्पादन	***	10-20
2(ii)	लैंक्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का उत्पादन	***	10-20
3	कुल/सकल भारतीय उत्पादन	***	100

22. अथॉरिटी का कहना है कि एनओसीआईएल लिमिटेड का उत्पादन, भारत के कुल उत्पादन में 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी रखता है।
23. जांच प्रारंभ किए जाने से पूर्व, प्राधिकरण ने लैंक्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और फिनोरकेम लिमिटेड दोनों को ई-मेल भेजकर यह जानना चाहा कि वे आवेदन का समर्थन करते हैं या उसका विरोध करते हैं। इसके उत्तर में, फिनोरकेम लिमिटेड ने ई-मेल के माध्यम से आवेदन के समर्थन की पुष्टि की। तथापि, जांच प्रारंभ होने के पश्चात फिनोरकेम लिमिटेड ने अपने उत्पादन अथवा बिक्री से संबंधित कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। अभिलेख पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर, प्राधिकरण ने पाया कि एनओसीआईएल लिमिटेड का उत्पादन भारत के कुल (सकल) उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक है। प्राधिकरण ने यह भी नोट किया कि अन्य घरेलू उत्पादक के समर्थन पर विचार किए बिना भी एनओसीआईएल लिमिटेड आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक वैधानिक पात्रता (स्थिति) की शर्तों को पूरा करती है।

24. अभिलेख पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह देखा गया है कि एनओसीआईएल लिमिटेड नियमों के अनुसार भारतीय उत्पादन का प्रमुख हिस्सा प्रतिनिधित्व करती है। एनओसीआईएल लिमिटेड, नियम 2(ख) [नियम 2(बी)] के अर्थ में एक पात्र घरेलू उद्योग है तथा नियम 5(3) के अंतर्गत निर्धारित वैधानिक पात्रता (स्थिति) की शर्तों को भी पूरा करती है। अतः, प्राधिकरण यह प्रस्तावित करता है कि एनओसीआईएल लिमिटेड को नियमों के अर्थ में घरेलू उद्योग (घरेलू उद्योग) माना जाए।

ड. अन्य प्रस्तुतियाँ

ड.1 विरोधी हितबद्ध पक्ष द्वारा प्रस्तुति

25. विपक्षी हितबद्ध पक्ष ने निम्नलिखित विविध प्रस्तुति की है:
- i. आवेदक ने ट्रेड नोटिस नंबर 10/2018 की ज़रूरत के अनुसार, अन्य सभी उत्पादकों (आवेदक को छोड़कर) के उत्पादन की मात्रा और मूल्य के बारे में उपलब्ध सबसे अच्छी जानकारी नहीं दी है। इसके बजाय, आवेदक ने केवल अन्य सभी उत्पादकों के उत्पादन की मात्रा का ट्रेंड बताया है।
 - ii. आवेदक ने व्यापार सूचना संख्या 10/2018 की आवश्यकताओं के अनुसार अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) व्यय, जुटाई गई निधियों तथा प्रति इकाई बिक्री लागत (निर्यात) से संबंधित आंकड़ों को प्रवृत्ति (ट्रेंड) के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है।
 - iii. आवेदक ने व्यापार सूचना संख्या 10/2018 की आवश्यकताओं के अनुसार गैर-हानिकारक मूल्य (गैर-हानिकारक कीमत) की गणना से संबंधित अपने समेकित वास्तविक आंकड़ों को सीमा (रेंज) में प्रकट नहीं किया है।
 - iv. आवेदक ने आवेदन में कुल भारतीय उत्पादन में अपनी वास्तविक हिस्सेदारी का खुलासा नहीं किया है तथा न ही अपनी हिस्सेदारी की कोई सीमा (रेंज) प्रदान की है।
 - v. घरेलू उद्योग द्वारा सेनिक्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड, सेनिक्स कंपनी लिमिटेड आन्हुई, सेनिक्स कंपनी लिमिटेड ताइवान तथा सेनिक्स कंपनी लिमिटेड द्वारा अत्यधिक गोपनीयता के दावे पर की गई टिप्पणियों के संबंध में यह कहा गया कि विनिर्माण प्रक्रिया, कच्चे माल के नाम, समायोजन, विपणन माध्यम तथा अन्य विवरण व्यवसायिक रूप से संवेदनशील जानकारी हैं।
 - vi. घरेलू उद्योग द्वारा कुम्हो पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड तथा पॉस्को इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन द्वारा अत्यधिक गोपनीयता के दावे पर की गई टिप्पणियों के संबंध में यह कहा गया कि विनिर्माण प्रक्रिया, कच्चे माल के नाम तथा अन्य विवरण व्यवसायिक रूप से संवेदनशील जानकारी हैं और उनका प्रकटीकरण नहीं किया जा सकता।
 - vii. घरेलू उद्योग द्वारा एमआरएफ लिमिटेड, जे.के. टायर्स एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, सीएट लिमिटेड तथा अपोलो टायर्स लिमिटेड द्वारा अत्यधिक गोपनीयता के दावे पर की गई टिप्पणियों के संबंध में यह कहा गया कि उत्पादन प्रक्रिया एवं फ्लो-चार्ट, डाउनस्ट्रीम उत्पाद में उत्पाद के उपयोग का वास्तविक विवरण, घरेलू बाजार में हिस्सेदारी तथा अन्य विवरण व्यावसायिक रूप से संवेदनशील जानकारी हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध नहीं हैं।
 - viii. आवेदक ने गैर-हानिकारक मूल्य (गैर-हानिकारक कीमत) की सीमा (रेंज) का खुलासा नहीं किया है।

- ix. विचाराधीन उत्पाद से संबंधित हाल ही में संपन्न एंटी-डंपिंग जांच में वित्त मंत्रालय ने यह निष्कर्ष निकाला था कि घरेलू उद्योग को आयात प्रतिस्पर्धा से पर्याप्त संरक्षण प्राप्त है और इसलिए आगे की अवधि के लिए एंटी-डंपिंग शुल्क लगाए जाने की अनुशंसा करने की आवश्यकता नहीं है।
- x. निजी स्रोत से प्राप्त आंकड़े प्रामाणिक एवं विश्वसनीय नहीं हैं। वर्तमान जांच में आयातों के परीक्षण हेतु प्राधिकरण को जांच प्रारंभ करते समय डीजीसीआई एंड एस (डीजीसीआई&एस) के आंकड़े मंगवाने चाहिए थे।
- xi. आवेदक व्यापार उपचार (व्यापार उपाय) जांचों की शुरुआत करने वाला एक नियमित पक्षकार है, जो प्रक्रिया के दुरुपयोग की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

च. 2 आवेदक द्वारा प्रस्तुति

26. आवेदक ने निम्नलिखित विविध बातें कही हैं: -

- i. आवेदक के अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) व्यय, जुटाई गई निधियों, प्रति इकाई बिक्री लागत (निर्यात) तथा अन्य घरेलू उत्पादकों के उत्पादन मूल्य से संबंधित जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है, क्योंकि एंटी-डंपिंग आवेदन प्रपत्र (जिसे व्यापार सूचना संख्या 04/2021 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है) में इन विवरणों को आवेदन के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।
- ii. इच्छुक पक्षों द्वारा यह प्रस्तुत किए जाने के संबंध में कि गैर-हानिकारक मूल्य (गैर-हानिकारक कीमत) का खुलासा नहीं किया गया है, यह स्पष्ट किया गया कि गैर-हानिकारक मूल्य की सीमा (रेंज) का खुलासा किया जा चुका है।
- iii. व्यापार सूचना संख्या 10/2018 की आवश्यकताओं के अनुसार आवेदक को कुल भारतीय उत्पादन में अपनी हिस्सेदारी की सीमा (रेंज) का खुलासा करना आवश्यक नहीं है।
- iv. सेनिक्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड, सेनिक्स कंपनी लिमिटेड आन्हुई, सेनिक्स कंपनी लिमिटेड ताइवान तथा सेनिक्स कंपनी लिमिटेड शानदोंग ने विनिर्माण के व्यापक चरणवार विवरण, सामान्य मूल्य एवं निर्यात मूल्य में किए गए समायोजन, कच्चे माल, विपणन माध्यम तथा अन्य ऐसी सूचनाओं का वास्तविक विवरण उपलब्ध नहीं कराया है, जिनका प्रकटीकरण व्यापार सूचना संख्या 10/2018 के अनुसार आवश्यक है।
- v. कुम्हो पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड तथा पॉस्को इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ने सामान्य मूल्य एवं निर्यात मूल्य की गणना में प्रयुक्त समायोजनों की सूची, कच्चे माल के नाम तथा विनिर्माण प्रक्रिया से संबंधित जानकारी को गोपनीय घोषित किया है।
- vi. एमआरएफ लिमिटेड, जे.के. टायर्स एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, सीएट लिमिटेड तथा अपोलो टायर्स लिमिटेड ने विनिर्माण प्रक्रिया, अपने डाउनस्ट्रीम उत्पाद में विचाराधीन उत्पाद की हिस्सेदारी तथा मांग में अपनी हिस्सेदारी से संबंधित जानकारी को पूर्णतः गोपनीय बताया है।
- vii. आवेदक ने अपने बाजार-आधारित खुफिया स्रोतों (मार्केट इंटेलिजेंस) के अनुसार आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। इच्छुक पक्ष द्वारा ऐसा कोई पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो कि आवेदक द्वारा उपयोग किए गए आयात आंकड़े विश्वसनीय हैं।
- viii. आवेदक इच्छुक पक्षों के इस कथन का स्पष्ट रूप से खंडन करता है कि प्राधिकरण द्वारा उपाय लागू करने की सिफारिशों को इसलिए स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि वित्त मंत्रालय ने यह निष्कर्ष निकाला था कि घरेलू उद्योग को आयात प्रतिस्पर्धा से पर्याप्त संरक्षण प्राप्त हो चुका है।

- ix. सार्वजनिक अभिलेखों में ऐसा कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि वित्त मंत्रालय ने यह विचार किया था कि एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की आवश्यकता नहीं है।
- x. आवेदक को व्यापार उपचार (व्यापार उपाय) उपायों का बार-बार उपयोग करने के लिए विवश होना पड़ा है, क्योंकि संबंधित देशों के उत्पादक भारतीय बाजार में उत्पाद की डंपिंग करने के आदी रहे हैं।

ड. 3 प्राधिकरण द्वारा जांच

27. प्राधिकरण ने नियमों के नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न पक्षों द्वारा प्रस्तुत सूचना के गैर-गोपनीय (गैर गोपनीय) संस्करण को सभी अन्य इच्छुक पक्षों को उपलब्ध कराया। इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता के संबंध में, नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:

“7. गोपनीय जानकारी:

(1) नियम 6 के उप-नियम (2), (3) और (7), नियम 12 के उप-नियम (2), नियम 15 के उप-नियम (4) तथा नियम 17 के उप-नियम (4) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, नियम 5 के उप-नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियाँ, अथवा जांच के दौरान किसी पक्ष द्वारा नामित प्राधिकरण को गोपनीय आधार पर प्रदान की गई कोई अन्य सूचना, यदि नामित प्राधिकरण उसकी गोपनीयता से संतुष्ट हो जाता है, तो उसे गोपनीय ही माना जाएगा और ऐसी सूचना का प्रकटीकरण उस पक्ष की विशिष्ट अनुमति के बिना किसी अन्य पक्ष को नहीं किया जाएगा जिसने वह सूचना प्रदान की है।

(2) नामित प्राधिकरण गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले इच्छुक पक्षों से उस सूचना का गैर-गोपनीय सार (गैर-गोपनीय सारांश) प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है और यदि ऐसी सूचना प्रदान करने वाले किसी पक्ष की राय में उसका सार प्रस्तुत करना संभव नहीं है, तो वह पक्ष नामित प्राधिकरण को यह बताते हुए कारणों का एक विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि उसका सार प्रस्तुत करना क्यों संभव नहीं है।

(3) उप-नियम (2) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, यदि नामित प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है, अथवा सूचना प्रदान करने वाला पक्ष उस सूचना को सार्वजनिक करने के लिए इच्छुक नहीं है या उसे सामान्यीकृत अथवा सार रूप में प्रकट करने की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना को विचार से बाहर (अवहेलना) कर सकता है।

28. घरेलू उद्योग तथा अन्य विरोधी इच्छुक पक्षों द्वारा गोपनीयता के संबंध में प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन की, जहाँ तक उन्हें प्रासंगिक पाया गया, प्राधिकरण द्वारा समीक्षा की गई तथा तदनुसार उनका निपटान किया गया। प्राधिकरण ने यह नोट किया कि इच्छुक पक्षों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई जानकारी की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में विधिवत परीक्षण किया गया। संतुष्ट होने पर, प्राधिकरण ने जहाँ भी उचित पाया, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया तथा ऐसी जानकारी को गोपनीय मानते हुए अन्य इच्छुक पक्षों को प्रकट नहीं किया गया। जहाँ संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षों को निर्देश दिया गया कि वे प्रस्तुत गोपनीय सूचना का पर्याप्त गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध कराएँ। प्राधिकरण ने यह भी नोट किया कि सभी इच्छुक पक्षों ने अपनी व्यापार-संबंधी संवेदनशील जानकारी को गोपनीय घोषित किया है।
29. इच्छुक पक्षों द्वारा घरेलू उद्योग द्वारा आयातों के परीक्षण हेतु उपयोग किए गए आंकड़ों की विश्वसनीयता के संबंध में प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर, प्राधिकरण ने डीजी प्रणाली के लेन-देन-वार (डीजी सिस्टम ट्रांज़ैक्शन के अनुसार) आंकड़ों

के आधार पर आयात आंकड़ों की जांच की और पाया कि आयात मात्रा एवं मूल्य तुलनीय हैं। तदनुसार, प्राधिकरण ने वर्तमान जांच के प्रयोजन हेतु इन्हीं आंकड़ों पर भरोसा किया है।

30. इच्छुक पक्षों द्वारा यह प्रस्तुत किए जाने के संबंध में कि घरेलू उद्योग व्यापार उपचार (व्यापार उपाय) जांचों का एक नियमित/आदतन प्रवर्तक है, जिससे प्रक्रिया के दुरुपयोग का एक पैटर्न संकेतित होता है, प्राधिकरण ने यह नोट किया है कि विचाराधीन उत्पाद पर अतीत में विभिन्न विषय एवं गैर-विषय देशों से संबंधित कई एंटी-डंपिंग जांचों की गई हैं, किन्तु ये जांचें तथा जहाँ भी उचित पाया गया वहाँ शुल्क लगाने की अनुशंसाएँ, अधिनियम एवं नियमों की आवश्यकताओं के अनुसार ही की गई हैं। इसी प्रकार, वर्तमान मामले में भी प्राधिकरण ने घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत रूप से प्रस्तुत लिखित और पर्याप्त रूप से पुष्ट आवेदन के आधार पर जांच प्रारंभ की है तथा प्रारंभिक स्तर पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह संतुष्टि प्राप्त की है कि विषय देशों से उत्पन्न या निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में डंपिंग हो रही है, उक्त डंपिंग के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है तथा डंप किए गए आयातों और इस क्षति के बीच कारणात्मक संबंध (कारण-संबंध) विद्यमान है, और यह सब अधिनियम की धारा 9A तथा नियम 5 के अनुरूप है।
31. प्राधिकरण ने यह भी नोट किया कि इच्छुक पक्षों द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि इस उत्पाद से संबंधित पिछले दो जांचों में मंत्रालय वित्त द्वारा शुल्क लगाने की सिफारिशों के बावजूद शुल्क नहीं लगाया गया। इच्छुक पक्षों ने ऐसे गैर-आरोपण के कारणों के संबंध में निश्चित अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं। तथापि, प्राधिकरण यह नोट करता है कि इच्छुक पक्षों ने अपने इस अभ्यावेदन के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

छ. विषय देशों के लिए सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य एवं डंपिंग मार्जिन

च.1 विरोधी हितबद्ध पक्ष द्वारा प्रस्तुति

32. विपरीत पक्ष ने सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और डंपिंग मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित बातें कही हैं:
- यह धारणा कि चीन पी आर एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था है तथा एम ई टी (बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार) प्रस्तुत करने की आवश्यकता, चीन के अधिग्रहण प्रोटोकॉल प्रावधानों की समाप्ति के साथ 11 दिसंबर 2016 को समाप्त हो गई। तदनुसार, सामान्य मूल्य (सामान्य मान) का निर्धारण चीनी उत्पादकों के वास्तविक घरेलू मूल्यों एवं लागतों के आधार पर किया जाना चाहिए, और 2016 के पश्चात सैद्धांतिक (सरोगेट देश) पद्धति पर निर्भरता विश्व व्यापार संगठन दायित्वों के विपरीत है।
 - सेनिक्स की कथित वैश्विक प्रभुत्व स्थिति, मांग या कच्चे माल पर नियंत्रण, अन्य उत्पादकों के साथ कथित सरोगेट संबंध तथा असंबंधित कंपनियों के बंद होने या क्षमता निर्णयों पर प्रभाव संबंधी दावे केवल अनुमानात्मक, तथ्यहीन तथा किसी विश्वसनीय साक्ष्य से रहित हैं, और इसलिए इन्हें पूर्णतः अस्वीकार किया जाना चाहिए।
 - घरेलू उद्योग द्वारा यह स्थापित करने में असफल रहा है कि कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स कंपनी लिमिटेड तथा सेनिक्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड की सत्यापित लागतों एवं घरेलू बिक्री मूल्यों को अस्वीकार करने का कोई कानूनी या तथ्यात्मक आधार है। केवल एकल-उत्पादक स्थिति, कच्चे माल की सोर्सिंग, या लागत विकृति के अपुष्ट दावे, बिना यह सिद्ध किए कि बिक्री लागत से कम है या कोई विशेष बाजार स्थिति

- विद्यमान है, निर्यातकों की वास्तविक लागतों को अस्वीकार करने या उन्हें आवेदक की लागतों से प्रतिस्थापित करने को उचित नहीं ठहराते।
- iv. सेनिक्स और कुम्हो के बीच बाजार आवंटन या मिलीभगत (कपटसंधि) के आरोप साक्ष्य रहित और अनुमानात्मक हैं, तथा उनके बीच प्रत्यक्ष निर्यात का अभाव वैध वाणिज्यिक कारणों से है, जबकि दोनों निर्यातक भारतीय बाजार में सक्रिय प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।
 - v. सेनिक्स और कुम्हो को संबंधित पक्ष (संबंधित पार्टियों) मानने के दावे विधिक रूप से असंगत हैं, क्योंकि लागू डीजीटीआर दिशानिर्देशों के अंतर्गत कोई भी मानदंड पूरा नहीं होता, और "परिचालन नियंत्रण" जैसी अनुमानात्मक अवधारणाएँ वस्तुनिष्ठ कानूनी मानकों का स्थान नहीं ले सकतीं।
 - vi. वैश्विक मांग में मंदी के सामान्य संदर्भ भारत में डंपिंग या क्षति को सिद्ध नहीं करते, और अंतरराष्ट्रीय बाजार स्थितियों तथा भारत को किए गए निर्यात मूल्य के बीच कोई साक्ष्य या कारणात्मक संबंध स्थापित नहीं किया गया है।
 - vii. प्रतिवादी के लिए कच्चे माल (4-एडीपीए) की लागत का निर्धारण कंपनी के रिकॉर्ड में उपलब्ध वास्तविक आधार पर किया जाना चाहिए।
 - viii. कोरिया आरपी में "विशेष बाजार स्थिति" का आरोप निराधार है; चीन पीआर से असंबंधित पक्ष से कच्चे माल की खरीद विश्व व्यापार संगठन एंटी-डंपिंग समझौते के अनुच्छेद 2.2 के अंतर्गत ऐसी स्थिति का निर्माण नहीं करती।
 - ix. विश्व व्यापार संगठन एंटी-डंपिंग समझौते के अनुच्छेद 2.2.1.1 तथा विभिन्न विश्व व्यापार संगठन अपीलेंट बॉडी निर्णयों (जैसे यूरोपीय संघ – बायोडीज़ल) के अनुसार, जांच प्राधिकरण को उन निर्यातकों की वास्तविक लागतों का उपयोग करना आवश्यक है, जिनके रिकॉर्ड जीएएपी के अनुरूप हों और जो लागतों को उचित रूप से दर्शाते हों। वास्तविक लागतों को अस्वीकार कर किसी बेंचमार्क मूल्य को अपनाना इस मानक के विपरीत है।
 - x. प्रतिवादी ने पीओआई के बाद 4-एडीपीए का अपना उत्पादन प्रारंभ कर दिया है, इसलिए ऐतिहासिक खरीद लागतों को भविष्य के शुल्क निर्धारण हेतु अस्वीकार करना अनुचित है।
 - xi. डंपिंग मार्जिन का निर्धारण सहयोगी उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत वास्तविक सामान्य मूल्य एवं निर्यात मूल्य की जानकारी के आधार पर, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 ए (6 ए) के अनुसार किया जाना चाहिए।

च. 2 आवेदक द्वारा प्रस्तुति

33. आवेदक ने सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और डंपिंग मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित बातें कही हैं:
 - i. यह माना जाना चाहिए कि चीन पीआर एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था है।
 - ii. यदि यह तर्क दिया जाए कि चीन पीआर के अधिग्रहण प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 15(क)(ii) पहले ही समाप्त हो चुका है और इसलिए इसे वर्तमान मामले में लागू नहीं किया जा सकता, तो भी अनुच्छेद 15(क)(i) अभी भी लागू है और चीन पीआर के सामान्य मूल्य के निर्धारण में विचार किया जाना चाहिए।
 - iii. चीन पीआर के अधिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) के तहत दायित्व यह अपेक्षा करता है कि नियमों की अनुसूची I (अनुबंध I) के पैराग्राफ 8 में निर्धारित मानदंड निर्यातक द्वारा पूरा किए जाएँ।
 - iv. चूंकि चीनी उत्पादक बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के पात्र नहीं हैं, इसलिए नामित प्राधिकरण को सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु नियमों की अनुसूची I के पैराग्राफ 7 का पालन करना चाहिए।

- v. कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स कंपनी लिमिटेड तथा सेनिक्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड की लागत को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
- vi. कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स कंपनी लिमिटेड और सेनिक्स, चीन के बीच एक मौन (मतलब रखा हुआ) समझौता मौजूद है, जिसके तहत 4-एडीपीए केवल सेनिक्स, चीन से कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स द्वारा अपेक्षाकृत कम कीमतों पर प्राप्त किया जाता है, जबकि सेनिक्स वही उत्पाद अन्य उत्पादकों तथा अन्य बाजारों में उच्च कीमतों पर बेचता है।
- vii. यह तथ्य कि उत्पाद कम कीमतों पर निर्यात किया गया है, प्राधिकरण द्वारा “एंटी-डंपिंग जांच: रबर केमिकल्स जैसे एमबीटी, सीबीएस, टीडीक्यू, पीवीआई और टीएमटी (चीन से) तथा पीएक्स-13 (6पीपीडी) (चीन एवं कोरिया आरपी से)” (फा. सं.14/5/2007- डीजीएडी दिनांक 1 अक्टूबर 2008) में भी देखा गया था, जिसे माननीय सेस्टैट तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी पुष्टि की गई थी।
- viii. सेनिक्स, चीन द्वारा कोरिया को कोई निर्यात नहीं किया जाता, जबकि उसकी उत्पादन क्षमता घरेलू मांग से काफी अधिक है, और दोनों—कुम्हो तथा सेनिक्स—महत्वपूर्ण निर्यात कर रहे हैं। इसी प्रकार, कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स कंपनी लिमिटेड ने चीन को उत्पाद का निर्यात नहीं किया है।
- ix. चीन पीआर से कोरिया आरपी को 4-एडीपीए के प्रति इकाई आयात मूल्य से यह स्पष्ट होता है कि अन्य देशों की तुलना में कोरिया को यह उत्पाद काफी कम कीमत पर निर्यात किया जा रहा है।
- x. कुम्हो और सेनिक्स को वर्तमान जांच के प्रयोजन हेतु संबंधित पक्ष माना जाना चाहिए, उनके कार्यों एवं निष्क्रियताओं के आधार पर।
- xi. किसी उत्पादक को दूसरे उत्पादक को नियंत्रित तब माना जाना चाहिए जब पहला उत्पादक कानूनी या परिचालनात्मक रूप से दूसरे के कार्यों को निर्देशित या नियंत्रित करने की स्थिति में हो। अतः नियंत्रण केवल कानूनी नहीं, बल्कि परिचालनात्मक भी हो सकता है।
- xii. स्टेनलेस स्टील वायर रॉड मामले (कोरिया) में यूएसडीओसी ने पाया कि पॉस्को का डोंगबैंग स्पेशल स्टील कंपनी लिमिटेडके साथ निकट आपूर्तिकर्ता संबंध था क्योंकि पॉस्को प्रमुख कच्चे माल (काली कॉइल) की आपूर्ति करता था और डोंगबांग के पास वैकल्पिक स्रोत नहीं था; समान स्थिति तेल उद्योग में इस्तेमाल होने वाले कुछ खास तरह के पाइप (कोरिया) मामले में भी देखी गई थी।
- xiii. सेनिक्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड की उत्पादन लागत को सामान्य मूल्य हेतु स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह इकाई 4-एडीपीए को अपने संबंधित पक्ष सेनिक्स, चीन से प्राप्त करती है पीएक्स-13के उत्पादन हेतु।
- xiv. चीन पी आर से थाईलैंड को 4-एडीपीए के प्रति इकाई आयात मूल्य से यह संकेत मिलता है कि इसे अन्य देशों की तुलना में कम कीमत पर निर्यात किया जा रहा है।
- xv. कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स कंपनी लिमिटेड और सेनिक्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड के लिए सामान्य मूल्य की गणना हेतु उत्पादन लागत को निर्यातकों के रिकॉर्ड के आधार पर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे रिकॉर्ड लागतों को उचित रूप से प्रतिबिंबित नहीं करते (अनुबंध I के अनुसार)।
- xvi. रिकॉर्ड लागतों को इसलिए अस्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि वे उन लागतों को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित नहीं करते जो उत्पाद के उत्पादन और बिक्री से वास्तविक रूप से संबंधित हैं।
- xvii. डब्ल्यूटीओ के यूरोपीय संघ – बायोडीज़ल तथा संयुक्त राज्य अमेरिका – ओसीटीजी (कोरिया) मामलों के अनुसार, यदि इनपुट लेन-देन आस्तीन की लंबाई पर नहीं हैं, तो रिकॉर्ड लागत को अस्वीकार किया जा सकता है।

- xviii. कुम्हो और सेनिक्स के बीच मौन समझौता एवं उनकी क्रियाएँ/अक्रियाएँ एक “असामान्य परिस्थिति” हैं, जो कुम्हो की लागतों को अस्वीकार करने को उचित ठहराती हैं।
- xix. डब्ल्यूटीओ एंटी-डंपिंग समझौते के अनुच्छेद 2.2.1.1 में “आमतौर पर” शब्द यह दर्शाता है कि यह प्रावधान लागत अस्वीकार करने की सभी परिस्थितियों को सीमित नहीं करता, जैसा कि यूरोपीय संघ – लागत समायोजन पद्धतियां II (रूस) में माना गया है।
- xx. किसी भी स्थिति में कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स कंपनी लिमिटेड और सेनिक्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड एक “विशेष बाजार स्थिति” (particular market situation) का सामना कर रहे हैं।
- xxi. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 क(ग)(2) में वर्णित “बाजार की विशेष स्थिति” डब्ल्यूटीओ एंटी-डंपिंग समझौते के अनुच्छेद 2.2 के समान (एक ही विषय या संदर्भ में) है।
- xxii. ऑस्ट्रेलिया – कागज़ पर एंटी-डंपिंग उपाय मामले में डब्ल्यूटीओ पैनल ने माना कि “बाजार की विशेष स्थिति” तब प्रासंगिक है जब वह घरेलू बिक्री को उचित तुलना के लिए अनुपयुक्त बना दे।
- xxiii. उसी मामले में यह भी माना गया कि कम कीमत पर कच्चे माल का उपयोग “बाजार की विशेष स्थिति” का उदाहरण हो सकता है।
- xxiv. विकृत उत्पादन लागत के आधार पर, प्राधिकरण को कुम्हो और सेनिक्स की उत्पादन लागत आवेदक (घरेलू उद्योग) की लागत के आधार पर निर्धारित करनी चाहिए।
- xxv. चूंकि 4-एडीपीए का आयात चीन पीआर और यूरोपीय संघ से भारत में किया जाता है, और ये दोनों देश वर्तमान में एंटी-डंपिंग जांच के अधीन हैं, इसलिए उनके आयात मूल्य स्वयं विकृत (विकृत) हैं और उन्हें विश्वसनीय बेंचमार्क नहीं माना जा सकता।

च. 3 प्राधिकरण द्वारा जांच

34. धारा 9 क(1)(c) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है:

(i) समान वस्तु का वह तुलनीय मूल्य, जो व्यापार के सामान्य क्रम में (व्यापार के सामान्य क्रम में) निर्यातक देश या क्षेत्र में घरेलू उपभोग के लिए बेचा जाता है, और जिसे उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में समान वस्तु की बिक्री व्यापार के सामान्य क्रम में नहीं होती, या जब घरेलू बाजार में “विशेष बाजार स्थिति (बाजार की विशेष स्थिति)” या बहुत कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री उचित तुलना की अनुमति नहीं देती, तब सामान्य मूल्य (सामान्य मान) निम्न में से किसी एक के आधार पर निर्धारित किया जाएगा:

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत, जब उसे निर्यातक देश या क्षेत्र से निर्यात किया जाता है, या किसी उपयुक्त तीसरे देश से निर्यात किया जाता है, जिसे उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा;

(ख) परंतु यदि किसी वस्तु का आयात मूल देश (उद्गम देश) के अलावा किसी अन्य देश से किया जाता है, और वह वस्तु केवल निर्यात देश से होकर गुजारी गई हो (ट्रान्सशिपमेंट), या वह वस्तु निर्यात देश में उत्पादित ही न होती हो, अथवा निर्यात देश में उसकी कोई तुलनीय कीमत उपलब्ध न हो, तो ऐसी स्थिति में सामान्य मूल्य (सामान्य मान) का निर्धारण उस वस्तु की मूल देश में उपलब्ध कीमत के आधार पर किया जाएगा।

च. 3(क) चीन पीआर के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य

चीन पी आर के लिए सामान्य मूल्य

35. डब्ल्यूटीओ में चीन के शामिल होने से जुड़े प्रोटोकॉल का आर्टिकल 15 इस प्रकार है:

विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों में चीन मूल के आयात से संबंधित कार्यवाहियों में गैट 1994 के अनुच्छेद VI, गैट 1994 के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी समझौते ("एंटी-डंपिंग समझौता") तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप लागू होंगे:

(क) गैट 1994 के अनुच्छेद VI तथा एंटी-डंपिंग समझौते के अंतर्गत मूल्य तुलना निर्धारित करते समय, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीनी कीमतों या लागतों का उपयोग करेगा, या ऐसी कार्यप्रणाली अपनाएगा जो चीन में घरेलू कीमतों या लागतों के साथ कठोर तुलना पर आधारित न हो, निम्नलिखित नियमों के अनुसार:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक यह स्पष्ट रूप से सिद्ध कर सकें कि समान उत्पाद के उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के निर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ प्रचलित हैं, तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य तुलनीयता (कीमतों की तुलना) निर्धारित करने के लिए जांचाधीन उद्योग हेतु चीनी कीमतों या लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) यदि जांचाधीन उत्पादक यह स्पष्ट रूप से सिद्ध नहीं कर पाते कि समान उत्पाद के उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के निर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ प्रचलित हैं, तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य ऐसी कार्यप्रणाली अपना सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों या लागतों के साथ कठोर तुलना पर आधारित न हो।

(ख) एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में, जब अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में वर्णित सब्सिडी से निपटा जाता है, तब एससीएम समझौते के संबंधित प्रावधान लागू होंगे; तथापि, यदि उन प्रावधानों के अनुप्रयोग में विशेष कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य सब्सिडी लाभ की पहचान और मापन हेतु ऐसी कार्यप्रणालियाँ अपना सकता है जो इस संभावना को ध्यान में रखें कि चीन में प्रचलित शर्तें और परिस्थितियाँ हमेशा उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में उपलब्ध न हों। ऐसी कार्यप्रणालियाँ लागू करते समय, जहाँ तक संभव हो, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को चीन के बाहर प्रचलित शर्तों और परिस्थितियों का उपयोग करने से पहले चीन में प्रचलित शर्तों और परिस्थितियों को समायोजित करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-खंड (क) के अनुसार अपनाई गई कार्यप्रणालियों की सूचना एंटी-डंपिंग प्रथाओं संबंधी समिति को देगा तथा उप-खंड (ख) के अनुसार अपनाई गई कार्यप्रणालियों की सूचना सब्सिडी एवं काउंटरवेलिंग उपायों संबंधी समिति को देगा।

(घ) जब चीन, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत यह स्थापित कर देता है कि वह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप-खंड (क) के प्रावधान समाप्त हो जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्रवेश की तिथि पर बाजार अर्थव्यवस्था के मानदंड शामिल हों।

किसी भी स्थिति में उप-खंड (क)(ii) का प्रावधान प्रवेश की तिथि के 15 वर्ष बाद समाप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि चीन यह स्थापित कर देता है, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसार, कि किसी विशेष उद्योग या क्षेत्र में बाजार अर्थव्यवस्था की परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, तो उप-खंड (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी प्रावधान उस उद्योग या क्षेत्र पर लागू नहीं रहेंगे।

36. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो चुका है, तथापि विश्व व्यापार संगठन के अनुच्छेद 2.2.1.1 के प्रावधान, अधिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पढ़े जाने पर यह अपेक्षा करते हैं कि नियमों की अनुसूची I के पैराग्राफ 8 में निर्धारित मानदंडों को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा दावा करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले पूरक प्रश्नावली में दी गई जानकारी/आंकड़ों के माध्यम से पूर्ण किया जाए।
37. चूंकि चीन जनवादी गणराज्य के किसी भी उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था परिस्थितियों से संबंधित पूरक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमों की अनुसूची I के पैराग्राफ 7 के अनुसार किया गया है, जो निम्नानुसार है:

“7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देशों से आयात के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश में उस वस्तु की कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर किया जाएगा, अथवा ऐसे तृतीय देश से अन्य देशों, जिसमें भारत भी शामिल है, को निर्यात मूल्य के आधार पर किया जाएगा, या यदि यह संभव न हो, तो किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा, जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत भी शामिल हो सकती है, जिसे आवश्यक होने पर उचित लाभ मार्जिन जोड़कर समायोजित किया जाएगा। उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश का चयन नामित प्राधिकरण द्वारा उचित तरीके से किया जाएगा, जिसमें संबंधित देश के विकास स्तर तथा संबंधित उत्पाद को ध्यान में रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध किसी भी विश्वसनीय सूचना पर समुचित विचार किया जाएगा, तथा जहाँ उपयुक्त हो, किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश के संबंध में की गई समान जांचों को भी ध्यान में रखा जाएगा। जांच के पक्षकारों को उक्त चयन के बारे में बिना अनुचित विलंब के सूचित किया जाएगा तथा उन्हें अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए एक उचित अवधि प्रदान की जाएगी।

8.(1) “गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश” का अर्थ ऐसे किसी भी देश से है, जिसे नामित प्राधिकरण यह निर्धारित करता है कि वह लागत या मूल्य निर्धारण संरचनाओं के बाजार सिद्धांतों पर कार्य नहीं करता है, जिससे ऐसे देश में वस्तुओं की बिक्री उन वस्तुओं के उचित मूल्य को प्रतिबिंबित नहीं करती, और यह निर्धारण उप-खंड (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार किया जाता है।

(2) यह मान लिया जाएगा कि कोई भी देश, जिसे जांच प्रारंभ होने से पहले के तीन वर्षों की अवधि में नामित प्राधिकरण या किसी डब्ल्यूटीओ सदस्य देश के सक्षम प्राधिकरण द्वारा एंटी-डंपिंग जांच के प्रयोजन हेतु गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश के रूप में निर्धारित किया गया हो या उसके रूप में व्यवहार किया गया हो, वह एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश है। तथापि, संबंधित गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश या उस देश की संबंधित कंपनियाँ इस अनुमान का खंडन करते हुए नामित प्राधिकरण को ऐसी जानकारी एवं साक्ष्य प्रस्तुत कर सकती हैं जो उप-खंड (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर यह स्थापित करते हों कि वह देश गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश नहीं है।

(3) नामित प्राधिकरण प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंडों पर विचार करेगा कि क्या: (क) ऐसे देश की संबंधित कंपनियों के मूल्य, लागत और इनपुट (जिसमें कच्चा माल, तकनीक और श्रम की लागत, उत्पादन, बिक्री और निवेश शामिल हैं) से संबंधित निर्णय आपूर्ति और मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों के अनुसार तथा इस संबंध में किसी महत्वपूर्ण राज्य हस्तक्षेप के बिना लिए जाते हैं, तथा क्या प्रमुख इनपुट की लागतें पर्याप्त रूप से बाजार मूल्यों को प्रतिबिंबित करती हैं; (ख) ऐसी कंपनियों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति पूर्व गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उत्पन्न महत्वपूर्ण विकृतियों के अधीन है या नहीं, विशेष रूप से परिसंपत्तियों के मूल्यहास, अन्य राइट-ऑफ, वस्तु-विनिमय व्यापार तथा ऋणों के समायोजन द्वारा भुगतान के संबंध में; (ग) ऐसी कंपनियाँ दिवालियापन एवं संपत्ति कानूनों के अधीन हैं जो उनके संचालन के लिए विधिक निश्चितता और स्थिरता सुनिश्चित करते हैं; तथा (घ) विनिमय दरों का रूपांतरण बाजार दर पर किया जाता है या नहीं। तथापि, यदि इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर पर्याप्त लिखित साक्ष्य द्वारा यह सिद्ध किया जाता है कि एंटी-डंपिंग जांच के अधीन एक या अधिक ऐसी कंपनियों में बाजार परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, तो नामित प्राधिकरण पैराग्राफ 7 तथा इस पैराग्राफ में निर्धारित सिद्धांतों के स्थान पर पैराग्राफ 1 से 6 में निर्धारित सिद्धांतों को लागू कर सकता है।

(4) उप-खंड (2) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, नामित प्राधिकरण ऐसे देश को बाजार अर्थव्यवस्था देश के रूप में मान सकता है, जिसे संबंधित मानदंडों के नवीनतम विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर, जिसमें उप-खंड (3) में निर्दिष्ट मानदंड शामिल हैं, किसी ऐसे देश द्वारा, जो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है, सार्वजनिक दस्तावेज में उस मूल्यांकन के प्रकाशन द्वारा एंटी-डंपिंग जांचों के प्रयोजन हेतु बाजार अर्थव्यवस्था देश के रूप में माना गया हो या निर्धारित किया गया हो।

38. पैराग्राफ 7 सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए एक क्रमबद्ध ढांचा निर्धारित करता है और यह प्रावधान करता है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर किया जाएगा, अथवा ऐसे तृतीय देश से किसी अन्य देश, जिसमें भारत भी शामिल है, को निर्यात मूल्य के आधार पर किया जाएगा, या यदि यह संभव न हो, तो किसी भी उचित आधार पर किया जाएगा, जिसमें समान वस्तु के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत भी शामिल हो सकती है, जिसे आवश्यक होने पर उचित लाभ मार्जिन जोड़कर समायोजित किया जाएगा। इस प्रकार, प्राधिकरण यह नोट करता है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुसूची-1 में दिए गए विभिन्न क्रमिक विकल्पों को ध्यान में रखते हुए किया जाना आवश्यक है।
39. यह नोट किया जाता है कि इच्छुक पक्षों द्वारा प्रथम और द्वितीय विधियों के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्माण हेतु कोई जानकारी/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त जानकारी/साक्ष्य के अभाव में प्राधिकरण प्रथम या द्वितीय विधि के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने में असमर्थ है। अतः प्राधिकरण ने तृतीय विधि के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण करने का निर्णय लिया है, अर्थात् किसी अन्य उचित आधार पर, जिसमें जांच अवधि के दौरान भारत में वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत शामिल है। प्राधिकरण ने भारत में भुगतान की गई या देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण किया है। सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए, आवश्यक समायोजनों के पश्चात्, विक्रय, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा उचित लाभ जोड़कर किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य को डंपिंग मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

चीन पी आर के लिए निर्यात मूल्यसेनिक्स कंपनी लिमिटेड के लिए निर्यात मूल्य

40. सेनिक्स कंपनी लिमिटेड, आन्हुई, चीन जनवादी गणराज्य से विचाराधीन वस्तुओं का उत्पादक/निर्यातक है। जांच अवधि (पीओआई) के दौरान, सेनिक्स कंपनी लिमिटेड, आन्हुई ने अपने संबंधित निर्यातक/व्यापारी, अर्थात् सेनिक्स कंपनी लिमिटेड के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भारत को *** मीट्रिक टन विचाराधीन वस्तुएँ, जिनका चालान मूल्य *** चीनी युआन था, का विक्रय किया है।
41. सेनिक्स कंपनी लिमिटेड, शानदोंग, चीन जनवादी गणराज्य से विचाराधीन वस्तुओं का उत्पादक/निर्यातक है। जांच अवधि (पीओआई) के दौरान, सेनिक्स कंपनी लिमिटेड, शानदोंग ने अपने संबंधित निर्यातक/व्यापारी, अर्थात् सेनिक्स कंपनी लिमिटेड के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भारत को 32 मीट्रिक टन विचाराधीन वस्तुएँ, जिनका चालान मूल्य *** चीनी युआन था, का विक्रय किया है।
42. सेनिक्स कंपनी लिमिटेड, ताइआन, चीन जनवादी गणराज्य से विचाराधीन वस्तुओं का उत्पादक/निर्यातक है। जांच अवधि (पीओआई) के दौरान, सेनिक्स कंपनी लिमिटेड, ताइआन ने अपने संबंधित निर्यातकों/व्यापारियों, अर्थात् सेनिक्स कंपनी लिमिटेड तथा सेनिक्स सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भारत को *** मीट्रिक टन विचाराधीन वस्तुएँ, जिनका चालान मूल्य *** चीनी युआन था, का विक्रय किया है।
43. उत्पादकों/निर्यातकों ने यह दावा किया है कि कोई समायोजन आवश्यक नहीं है, क्योंकि भारत को बेची गई विचाराधीन वस्तुएँ एक्स-वर्क्स आधार पर बेची गई हैं।
44. तीनों उत्पादक एक ही समूह का हिस्सा हैं (सामूहिक रूप से सेनिक्स समूह के रूप में संदर्भित) और इसलिए डंपिंग मार्जिन तथा क्षति मार्जिन का निर्धारण पहले प्रत्येक व्यक्तिगत उत्पादक के लिए किया गया है और उसके पश्चात् समूह के लिए संयुक्त रूप से किया गया है।
45. इस प्रकार निर्धारित एक्स-फैक्टरी स्तर पर निर्यात मूल्य को नीचे दी गई डंपिंग मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

गैर-सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए निर्यात मूल्य

46. चीन जनवादी गणराज्य के गैर-सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य का निर्धारण नियमों के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रकार निर्धारित शुद्ध निर्यात मूल्य को नीचे दी गई डंपिंग मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

च.3(ख) यूरोपीय संघ के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य**यूरोपीय संघ के लिए सामान्य मूल्य**

47. यूरोपीय संघ से किसी भी इच्छुक पक्ष ने सहयोग नहीं किया है। यूरोपीय संघ के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमों के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य को नीचे दी गई डंपिंग मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

यूरोपीय संघ के लिए निर्यात मूल्य

48. यूरोपीय संघ से किसी भी इच्छुक पक्ष ने सहयोग नहीं किया है। यूरोपीय संघ के लिए निर्यात मूल्य का निर्धारण नियमों के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रकार निर्धारित शुद्ध निर्यात मूल्य को नीचे दी गई डंपिंग मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

च.3(ग) थाईलैंड के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य**सेनिक्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड के लिए सामान्य मूल्य**

49. सेनिक्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड थाईलैंड से विचाराधीन वस्तुओं का उत्पादक/निर्यातक है। सेनिक्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड ने जांच अवधि (पीओआई) के दौरान घरेलू बाजार में असंबंधित ग्राहकों को *** मीट्रिक टन विचाराधीन वस्तुएँ, जिनका चालान मूल्य *** थाई बाट था, का विक्रय किया है। सेनिक्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड की प्रतिक्रिया के आधार पर यह नोट किया गया है कि घरेलू बाजार में बिक्री पर्याप्त मात्रा में की गई है।
50. यह देखा गया है कि सेनिक्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड ने 4-एडीपीए अपने संबंधित इकाई सेनिक्स कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य से प्राप्त किया है, जिसने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है। अतः यह माना गया है कि सेनिक्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड द्वारा सेनिक्स कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य से 4-एडीपीए की वास्तविक क्रय कीमत पीएक्स-13 के उत्पादन से संबंधित लागत को उचित रूप से प्रतिबिंबित नहीं करती, और इसलिए सेनिक्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड द्वारा दर्शाई गई 4-एडीपीए की उपभोग कीमत को उत्पादन लागत निर्धारण के उद्देश्य से स्वीकार नहीं किया जा सकता। सेनिक्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड द्वारा दावा की गई पीएक्स-13 की शेष उत्पादन लागत को स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार पुनर्निर्मित पीएक्स-13 की संशोधित विक्रय लागत को सामान्य व्यापार प्रक्रिया परीक्षण के लिए ध्यान में रखा गया है।
51. उपरोक्त के दृष्टिगत, प्राधिकरण ने पीएक्स-13 के उत्पादन की लागत निर्धारित करने के उद्देश्य से 4-एडीपीए की अंतरराष्ट्रीय कीमत, अर्थात् जांच अवधि (पीओआई) में यूरोपीय संघ से 4-एडीपीए के आयात मूल्य को लिया है, जिसमें समुद्री भाड़ा, बीमा तथा बंदरगाह व्यय का समायोजन किया गया है। सेनिक्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड द्वारा दावा की गई पीएक्स-13 की शेष उत्पादन लागत को स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार पुनर्निर्मित पीएक्स-13 की संशोधित विक्रय लागत को सामान्य व्यापार प्रक्रिया परीक्षण के लिए ध्यान में रखा गया है।

52. उपरोक्त निर्धारित विक्रय लागत के आधार पर प्राधिकरण ने सामान्य व्यापार प्रक्रिया परीक्षण किया है। यदि लाभकारी लेन-देन 80 प्रतिशत से अधिक होते हैं, तो सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु घरेलू बाजार के सभी लेन-देन पर विचार किया जाता है। जहाँ लाभकारी लेन-देन 80 प्रतिशत से कम होते हैं, वहाँ सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु केवल लाभकारी घरेलू बिक्री को ही ध्यान में लिया जाता है। सामान्य व्यापार प्रक्रिया परीक्षण के आधार पर, चूँकि लाभकारी बिक्री 80 प्रतिशत से कम थी, इसलिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु केवल लाभकारी घरेलू बिक्री को ही लिया गया है।
53. सेनिक्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड ने एक्स-फैक्टरी स्तर पर निर्यात मूल्य प्राप्त करने हेतु आंतरिक परिवहन, ऋण लागत तथा बैंक शुल्क के संबंध में समायोजन का दावा किया है। प्राधिकरण ने डेस्क सत्यापन किया है तथा इच्छुक पक्ष द्वारा किए गए दावों की जांच की है। प्रतिवादी इच्छुक पक्ष द्वारा किए गए समायोजनों को स्वीकार कर लिया गया है। तदनुसार, सेनिक्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है, जिसे नीचे दी गई डंपिंग मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

सेनिक्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड के लिए निर्यात मूल्य

54. जांच अवधि (पीओआई) के दौरान सेनिक्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड ने *** मीट्रिक टन विचाराधीन वस्तुएँ, जिनका चालान मूल्य *** अमेरिकी डॉलर था, भारत को निर्यात की हैं। जांच अवधि में भारत को बेची गई विचाराधीन वस्तुओं में से कंपनी ने *** मीट्रिक टन का प्रत्यक्ष निर्यात किया है तथा *** मीट्रिक टन का अप्रत्यक्ष निर्यात एक असंबंधित निर्यातक/व्यापारी, अर्थात् अपोलो टायर्स होल्डिंग्स (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर के माध्यम से किया है। यह नोट किया गया है कि अपोलो टायर्स होल्डिंग्स (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर ने इस जांच में भाग नहीं लिया है और इसलिए प्राधिकरण के समक्ष सहयोग नहीं किया है। इस संबंध में यह देखा गया है कि सेनिक्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड द्वारा उत्पादित और भारत को निर्यात की गई विचाराधीन वस्तुओं की संपूर्ण चैनल संबंधी जानकारी प्राधिकरण को उपलब्ध नहीं कराई गई है। तथापि, सेनिक्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड द्वारा भारत को किए गए प्रत्यक्ष निर्यात को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने सेनिक्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड के लिए व्यक्तिगत निर्यात मूल्य निर्धारित करने का निर्णय लिया है। निर्यात मूल्य निर्धारित करने हेतु प्राधिकरण ने सेनिक्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड के भारत को किए गए प्रत्यक्ष निर्यात के वास्तविक निर्यात मूल्य तथा अपोलो टायर्स होल्डिंग्स (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर के संबंध में उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर श्रृंखला के लिए निर्यात मूल्य को ध्यान में लिया है।
55. उत्पादक/निर्यातक ने एक्स-फैक्टरी स्तर पर निर्यात मूल्य प्राप्त करने हेतु समुद्री भाड़ा, बीमा, आंतरिक परिवहन, बंदरगाह एवं अन्य संबंधित व्यय, ऋण लागत तथा बैंक शुल्क के संबंध में समायोजन का दावा किया है।
56. प्राधिकरण ने डेस्क सत्यापन किया है तथा इच्छुक पक्ष द्वारा किए गए दावों की जांच की है। इच्छुक पक्ष द्वारा किए गए समायोजनों को स्वीकार कर लिया गया है। तदनुसार, सेनिक्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड के लिए निर्यात मूल्य का निर्धारण किया गया है, जिसे नीचे दी गई डंपिंग मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

गैर-सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य

57. थाईलैंड के अन्य सभी गैर-सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य तथा निर्यात मूल्य का निर्धारण नियमों के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य तथा निर्यात मूल्य को नीचे दी गई डंपिंग मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

च.3(घ) कोरिया गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य**कुम्हो पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड के लिए सामान्य मूल्य**

58. कुम्हो पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड कोरिया गणराज्य से विचाराधीन वस्तुओं का उत्पादक/निर्यातक है। जांच अवधि (पीओआई) के दौरान कुम्हो पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड ने घरेलू बाजार में असंबंधित ग्राहकों को *** किलोग्राम विचाराधीन वस्तुएँ, जिनका चालान मूल्य *** कोरियाई वॉन था, का विक्रय किया है। कुम्हो पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड की प्रतिक्रिया के आधार पर यह नोट किया गया है कि घरेलू बाजार में बिक्री पर्याप्त मात्रा में की गई है।
59. प्राधिकरण यह नोट करता है कि 4-एडीपीए विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में एक प्रमुख कच्चा माल है। घरेलू उद्योग तथा कुम्हो पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत जानकारी से यह स्पष्ट होता है कि 4-एडीपीए, पीएक्स-13 के कुल उत्पादन लागत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभिलेख पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार 4-एडीपीए का उत्पादन मुख्यतः केवल चीनी एवं भारतीय उत्पादकों द्वारा किया जा रहा है, तथा कुछ मात्रा में इसका उत्पादन यूरोपीय संघ में भी होता है। प्रतिक्रिया देने वाले उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत जानकारी से यह दर्शित होता है कि कुम्हो पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड ने 4-एडीपीए की संपूर्ण आपूर्ति चीन जनवादी गणराज्य से प्राप्त की है। चीनी उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली उत्तर से यह ज्ञात होता है कि वे स्वयं अपना 4-एडीपीए उत्पादित करते हैं। चीन जनवादी गणराज्य के प्रतिक्रिया देने वाले उत्पादकों ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है।
60. वर्तमान जांच में कुम्हो पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में यह पाया गया है कि प्राधिकरण ने पूर्ववर्ती पाटन-रोधी (एंटी-डंपिंग) जांचों में भी सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु कंपनी द्वारा दर्शाई गई 4-एडीपीए की लागत को निरंतर अस्वीकार किया है। ऐसा कोई साक्ष्य अथवा तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो कि वर्तमान जांच में परिस्थितियों में कोई ऐसा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है जो उसी देश से संबंधित विचाराधीन वस्तु पर की गई पूर्व जांचों से भिन्न हो, जिनमें यही सहयोगी उत्पादक एवं निर्यातक सहभागी रहा था। यह भी देखा गया है कि उक्त विषय पर माननीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण द्वारा भी प्राधिकरण के दृष्टिकोण को स्वीकार किया गया था तथा तत्पश्चात माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी इसे बरकरार रखा गया, जिसके परिणामस्वरूप कुम्हो द्वारा दर्शाई गई 4-एडीपीए लागत के संबंध में अपनाए गए व्यवहार का प्रश्न अब अंतिम रूप से निर्णीत हो चुका है। माननीय अधिकरण के निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत किया गया है।
61. माननीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण ने अपने निर्णय, जो 2015 (322) ई.एल.टी. 514 (त्रि. - दिल्ली) में प्रकाशित है, में निम्नानुसार निर्णय दिया था:-

पाटन (डंपिंग) संबंधी जांचों में प्राधिकरण सामान्यतः मूल्य तथा लागत से संबंधित जानकारी प्राप्त करता है, ताकि यह जांचा जा सके कि क्या घरेलू बिक्री लागत से कम मूल्य पर की गई है। सामान्य मूल्य का निर्धारण करते समय, निर्यातक देश के घरेलू बाजार में समरूप उत्पाद की ऐसी बिक्री, जिसका मूल्य प्रति इकाई उत्पादन लागत (स्थिर एवं परिवर्ती) तथा विक्रय, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों से कम हो, मूल्य के कारण व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में की गई बिक्री नहीं मानी जाएगी। उक्त अधिनियम की धारा 9क(1)(ग)(i) के अंतर्गत निर्यातक देश में सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया में उपभोग हेतु अभिप्रेत समरूप वस्तु के तुलनीय मूल्य का निर्धारण करने के लिए, संबंधित अवधि के लेखों/अभिलेखों में प्रदर्शित बिक्री को सामान्यतः स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते कि वे अभिलेख उस वस्तु के उत्पादन एवं विक्रय से संबंधित लागत का यथोचित प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हों। तथापि, जब कोई प्रमुख कच्चा माल किसी गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश से आयात किया गया हो, तब अभिलेखों में दर्शाए गए विक्रय मूल्य की सावधानीपूर्वक जांच करना आवश्यक होगा, ताकि प्रयुक्त कच्चे माल के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था मूल्य के कारण उत्पन्न विकृति का पता लगाकर उसे दूर किया जा सके। इसके लिए उस कच्चे माल की वास्तविक लागत का निर्धारण किया जाना आवश्यक है, जिससे संबंधित वस्तु की विकृत उत्पादन लागत को संशोधित किया जा सके। जब संबंधित कच्चा माल किसी गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश में उत्पादित किया गया हो, तब प्राधिकरण द्वारा अभिलेखों में दर्शाए गए घरेलू विक्रय मूल्य को अस्वीकार करना उचित है, क्योंकि ऐसे कच्चे माल का मूल्य विकृत होता है और वह सामान्य बाजार अर्थव्यवस्था में प्रचलित क्रय मूल्य का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होता। गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों में मूल्य एवं लागत को सामान्य मूल्य की गणना के लिए उपयुक्त आधार के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि वे सरकार द्वारा नियंत्रित एवं विनियमित होते हैं और बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित नहीं होते। चीन से भारत को 4-एडीपीए के निर्यात मूल्य भी इसी प्रकार की विकृतियों से प्रभावित होंगे। अतः हमारे विचार में, किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश से भारत में 4-एडीपीए के आयात संबंधी आंकड़ों से प्रमाणित अंतरराष्ट्रीय मूल्य, 4-एडीपीए के वास्तविक मूल्य के निर्धारण के लिए एक न्यायसंगत एवं उपयुक्त आधार है।”**

62. माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 08.05.2015 को कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स कंपनी लिमिटेड द्वारा माननीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण के अंतिम आदेश सं. एडी/ क/54808-54810/2014- सी.यू. (डीबी) दिनांक 26.12.2014, जो 2015 (322) ई.एल.टी. 514 (त्रि.-दिल्ली) में कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स कंपनी लिमिटेड बनाम नामित प्राधिकारी के रूप में प्रकाशित है, के विरुद्ध दायर विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) सं. 12086-12087/2015 तथा विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) सी.सी. सं. 8088/2015 का निस्तारण किया। उक्त याचिकाओं का निस्तारण करते समय माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया: –
विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) सं. 12086-12087/2015।

“याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने, प्राप्त निर्देशों के आधार पर, इन विशेष अनुमति याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति इस न्यायालय से मांगी है, इस स्वतंत्रता के साथ कि यदि याचिकाकर्ता ऐसा उचित समझें, तो वे नामित प्राधिकारी, अर्थात् पाटन-रोधी तथा संबद्ध शुल्क महानिदेशक, द्वारा पारित किए जाने वाले आदेश की वैधता अथवा शुद्धता को किसी सक्षम मंच के समक्ष चुनौती दे सकेंगे तथा इस संबंध में उनके लिए उपलब्ध सभी तर्कों एवं अभ्यावेदनों को, जिनमें इन विशेष अनुमति याचिकाओं में उठाए गए तर्क भी सम्मिलित हैं, प्रस्तुत कर सकेंगे।”

63. कुम्हो ने पुनः रिमांड (वापसी) संबंधी निष्कर्ष को माननीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण (सेस्टैट) के समक्ष चुनौती दी। माननीय अधिकरण ने अपने अंतिम आदेश संख्या एडी/एन/53452-53453/2016- सी.यू. (डीबी), दिनांक 09.09.2016, जो 2016 (342) ई.एल.टी. 573 (त्रि.-दिल्ली) के रूप में प्रकाशित है, द्वारा अपील को खारिज कर दिया तथा निम्नानुसार निर्णय दिया :-

*हमने सभी संबंधित पक्षों को सुना है तथा अपील अभिलेखों, जिसमें लिखित प्रस्तुतियाँ भी सम्मिलित हैं, का अवलोकन किया है। हम यह पाते हैं कि अपील के प्रथम चरण में अधिकरण ने निर्णय हेतु दो मुद्दों की जांच की थी। पहला मुद्दा 6' पीपीडी (विचाराधीन वस्तुओं में से एक) के उत्पादन हेतु लागत संरचना की शुद्धता से संबंधित था, ताकि सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जा सके और परिणामस्वरूप उक्त वस्तु के लिए डंपिंग मार्जिन तथा क्षति (हानि) के निर्धारण का निर्णय लिया जा सके। विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात अधिकरण ने अभिलिखित किया कि नामित प्राधिकारी ने सिनांग्किम से प्राप्त 4-एडीपीए की कीमत को विधिवत रूप से अस्वीकार किया था तथा 6-पीपीडी के लिए सामान्य मूल्य के निर्माण हेतु 4-एडीपीए के अंतरराष्ट्रीय मूल्य को आधार बनाया गया, जो इसका मुख्य कच्चा माल है। अधिकरण ने चीन से 4-एडीपीए की कीमत को अस्वीकार करने तथा 4-एडीपीए के अंतरराष्ट्रीय मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने को बरकरार रखा। अतः, अपीलकर्ताओं के लिए सामान्य मूल्य के निर्माण में नामित प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई पद्धति से संबंधित मुद्दा अंतिम रूप से निर्णीत हो चुका है। अधिकरण के इस निष्कर्ष को किसी उच्चतर न्यायिक मंच के समक्ष चुनौती नहीं दी गई है।”****

64. माननीय उच्चतम न्यायालय की पीठ ने दिनांक 13.02.2017 को कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स कंपनी लिमिटेड द्वारा माननीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण के अंतिम आदेश सं. एडी/क/53452-53453/2016- सी.यू. (डीबी), दिनांक 09.09.2016, जो 2016 (342) ई.एल.टी. 573 (त्रि.-दिल्ली) में रिशिरूप पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ के रूप में प्रकाशित है, के विरुद्ध दायर विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) सं. 3079/2017 को खारिज कर दिया। उक्त याचिका का निस्तारण करते समय माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया: -

“विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।”

65. उपर्युक्त के दृष्टिगत, यह स्पष्ट है कि उक्त विषय को नामित प्राधिकारी द्वारा पहले ही निपटा दिया गया है तथा माननीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण (सेस्टैट) एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी इसे पुष्टि सहित बरकरार रखा गया है, जिसमें यह माना गया है कि नामित प्राधिकारी ने कुम्हो पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा दर्शाई गई 4-एडीपीए की उपभोग लागत को स्वीकार नहीं किया है।
66. वर्तमान जांच में कुम्हो पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड 4-एडीपीए का अधिकांश भाग उसी गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले कंपनी से प्राप्त करना जारी रखे हुए है, जिसके साथ कुम्हो पेट्रोकेमिकल का पूर्व में विशेष संबंध होने की सूचना दी गई थी। वर्तमान जांच में प्राधिकरण के समक्ष कोई तथ्य या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो कि उक्त कंपनी की स्थिति अथवा दोनों कंपनियों की व्यावसायिक गतिविधियों में प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए निर्धारण के पश्चात किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हुआ है।

67. यह देखा गया है कि कुम्हो पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड ने 4-एडीपीए का संपूर्ण स्रोत चीन जनवादी गणराज्य की सेनिक्स कंपनी लिमिटेड से प्राप्त किया है। आगे यह भी पाया गया है कि यद्यपि कुम्हो पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड ने पूर्व में विचाराधीन उत्पाद से संबंधित जांचों में सेनिक्स के साथ विशेष संबंध होने की सूचना दी थी, तथापि वर्तमान जांच में प्राधिकरण के समक्ष ऐसा कोई तथ्य या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रदर्शित हो कि प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए निर्धारण के पश्चात उक्त कंपनी की स्थिति अथवा दोनों कंपनियों की व्यावसायिक गतिविधियों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हुआ है।
68. घरेलू उद्योग द्वारा यह जानकारी प्रस्तुत की गई है कि चीन से कोरिया को 4-एडीपीए का निर्यात मूल्य, चीन से शेष विश्व को किए जाने वाले निर्यात मूल्य से कम है। अतः यह माना गया है कि वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए, कुम्हो पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा उक्त गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाली कंपनी से 4-एडीपीए की वास्तविक क्रय कीमत का उपयोग पीएक्स-13 (6 पीपीडी) के उत्पादन से संबंधित लागत को यथोचित रूप से प्रतिबिंबित नहीं करेगा। इसलिए, कुम्हो पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा दर्शाई गई 4-एडीपीए की उपभोग कीमत को उत्पादन लागत के निर्धारण के उद्देश्य से स्वीकार नहीं किया जा सकता।
69. उपर्युक्त के दृष्टिगत, प्राधिकरण ने पीएक्स-13 के उत्पादन की लागत के निर्धारण हेतु 4-एडीपीए के अंतरराष्ट्रीय मूल्य, अर्थात् जांच अवधि (पीओआई) में यूरोपीय संघ से 4-एडीपीए के आयात मूल्य को आधार माना है, जिसमें समुद्री भाड़ा, बीमा तथा आंतरिक भाड़ा जैसे समायोजन जोड़कर उसे समायोजित किया गया है। पीएक्स-13 की उत्पादन लागत के शेष मदों को, जैसा कि कुम्हो पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा दावा किया गया है, स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार निर्मित पीएक्स-13 की संशोधित बिक्री लागत को सामान्य व्यापार प्रक्रिया (व्यापार के सामान्य क्रम में) परीक्षण के लिए ध्यान में रखा गया है।
70. उपर्युक्त रूप से निर्धारित बिक्री लागत के आधार पर प्राधिकरण ने सामान्य व्यापार प्रक्रिया (व्यापार के सामान्य क्रम में) परीक्षण किया है। यदि लाभकारी लेन-देन 80 प्रतिशत से अधिक होते हैं, तो सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु प्राधिकरण घरेलू बाजार के सभी लेन-देन को ध्यान में लेता है। यदि लाभकारी लेन-देन 80 प्रतिशत से कम होते हैं, तो सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु केवल लाभकारी घरेलू बिक्री को ही विचार में लिया जाता है। सामान्य व्यापार प्रक्रिया परीक्षण के आधार पर, चूँकि लाभकारी बिक्री 80 प्रतिशत से कम थी, इसलिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु केवल लाभकारी घरेलू बिक्री को ही लिया गया है।
71. कुम्हो पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड ने आंतरिक परिवहन, ऋण लागत तथा पैकिंग शुल्क के मद में समायोजन (एडजस्टमेंट) का दावा किया है। प्राधिकरण ने डेस्क सत्यापन किया है तथा संबंधित पक्ष द्वारा किए गए दावों की जांच की है। संबंधित पक्ष द्वारा किए गए समायोजन दावों को स्वीकार कर लिया गया है। तदनुसार, कुम्हो पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है, जिसे नीचे दी गई डंपिंग मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

कुम्हो पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड का निर्यात मूल्य

72. जांच अवधि (पीओआई) के दौरान कुम्हो पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड ने भारत को 1,325 मीट्रिक टन विचाराधीन वस्तुओं का निर्यात किया है, जिनका चालान मूल्य *** अमेरिकी डॉलर है। जांच अवधि में भारत को निर्यातित

विचाराधीन वस्तुओं में से कंपनी ने *** मीट्रिक टन का प्रत्यक्ष निर्यात किया तथा *** मीट्रिक टन का अप्रत्यक्ष निर्यात असंबद्ध निर्यातकों/व्यापारियों, अर्थात् अपोलो टायर्स होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर तथा पोस्को इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के माध्यम से किया है। यह पाया गया है कि पोस्को इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है तथा भारत को निर्यात की श्रृंखला से संबंधित जानकारी दी है। तथापि, अपोलो टायर्स होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने प्राधिकरण के समक्ष सहयोग नहीं किया है। इस संदर्भ में यह देखा गया है कि कुम्हो पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा उत्पादित एवं भारत को निर्यातित विचाराधीन वस्तुओं की संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला संबंधी जानकारी प्राधिकरण को उपलब्ध नहीं कराई गई है, क्योंकि असंबद्ध निर्यातक, जिसने कुम्हो से वस्तुएँ प्राप्त की थीं, द्वारा कुछ आवश्यक जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। तथापि, कुम्हो पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा भारत को किए गए प्रत्यक्ष निर्यात तथा सहयोगी निर्यातक पोस्को इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के माध्यम से किए गए अप्रत्यक्ष निर्यात को ध्यान में रखते हुए, कुम्हो पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड के लिए एक पृथक (व्यक्तिगत) निर्यात मूल्य निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। शुद्ध निर्यात मूल्य के निर्धारण हेतु प्राधिकरण ने उस श्रृंखला के वास्तविक निर्यात मूल्य को ध्यान में लिया है, जिसमें कुम्हो पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड के भारत को प्रत्यक्ष निर्यात तथा पोस्को इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन द्वारा किए गए अप्रत्यक्ष निर्यात सम्मिलित हैं, साथ ही अपोलो टायर्स होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्यात मूल्य भी लिया गया है।

73. उत्पादक/निर्यातक ने निर्यात मूल्य को कारखाना स्तर (एक्स-फ़ैक्ट्री स्तर) पर निर्धारित करने हेतु समुद्री भाड़ा, बीमा, आंतरिक परिवहन, बंदरगाह व्यय तथा अन्य शुल्कों के मद में समायोजन का दावा किया है।
74. प्राधिकरण ने डेस्क सत्यापन किया है तथा प्रतिवादी द्वारा किए गए दावों की जांच की है। प्रतिवादी द्वारा दावा किए गए समायोजन स्वीकार कर लिए गए हैं। तदनुसार, कुम्हो पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड के लिए निर्यात मूल्य निर्धारित किया गया है, जिसे नीचे दी गई डंपिंग मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य एवं निर्यात मूल्य

75. कोरिया गणराज्य के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य तथा निर्यात मूल्य नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य को नीचे दी गई डंपिंग मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

च.3(ड) डंपिंग मार्जिन

76. डंपिंग मार्जिन नीचे अनुसार निर्धारित किया गया है।

क्र. सं.	विवरण	सामान्य मूल्य/संरचित सामान्य मूल्य (CNV)	निर्यात मूल्य	डंपिंग मार्जिन		
				\$/एमटी	%	सीमा
1	चीन जनवादी गणराज्य					
a	सेनिक्स कंपनी लिमिटेड,	***	***	***	***	40-50

	अनहुई; सेनिक्स कंपनी लिमिटेड, शेडोंग; तथा सेनिक्स कंपनी लिमिटेड, ताइआन					
b	अन्य सभी	***	***	***	***	60-70
2	थाईलैंड					
a	सेनिक्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	10-20
b	अन्य सभी	***	***	***	***	20-30
3	कोरिया					
a	कुम्हो पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	20-30
b	अन्य सभी	***	***	***	***	30-40
4	यूरोपीय संघ					
a	सभी उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	20-30

ज. क्षति का आकलन एवं कारणात्मक संबंध

छ.1 विरोधी हितबद्ध पक्ष द्वारा प्रस्तुति

77. विरोधी हितधारी पक्ष ने क्षति के आकलन तथा कारणात्मक संबंध के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी हैं:
- चीन जनवादी गणराज्य से आयात 2020-21 से 2023-24 तक लगातार घटते रहे हैं, जबकि इसी अवधि में मांग/उपभोग में वृद्धि हुई है। इसी दौरान, आवेदक की बिक्री लगभग स्थिर बनी रही है।
 - कुल आयात मात्रा 2021-22 में 10,267 मीट्रिक टन से घटकर जांच अवधि में 10,245 मीट्रिक टन रह गई, अर्थात् केवल मामूली कमी हुई है। आयात मात्रा में यह लगभग स्थिर प्रवृत्ति आवेदक के प्रदर्शन में तीव्र गिरावट से युक्तिसंगत रूप से संबंधित नहीं की जा सकती।
 - चीन जनवादी गणराज्य से आयात मूल्य कोरिया गणराज्य की तुलना में कम है तथा जांच अवधि में चीन से आयात मात्रा सर्वाधिक है। अतः कोरिया से आयातों को चीन के आयातों के साथ जोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे कोरिया से आयातों के कारण होने वाली क्षति को गलत रूप से आवेदक पर आरोपित किया जाएगा।
 - कोरिया गणराज्य से विचाराधीन वस्तुओं के आयात की मात्रा आवेदक को क्षति का कारण नहीं हो सकती, क्योंकि जांच अवधि में ये आयात घटे हैं तथा चीन और थाईलैंड की तुलना में काफी कम रहे हैं।
 - यद्यपि चीन जनवादी गणराज्य से आयातों का लैंडेड मूल्य घटा है, तथापि मूल्य अंडरकटिंग कम या कुछ वर्षों में नकारात्मक भी रही है।
 - आवेदक की लाभप्रदता यह दर्शाती है कि कोई मूल्य अंडरसैलिंग नहीं है, क्योंकि घरेलू बिक्री मूल्य और आयातों का लैंडेड मूल्य दोनों ही आवेदक की उत्पादन लागत से अधिक हैं।

- vii. कोई मूल्य दमन (मूल्य दमन) या मूल्य अवसाद (मूल्य अवसाद) नहीं है, क्योंकि आवेदक का विक्रय मूल्य उसके लागत प्रवृत्ति के अनुरूप रहा है।
- viii. टायर और रबर उद्योग में वैश्विक मांग में स्पष्ट मंदी आई है, जो कमजोर आर्थिक परिस्थितियों और प्रमुख अंतिम-उपयोग क्षेत्रों में खपत में कमी के कारण है, जिसे आवेदक ने भी स्वीकार किया है। आवेदक के मूल्य और लाभ अंतरराष्ट्रीय प्रवृत्तियों के अनुरूप हैं, न कि आयातों के कारण।
- ix. 2023-24 और जांच अवधि में उत्पादन एवं क्षमता उपयोग में गिरावट विचाराधीन आयातों के कारण नहीं, बल्कि आवेदक के अपने क्षमता विस्तार निर्णयों से संबंधित है।
- x. चीन जनवादी गणराज्य से “एन,एन-डाइसाइक्लोहेक्सिल कार्बोडाइइमाइड (डीसीसी)” के आयात संबंधी एंटी-डंपिंग जांच में प्राधिकरण ने माना था कि नई इकाइयों से संबंधित स्टार्ट-अप लागत, अक्षमता और कम क्षमता उपयोग कारणात्मकता निर्धारण में प्रासंगिक कारक हैं।
- xi. 2020-21 से 2023-24 के दौरान दो अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री 2021-22 के 100 सूचकांक स्तर से बढ़कर जांच अवधि में 151 सूचकांक स्तर तक पहुँच गई है, जो मुख्यतः चीन जनवादी गणराज्य से 4-एडीपीए की प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्धता के कारण है।
- xii. 2021-22 से जांच अवधि तक इन दो घरेलू उत्पादकों ने उत्पादन में 21% वृद्धि तथा बाजार हिस्सेदारी में 45% वृद्धि की है, जो चीन से सस्ते 4-एडीपीए की उपलब्धता के कारण संभव हुआ है।
- xiii. मांग में कोई वास्तविक वृद्धि नहीं हुई है (2022-23 को आधार वर्ष मानते हुए केवल 6 सूचकांक अंकों की वृद्धि हुई है), अतः अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री वृद्धि मांग विस्तार के कारण नहीं बल्कि घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण है।
- xiv. स्थिर मांग की स्थिति में, यद्यपि आयातों में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है, आवेदक की बिक्री में मामूली गिरावट सामान्य व्यावसायिक समायोजन है और इसे आयातों द्वारा विस्थापन नहीं माना जा सकता।
- xv. चीन जनवादी गणराज्य, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका से कोटेड पेपर के मामले में प्राधिकरण ने 26 दिसंबर 2018 के अंतिम निष्कर्ष में यह माना था कि क्षति केवल एक उत्पादक तक सीमित थी और अन्य घरेलू उत्पादकों ने सुधार दर्शाया था, इसलिए जांच समाप्त कर दी गई थी।
- xvi. आयातों में कोई वृद्धि नहीं होने के बावजूद आवेदक की लाभप्रदता में उल्लेखनीय गिरावट आई है।
- xvii. आवेदक की लागत में वृद्धि तथा लाभप्रदता में गिरावट एनीलिन पर एंटी-डंपिंग शुल्क के कारण है, न कि कोरिया से पीएक्स-13 के आयातों के कारण। आवेदक ने एनीलिन पर शुल्क हटाने हेतु मध्यावधि समीक्षा का भी अनुरोध किया था।
- xviii. लाभप्रदता में गिरावट अवमूल्यन (मूल्यहास) लागत तथा ब्याज लागत में वृद्धि के साथ मेल खाती है, जो 2023-24 में क्षमता विस्तार/पूंजी निवेश के कारण है।
- xix. ब्याज लागत आधार वर्ष में 100 सूचकांक से बढ़कर जांच अवधि में 155 हो गई है, जिसके कारण कर पूर्व लाभ 2022-23 के 212 सूचकांक से घटकर जांच अवधि में मात्र 19 रह गया है।
- xx. आवेदक की निर्यात बिक्री कीमतें, जो घरेलू प्रतिस्पर्धा से अप्रभावित हैं, घरेलू बिक्री कीमतों के समान ही गिरावट दर्शाती हैं। इसलिए यह गिरावट व्यापक बाजार परिस्थितियों तथा आवेदक के व्यावसायिक निर्णयों को दर्शाती है।
- xxi. प्राधिकरण को 22% निश्चित पूंजी नियोजित प्रतिफल (नियोजित पूंजी पर रिटर्न) पद्धति पर पुनर्विचार करना चाहिए तथा उचित प्रतिफल के लिए वास्तविक ऐतिहासिक अवधि के आंकड़ों को आधार बनाना चाहिए।

- xxii. आयात कीमतों में गिरावट अंतरराष्ट्रीय बाजार स्थितियों का परिणाम है, न कि घरेलू उद्योग पर आयात-जनित दबाव का।

छ.2 आवेदक द्वारा प्रस्तुतीकरण

78. आवेदक ने क्षति के आकलन तथा कारणात्मक संबंध के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी हैं:

- i. रबर रसायन विभिन्न देशों में उत्पादित किए जाते हैं, जिनमें प्रमुख उत्पादक देश चीन जनवादी गणराज्य, यूरोप, भारत, कोरिया गणराज्य तथा थाईलैंड हैं।
- ii. चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य तथा थाईलैंड में स्थापित उत्पादन क्षमताएँ उनके घरेलू मांग स्तर से कहीं अधिक हैं।
- iii. सेनिक्स कंपनी लिमिटेड, जो पहले से चीन जनवादी गणराज्य में एक बड़ा रबर रसायन संयंत्र संचालित कर रही है, ने अब थाईलैंड में भी एक संयंत्र स्थापित किया है। उत्पादकों ने भौगोलिक लाभ प्राप्त करने हेतु विभिन्न देशों में अपनी क्षमताएँ स्थापित की हैं।
- iv. वर्ष 2023-24 में संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी व्यय में कटौती तथा आर्थिक मंदी से प्रभावित यूरोप की स्थिति के कारण वैश्विक मांग में सुस्ती देखी गई। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मांग घटने तथा आपूर्ति बढ़ने के कारण घरेलू एवं निर्यात बाजारों में मूल्य एवं मात्रा पर दबाव पड़ा।
- v. विचाराधीन उत्पाद की मांग जांच अवधि के दौरान लगातार बढ़ी है। जबकि वैश्विक मांग में गिरावट आई, भारतीय मांग बढ़ी तथा भारत में आयात भी बढ़े।
- vi. विषय देशों से आयात 2022-23 में घटे, 2023-24 में बढ़े तथा जांच अवधि में पुनः वृद्धि हुई।
- vii. भारतीय उत्पादन एवं उपभोग के अनुपात में आयात 2022-23 में घटे तथा उसके पश्चात 2023-24 और जांच अवधि में बढ़े।
- viii. जांच अवधि में आयातों का लैंडेड मूल्य आवेदक के विक्रय मूल्य से कम था। मूल्य अंडरकटिंग सकारात्मक तथा महत्वपूर्ण रही।
- ix. जांच अवधि में आवेदक के मूल्य दबाव (मूल्य अवसाद) की स्थिति देखी गई।
- x. 2020-21 से 2023-24 के दौरान चीन जनवादी गणराज्य से आयातों में मामूली गिरावट के बावजूद, 2022-23 को छोड़कर (चीन की शून्य कोविड नीति के प्रभाव के कारण), लैंडेड मूल्य लगातार आवेदक के विक्रय मूल्य से नीचे रहा।
- xi. 2023-24 तथा जांच अवधि में आवेदक की क्षमता में मामूली वृद्धि हुई, जो डिबॉटलनेकिंग के कारण थी।
- xii. 2022-23 में उत्पादन एवं क्षमता उपयोग में गिरावट आई तथा 2023-24 में और कमी हुई। जांच अवधि में उत्पादन में मामूली वृद्धि के बावजूद घरेलू बिक्री नहीं बढ़ पाई।
- xiii. जांच अवधि के दौरान आवेदक की क्षमता उपयोगिता में गिरावट दर्ज की गई।
- xiv. घरेलू बिक्री मात्रा एवं मूल्य 2022-23 में बढ़े, तत्पश्चात 2023-24 में घटे तथा जांच अवधि में और घटे। मूल्य के संदर्भ में गिरावट, मात्रा की तुलना में अधिक रही।
- xv. आवेदक के पास पूरे अवधि में महत्वपूर्ण अप्रयुक्त क्षमता उपलब्ध रही, यद्यपि देश में पर्याप्त मांग मौजूद थी।
- xvi. भारत में स्थापित क्षमता देश की संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। यदि डंपिंगयुक्त आयात न होते, तो आवेदक अधिक उत्पादन एवं बिक्री कर सकता था।

- xvii. पर्याप्त क्षमता उपलब्ध होने के बावजूद, जांच अवधि में आवेदक की बाजार हिस्सेदारी लगातार घटती रही।
- xviii. जांच अवधि के दौरान आवेदक की इन्वेंट्री लगातार बढ़ी।
- xix. 2022-23 में आयात कीमतों में वृद्धि के साथ आवेदक की लाभप्रदता बढ़ी, किंतु 2023-24 में डंपिंग पुनः बढ़ने पर लाभ में तीव्र गिरावट आई, जो जांच अवधि में और घट गई। प्रति इकाई लाभ, प्राधिकरण द्वारा सामान्य मूल्य हेतु माने गए उचित लाभ से कम है।
- xx. नकद लाभ 2023-24 में तीव्र रूप से घटा तथा जांच अवधि में और गिरा। पूरे अवधि में नकद लाभ में 67% तथा कर पूर्व लाभ में 70% की गिरावट हुई है।
- xxi. आवेदक के वेतन में वृद्धि हुई है। कर्मचारियों की संख्या तथा उत्पादकता 2022-23 में बढ़ी और उसके पश्चात घट गई। ये कारक अन्य कई परिस्थितियों पर निर्भर हैं और डंपिंग के प्रभाव को सीधे नहीं दर्शाते।
- xxii. डंपिंगयुक्त आयातों ने आवेदक की वृद्धि तथा पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता दोनों को प्रभावित किया है। भारत में मांग-आपूर्ति अंतर न होने के बावजूद आवेदक मात्रा एवं मूल्य दोनों स्तरों पर प्रभावित हुआ है।
- xxiii. आयात कीमतों ने घरेलू बाजार में आवेदक की कीमतों को सीधे प्रभावित किया है। लैंडेड मूल्य आवेदक की लागत तथा विक्रय मूल्य दोनों से कम रहा है।
- xxiv. अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री एवं बाजार हिस्सेदारी 2023-24 तक बढ़ी, लेकिन जांच अवधि में घट गई जब आयात बढ़े। अन्य उत्पादकों की बिक्री बढ़ने के बावजूद आवेदक की बिक्री नहीं घटी।
- xxv. 4-एडीपीए का भारत में डंपिंग हो रहा है तथा 2022-23 में यह और तीव्र हुआ, जिससे अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री बढ़ी।
- xxvi. जांच अवधि के पश्चात भी डंपिंग में वृद्धि हुई है। सीआईएफ आयात मूल्य में लगातार गिरावट आई है, जबकि आवेदक की लागत में कमी, आयात कीमतों की तुलना में कम रही है।
- xxvii. अप्रैल 2025 से कोरिया से आयात भारत-कोरिया सीईपीए के अंतर्गत बिना सीमा शुल्क के क्लियर हो रहे हैं, जिससे आयात मूल्य में तीव्र गिरावट आई है।
- xxviii. चूँकि कोरिया एवं थाईलैंड से आयात अब बिना एंटी-डंपिंग शुल्क के हो रहे हैं, इसलिए चोट मार्जिन गणना में मूल सीमा शुल्क को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
- xxix. यद्यपि जांच अवधि में आवेदक लाभ में था, किंतु जांच अवधि के पश्चात उसे भारी हानि, नकद हानि तथा नकारात्मक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का सामना करना पड़ा है।
- xxx. डंपिंग मार्जिन डी मिनिमिस से ऊपर तथा महत्वपूर्ण है।
- xxxi. डब्ल्यूटीओ एंटी-डंपिंग समझौते के अनुसार कारणात्मक संबंध हेतु केवल 'एक' कारणात्मक संबंध का होना पर्याप्त है, न कि 'एकमात्र' कारण होना आवश्यक है।
- xxxii. एनीलिन पर एंटी-डंपिंग शुल्क लागत बढ़ाता है, लेकिन यह पूरे अवधि में लागू था जबकि पूरे अवधि में आवेदक को समान स्तर की क्षति नहीं हुई। इसलिए यह एकमात्र कारण नहीं हो सकता।
- xxxiii. डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय (यूरोपीय संघ – बायोडीज़ल) के अनुसार प्राधिकरण को उन कारकों पर गैर-आरोपण विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है जो घरेलू उद्योग की अंतर्निहित विशेषताएँ हैं और जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
- xxxiv. माननीय सेस्टैट ने निष्पॉन ज़ियोन मामले में कहा है कि क्षति का निर्धारण आदर्श परिस्थितियों के आधार पर नहीं बल्कि वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए।

- xxxv. ब्याज लागत और अवमूल्यन लागत कुल लागत का केवल 0.14% एवं 2.9% है। इसके बावजूद कर पूर्व लाभ एवं नकद लाभ में तीव्र गिरावट हुई है।
- xxxvi. प्राधिकरण एवं सेस्टैट ने यह स्वीकार किया है कि जब तक विपरीत पक्ष उचित प्रमाण न दे, तब तक 22% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उपयुक्त माना जाएगा।
- xxxvii. तांगशान सान्योउ मामले में सेस्टैट ने कहा कि 22% रिटर्न को चुनौती देने हेतु कोई साक्ष्य न होने पर प्राधिकरण की स्थापित प्रथा को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।
- xxxviii. आवेदक द्वारा वैश्विक बाजार व्यवधान संबंधी दावे केवल अनुमानात्मक हैं तथा किसी विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं।
- xxxix. चीन में कथित अतिरिक्त क्षमता तथा डंपिंग की मंशा के दावे निराधार एवं अप्रमाणित हैं।
- xl. वर्तमान जांच एक नई जांच है जिसमें चोट लगने का खतरा का आरोप नहीं है, इसलिए पोस्ट पीरियड डेटा पर विचार का कोई आधार नहीं है।
- xli. एनओसीआईएल लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधन के निवेशक कॉल यह दर्शाते हैं कि आवेदक पर आयातों का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है तथा पोस्ट जांच अवधि में उसकी स्थिति मजबूत रही है।

छ.3 प्राधिकरण द्वारा जांच।

79. पाटन-रोधी नियमावली के नियम 11 को अनुसूची II के साथ पढ़ते हुए यह प्रावधान है कि क्षति (Injury) का निर्धारण उन सभी कारकों के परीक्षण को सम्मिलित करेगा जो घरेलू उद्योग को क्षति की ओर इंगित कर सकते हैं, “... जिसमें सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखा जाएगा, जिनमें डंप किए गए आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में उनकी कीमतों पर प्रभाव तथा ऐसे आयातों का संबंधित घरेलू उत्पादकों पर पड़ने वाला परिणामी प्रभाव शामिल है...”¹ भारत में घरेलू उद्योग पर डंप किए गए आयातों के प्रभाव के परीक्षण हेतु, उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले संकेतकों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, इन्वेंट्री, लाभप्रदता, शुद्ध बिक्री प्राप्ति, डंपिंग की मात्रा एवं मार्जिन आदि पर विचार किया गया है, जो पाटन-रोधी नियमावली की अनुसूची II के अनुरूप है।
80. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटनकारी आयातों के प्रभाव के परीक्षण हेतु, उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, इन्वेंट्री, लाभप्रदता, शुद्ध बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा एवं मार्जिन आदि पर विचार किया गया है, जो नियमावली की अनुसूची II के अनुरूप है।
81. प्राधिकरण ने घरेलू उद्योग तथा अन्य हितधारी पक्षों द्वारा क्षति एवं कारणात्मक संबंध के संबंध में प्रस्तुत विभिन्न अभ्यावेदनों पर ध्यान दिया है। हितधारी पक्षों द्वारा क्षति एवं कारणात्मक संबंध के संबंध में किए गए वे अभ्यावेदन, जिन्हें प्राधिकरण द्वारा प्रासंगिक माना गया है, उनका परीक्षण किया गया है तथा उनका निराकरण निम्नानुसार किया गया है।
82. हितधारी पक्षों द्वारा दिए गए इस अभ्यावेदन के संदर्भ में कि वैश्विक मांग में गिरावट के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, प्राधिकरण ने केवल घरेलू परिचालन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है। प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि विषय देशों से आयात डंप किए गए मूल्यों पर पाए गए हैं। यदि वैश्विक मांग में गिरावट वास्तव में क्षति का कारण होती, तो घरेलू उद्योग के निर्यात मात्रा में भी गिरावट होती। तथापि, उपलब्ध रिकॉर्ड से यह स्पष्ट

होता है कि जांच अवधि में निर्यात मात्रा में वृद्धि हुई है। अतः टायर एवं रबर उद्योग में वैश्विक मांग में गिरावट घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं है।

83. हितधारी पक्षों द्वारा यह दावा किया गया है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट अवमूल्यन लागत तथा ब्याज लागत में वृद्धि के साथ मेल खाती है। प्राधिकरण यह नोट करता है कि जांच अवधि में ब्याज लागत का हिस्सा कुल लागत में केवल [0.14] प्रतिशत है। इसी प्रकार, अवमूल्यन लागत कुल लागत का मात्र [2.9] प्रतिशत है। कुल उत्पादन लागत में इतने कम हिस्से को देखते हुए, ये कारक घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं हो सकते। यह भी देखा गया है कि घरेलू उद्योग के नकद लाभ, ब्याज से पूर्व लाभ, ब्याज एवं अवमूल्यन से पूर्व लाभ तथा निवेश पर प्रतिफल में भी गिरावट आई है। अतः अवमूल्यन एवं ब्याज लागत घरेलू उद्योग को हुई क्षति का एकमात्र कारण नहीं हो सकते।
84. हितधारी पक्षों द्वारा यह दावा किया गया है कि बिक्री लागत में वृद्धि तथा उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट चीन जनवादी गणराज्य से आयातित एनीलिन (जो 4-एडीपीए के उत्पादन हेतु कच्चा माल है) पर लगाए गए पाटन-रोधी शुल्क के कारण हुई है। प्राधिकरण यह नोट करता है कि पाटन-रोधी शुल्क संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान लागू रहे हैं। यदि ये कारक वास्तव में क्षति का कारण होते, तो घरेलू उद्योग को पूरी क्षति अवधि के दौरान हानि होती तथा उसकी लाभप्रदता में इस अवधि के दौरान गिरावट नहीं देखी जाती।
85. हितधारी पक्षों द्वारा यह दावा किया गया है कि अन्य घरेलू उत्पादकों का उत्पादन, बिक्री तथा बाजार हिस्सेदारी जांच अवधि के दौरान बेहतर हुई है। इस संबंध में प्राधिकरण यह नोट करता है कि घरेलू उद्योग (एनओसीआईएल लिमिटेड) द्वारा दायर आवेदन के आधार पर 29 सितंबर 2025 को चीन जनवादी गणराज्य से 4-एडीपीए के आयातों के विरुद्ध एक पाटन-रोधी जांच प्रारंभ की गई है, जो प्रथम दृष्टया साक्ष्य पर आधारित है कि चीन से 4-एडीपीए के आयात पाटनकारी हैं तथा घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हैं। 4-एडीपीए विचाराधीन उत्पाद का अंतिम-पूर्व (अंत से पहले) कच्चा माल है। घरेलू उद्योग 4-एडीपीए का स्व-उत्पादन (बंदी बनाकर) करता है, जबकि अन्य उत्पादक इसका आयात करते हैं। जांच अवधि में विषय आयातों (अर्थात् PX-13) की बाजार हिस्सेदारी 26% से बढ़कर 31% हुई, जो मुख्यतः अन्य घरेलू उत्पादकों की हिस्सेदारी में कमी (34% से 30%) के कारण हुई, जबकि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी लगभग 39% पर स्थिर रही। अतः यह सिद्ध नहीं होता कि घरेलू उद्योग की स्थिति अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा विस्थापित की गई है। प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि घरेलू उद्योग तथा अन्य घरेलू उत्पादकों के बीच बाजार हिस्सेदारी में परिवर्तन मात्रा के संदर्भ में आंतरिक प्रतिस्पर्धा का विषय है और यह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को नकारता नहीं है, जिसे मुख्यतः मूल्य एवं लाभप्रदता के मानकों पर स्थापित किया गया है।
86. हितधारी पक्षों द्वारा 22% नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (नियोजित पूंजी पर प्रतिफल) को स्वीकार किए जाने पर आपत्ति व्यक्त की गई है तथा यह आग्रह किया गया है कि डंपिंग आरोपों से मुक्त अवधियों में घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित वास्तविक प्रतिफल को अपनाया जाए। इसके समर्थन में हितधारी पक्षों ने माननीय सेस्टेट के निर्णय *ब्रिजस्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग एंड अन्य बनाम नामित प्राधिकारी तथा एम/एस ह्यूसिंग कॉर्पोरेशन बनाम नामित प्राधिकारी* पर भरोसा किया है। प्राधिकरण यह नोट करता है कि नियमावली की अनुसूची III में नियोजित पूंजी पर युक्तिसंगत (कर-पूर्व) प्रतिफल का उल्लेख है तथा प्राधिकरण की निरंतर प्रथा रही है कि गैर-हानिकारक मूल्य (गैर-

हानिकारक कीमत) का निर्धारण 22% नियोजित पूंजी प्रतिफल के आधार पर किया जाता है। उक्त ब्रिजस्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग एंड अन्य बनाम नामित प्राधिकारी मामले में यह पाया गया कि हितधारी पक्षों ने माननीय सेस्टेट के समक्ष विशिष्ट साक्ष्य प्रस्तुत कर प्राधिकरण की प्रचलित प्रथा से विचलन को न्यायोचित ठहराया था, जबकि वर्तमान मामले में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जो ऐसे विचलन को उचित ठहरा सके। साथ ही एम/एस ह्यूसुंग कॉर्पोरेशन बनाम नामित प्राधिकारी के निर्णय के उपरांत माननीय सेस्टेट द्वारा टैंगशान सानयो ग्रुप हांगकांग इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ, मेरिनो पैनल प्रोडक्ट्स बनाम नामित प्राधिकारी तथा एम/एस पर्सटॉर्प केमिकल्स जीएमबीएच एवं अन्य बनाम नामित प्राधिकारी जैसे अनेक मामलों में प्राधिकरण की 22% आरओसीई अपनाते की प्रथा को लगातार अनुमोदित किया गया है, अतः प्राधिकरण यह निष्कर्ष निकालता है कि वर्तमान जांच में 22% नियोजित पूंजी पर प्रतिफल को अपनाता उपयुक्त है।

87. वर्तमान मामले में अन्य हितधारी पक्षों द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो कि विचाराधीन उत्पाद के लिए 22% से कम प्रतिफल उपयुक्त होगा।
88. घरेलू उद्योग द्वारा इस प्रस्तुतीकरण के संबंध में कि जांच अवधि के पश्चात आयातों में और वृद्धि हुई है तथा कीमतों में गिरावट आई है और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हानि हुई है, प्राधिकरण यह नोट करता है कि वर्तमान जांच एक नई जांच है तथा स्वयं जांच अवधि का आंकड़ा निर्धारण करने के लिए पर्याप्त है।
89. कुछ हितधारी पक्षों द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि कुछ स्रोतों से आयातों में गिरावट आई है, अथवा जो भी क्षति हुई है वह अन्य देशों से होने वाले आयातों के कारण है। तथापि, प्राधिकरण यह नोट करता है कि आयात मात्रा का मूल्यांकन पृथक् रूप से नहीं किया जा सकता। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) समझौते के अनुच्छेद 3.3 तथा नियमों की अनुसूची II के पैरा (iii) के अनुसार, जब किसी उत्पाद के एक से अधिक देशों से होने वाले आयात एक साथ पाटन-रोधी जांच के अधीन हों, तो प्राधिकरण को ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी (संचयी) रूप से आकलन करना आवश्यक होता है। जैसा कि नीचे चर्चा की गई है, वर्तमान मामले की परिस्थितियाँ आयातों के संचयी मूल्यांकन की अपेक्षा करती हैं। इसके अतिरिक्त, हितधारी पक्ष यह दर्शाने हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं कि ऐसा संचयी मूल्यांकन क्यों अनुपयुक्त होगा।
90. हितधारी पक्षों द्वारा दिए गए इस अभ्यावेदन के संबंध में कि वर्तमान जांच में मूल्य अंडरसैलिंग (कम कीमत पर बेचना) का निर्धारण नहीं किया गया है, प्राधिकरण यह नोट करता है कि पाटन-रोधी नियमों की अनुसूची II में उन कारकों की सूची दी गई है जिनका परीक्षण यह निर्धारित करने के लिए किया जाना आवश्यक है कि क्या घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति हुई है। मूल्य अंडरसैलिंग अनुसूची II में सूचीबद्ध कारक नहीं है। अतः मूल्य अंडरसैलिंग की जांच करने का कोई औचित्य नहीं है। प्राधिकरण ने भाग लेने वाले उत्पादकों के लिए चोट मार्जिन (चोट का अंतर) का परीक्षण किया है, जो सकारात्मक पाया गया है।
91. हितधारी पक्षों द्वारा यह प्रस्तुत किए जाने के संबंध में कि स्टार्ट-अप लागत एवं अक्षमताओं के कारण हुई क्षति को हटाया जाना आवश्यक है, प्राधिकरण यह नोट करता है कि आवेदक ने क्षति अवधि के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं किया है, किंतु आवेदक का संयंत्र संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान संचालन में रहा है। अतः किसी भी प्रकार की क्षति को ऐसी स्टार्ट-अप लागतों या अक्षमताओं के कारण नहीं माना जा सकता।

छ.3.1 संचयी क्षति का आकलन

92. हितधारी पक्षों द्वारा संचयी आकलन (संचयी मूल्यांकन) के संबंध में विभिन्न अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए हैं। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) समझौते के अनुच्छेद 3.3 तथा नियमों की अनुसूची II के पैरा (iii) के अनुसार, ऐसे मामलों में जहाँ किसी उत्पाद के एक से अधिक देशों से होने वाले आयात एक साथ पाटन-रोधी जांच के अधीन हों, प्राधिकरण ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से आकलन करेगा, यदि यह निर्धारित किया जाता है कि:
- क. प्रत्येक देश से होने वाले आयातों के संबंध में स्थापित पाटन मार्जिन निर्यात मूल्य के प्रतिशत के रूप में दो प्रतिशत से अधिक हो तथा प्रत्येक देश से होने वाले आयातों की मात्रा समान वस्तु के कुल आयातों के तीन प्रतिशत (या उससे अधिक) के बराबर हो; अथवा जहाँ व्यक्तिगत देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम हो, वहाँ सभी ऐसे देशों के आयात मिलकर समान वस्तु के कुल आयातों के सात प्रतिशत से अधिक हों; और
- ख. आयातित वस्तु तथा समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन उपयुक्त हो।
93. प्राधिकरण यह नोट करता है कि:
- क. विषय वस्तु का भारत में विषय देशों से पाटन (dumping) किया जा रहा है। प्रत्येक विषय देश से पाटन मार्जिन नियमों में निर्धारित डी मिनिमिस सीमा से अधिक है।
- ख. प्रत्येक विषय देश से होने वाले आयातों की मात्रा, कुल आयात मात्रा के तीन प्रतिशत से अधिक है।
- ग. आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन उपयुक्त है, क्योंकि विषय देशों से होने वाले आयात न केवल एक-दूसरे द्वारा प्रस्तुत समान वस्तुओं के साथ प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा में हैं, बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तुओं के साथ भी प्रतिस्पर्धा करते हैं।
94. उपरोक्त के आलोक में, प्राधिकरण यह मानता है कि चीन जनवादी गणराज्य, यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य तथा थाईलैंड से विषय वस्तु के पाटनयुक्त आयातों के घरेलू उद्योग पर प्रभाव का आकलन करना उपयुक्त है।
95. प्राधिकरण यह नोट करता है कि यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी मानक (पैरामीटर) में गिरावट ही दिखाई दे। कुछ मानकों में गिरावट हो सकती है, जबकि अन्य में नहीं भी हो सकती है। प्राधिकरण सभी क्षति मानकों का समग्र रूप से परीक्षण करता है और उसके पश्चात यह निर्धारित करता है कि क्या घरेलू उद्योग को पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है या होने की संभावना है। प्राधिकरण ने घरेलू उद्योग तथा अन्य हितधारी पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति मानकों का वस्तुनिष्ठ रूप से परीक्षण किया है।

छ.3.2 मांग/प्रतीत उपभोग का आकलन

96. वर्तमान जांच के प्रयोजन हेतु भारत में उत्पाद की मांग अथवा प्रतीत उपभोग (प्रत्यक्ष खपत) को घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री, अन्य भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री तथा सभी स्रोतों से होने वाले आयातों के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार आकलित मांग नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत है।

क्रम संख्या	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि (पीओआई)
1	घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	102	91	90

3	अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	164	172	151
5	विषय देशों से आयात	एमटी	8,390	7,139	7,926	9,211
6	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	85	94	110
7	अन्य देशों से आयात	एमटी	15.00	20.00	0.00	0.00
8	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	133	0	0
9	मांग/प्रतीत उपभोग	एमटी	***	***	***	***
10	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	111	110	109

97. यह देखा गया है कि मांग 2021-22 में *** एमटी से बढ़कर जांच अवधि (पीओआई) में *** एमटी हो गई है। यह भी देखा गया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री क्षति अवधि के दौरान घट गई है। अन्य भारतीय उत्पादक मुख्य रूप से आयातित 4-एडीपीए से पीएक्स-13 का निर्माण करते हैं, जबकि घरेलू उद्योग इसका निर्माण स्व-उत्पादित (कैद में उत्पादित) 4-एडीपीए से करता है। अन्य भारतीय उत्पादकों की पीएक्स-13 बिक्री में वृद्धि का कारण कथित रूप से 4-एडीपीए के आयातों में वृद्धि है, जिसकी जांच अलग से की जा रही है। घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में गिरावट, जांच अवधि में आयातों में वृद्धि के अनुरूप है। प्राधिकरण ने 4-एडीपीए के आयातों के संबंध में पहले ही एक पाटन-रोधी जांच प्रारंभ कर दी है।

छ.3.3 पाटनयुक्त आयातों का मात्रा संबंधी प्रभाव

98. आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकरण को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या विषय देशों से पाटनयुक्त आयातों में, भारत में उत्पादन या उपभोग के सापेक्ष अथवा निरपेक्ष रूप से, कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। इसका विश्लेषण नीचे दी गई तालिका में किया गया है।

क्रम संख्या	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि (पीओआई)
1	विषय देशों से आयात	एमटी	8,390	7,139	7,926	9,211
2	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	85	94	110
3	अन्य देशों से आयात	एमटी	15	20	0	0
4	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	133	0	0
5	विषय देशों से आयात का अनुपात					
6	भारत के उत्पादन के संबंध में	%	***	***	***	***
7	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	76	92	110
8	भारतीय मांग के संबंध में	%	***	***	***	***
9	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	77	86	100

10	कुल आयात	%	100%	100%	100%	100%
11	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	100	100	100

99. यह देखा गया है कि विषय देशों से आयात 2021-22 की तुलना में 2022-23 में घटे। इसके पश्चात 2023-24 में विषय देशों से आयात में वृद्धि हुई तथा जांच अवधि (पीओआई) में पुनः वृद्धि दर्ज की गई।
100. भारतीय उत्पादन के संबंध में विषय देशों से होने वाले आयात 2021-22 में 33% से घटकर 2022-23 में 25% हो गए, इसके पश्चात 2023-24 में बढ़कर 30% तथा जांच अवधि में 36% हो गए। इसी प्रकार, भारतीय मांग के संबंध में विषय देशों से होने वाले आयात 2021-22 में 30% से घटकर 2022-23 में 23% हो गए, इसके पश्चात 2023-24 में बढ़कर 26% तथा जांच अवधि में 31% हो गए। विषय देशों से होने वाले आयातों का कुल आयातों के संबंध में अनुपात संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान लगभग 100% पर स्थिर रहा।
101. इस प्रकार यह देखा गया है कि आयात पहले 2022-23 में घटे और इसके पश्चात जांच अवधि तक, भारत में उत्पादन एवं उपभोग के सापेक्ष तथा निरपेक्ष दोनों रूपों में उल्लेखनीय रूप से बढ़े।

छ.3.4 पाटनयुक्त आयातों का मूल्य प्रभाव

102. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटनयुक्त आयातों के प्रभाव के संबंध में यह विश्लेषण किया जाना आवश्यक है कि क्या कथित पाटनयुक्त आयातों द्वारा भारत में समान उत्पादों की कीमतों की तुलना में महत्वपूर्ण मूल्य अंडरकटिंग (मूल्य अंडरकटिंग) की गई है, अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव मूल्य को दबाने (मूल्य दमन) या कीमतों में वृद्धि को रोकने (मूल्य अवसाद) के रूप में पड़ा है, जो सामान्य परिस्थितियों में हो सकती थी। विषय देशों से होने वाले पाटनयुक्त आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव का परीक्षण मूल्य अंडरकटिंग, मूल्य दमन (मूल्य दमन) तथा मूल्य अवसाद (मूल्य अवसाद), यदि कोई हो, के संदर्भ में किया गया है। इस विश्लेषण हेतु घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, शुद्ध बिक्री प्राप्ति (शुद्ध बिक्री प्राप्ति) तथा गैर-हानिकारक मूल्य (गैर-हानिकारक मूल्य) की तुलना विषय देशों से आयातित वस्तुओं के लैंडेड मूल्य से की गई है।

क. मूल्य अंडरकटिंग

103. मूल्य अंडरकटिंग (मूल्य अंडरकटिंग) के विश्लेषण हेतु, घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य की तुलना विषय देशों से होने वाले आयातों के लैंडेड मूल्य से की गई है। तदनुसार, विषय देशों से होने वाले पाटनयुक्त आयातों के प्रभाव निम्नानुसार हैं:

क्रम संख्या	विवरण	इकाई	चीन PR	यूरोपीय संघ	कोरिया आरपी	थाईलैंड	औसत
1	आयात मात्रा	एमटी	2,927	1,795	1,333	3,156	9,211
2	शुद्ध बिक्री प्राप्ति (NSR)	₹/एमटी	***	***	***	***	***
3	लैंडेड मूल्य	₹/एमटी	2,59,368	2,50,507	2,61,361	2,60,695	2,58,384
4	मूल्य अंडरकटिंग	₹/एमटी	***	***	***	***	***

5	मूल्य अंडरकटिंग	%	14%	18%	13%	13%	14%
6	मूल्य अंडरकटिंग (परास)	—	10–20%	10–20%	10–20%	10–20%	10–20%

104. प्राधिकरण यह नोट करता है कि विषय देशों से होने वाले आयात घरेलू उद्योग के मूल्य को अंडरकट कर रहे हैं तथा मूल्य अंडरकटिंग सकारात्मक एवं महत्वपूर्ण (उल्लेखनीय) है।

ख. मूल्य दमन/मूल्य अवसाद

105. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटनयुक्त आयात घरेलू कीमतों को अवसादित (मूल्य कम करना) कर रहे हैं, अथवा क्या ऐसे आयात कीमतों को महत्वपूर्ण रूप से दबा (दमन करना) रहे हैं या सामान्य परिस्थितियों में होने वाली मूल्य वृद्धि को रोक रहे हैं, क्षति अवधि के दौरान लागतों एवं कीमतों में हुए परिवर्तनों की तुलना निम्नानुसार की गई है:

क्रम संख्या	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि (पीओआई)
1	विक्रय मूल्य	₹/एमटी	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	115	94	86
3	परिवर्तन	₹/एमटी	***	***	***	***
4	लागत बिक्री (बिक्री लागत)	₹/एमटी	***	***	***	***
5	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	104	99	94
6	परिवर्तन	₹/एमटी	***	***	***	***
7	लैंडेड मूल्य	₹/एमटी	3,19,504	4,09,105	2,74,496	2,58,384
8	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	128	86	81
9	परिवर्तन	₹/एमटी	—	89,600	-1,34,609	-16,112

106. यह देखा गया है कि:

क. वर्ष 2022-23 में, 2021-22 की तुलना में विक्रय लागत (बिक्री की लागत) में ₹*** प्रति एमटी की वृद्धि हुई, जबकि विक्रय मूल्य (विक्रय मूल्य) में इससे अधिक ₹*** प्रति एमटी की वृद्धि हुई। यह वह अवधि थी जब आयात मात्रा में गिरावट आई थी और आयात कीमतों में वृद्धि हुई थी।

ख. वर्ष 2023-24 में, 2022-23 की तुलना में विक्रय लागत में ₹*** प्रति एमटी की कमी हुई, जबकि विक्रय मूल्य में इससे अधिक ₹*** प्रति एमटी की कमी हुई। यह वह अवधि थी जब आयात मात्रा में वृद्धि हुई थी और आयात कीमतों में गिरावट आई थी।

ग. जांच अवधि (पीओआई) में, 2023-24 की तुलना में विक्रय लागत में ₹*** प्रति एमटी की कमी हुई, जबकि विक्रय मूल्य में इससे अधिक ₹*** प्रति एमटी की कमी हुई। इस अवधि में आयात मात्रा में वृद्धि हुई तथा आयात कीमतों में गिरावट आई।

घ. जबकि 2022-23 के दौरान आयातों का लैंडेड मूल्य घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य से अधिक था, यह वित्त वर्ष 2023-24 तथा जांच अवधि (पीओआई) के दौरान तीव्र रूप से गिर गया। विशेष रूप से, लैंडेड मूल्य 2023-24

की पहली छमाही में ₹*** प्रति एमटी से गिरकर उसी वर्ष की दूसरी छमाही (जो पीओआई की पहली छमाही भी है, जिससे ओवरलैपिंग अवधि बनती है) में ₹*** प्रति एमटी हो गया। इसके विपरीत, पीओआई की दूसरी छमाही में लैंडेड मूल्य में मामूली सुधार हुआ और यह ₹*** प्रति एमटी तक बढ़ गया।

107. अतः यह देखा गया है कि जांच अवधि (पीओआई) में घरेलू उद्योग की कीमतें अवसादित (मूल्य अवसादित) हुई हैं। विक्रय मूल्य में आई गिरावट, विक्रय लागत में आई गिरावट की तुलना में काफी अधिक है।
108. यह भी देखा गया है कि जांच अवधि (पीओआई) में आयातों का लैंडेड मूल्य घरेलू उद्योग की विक्रय लागत तथा विक्रय मूल्य दोनों से कम है। प्राधिकरण का मानना है कि आयातों के लैंडेड मूल्य ने घरेलू उद्योग को जांच अवधि में पर्याप्त लाभकारी (पारिश्रमिक-संबंधी) मूल्य वसूलने से रोका है।

छ.3.5 घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

109. नियमों की अनुसूची-II (अनुबंध II) यह अपेक्षा करती है कि क्षति (क्षति) का निर्धारण करते समय ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटनयुक्त आयातों के परिणामी प्रभाव का वस्तुनिष्ठ परीक्षण किया जाए। पाटनयुक्त आयातों के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव के संबंध में, नियम यह भी प्रावधान करते हैं कि घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव के परीक्षण में उद्योग की स्थिति से संबंधित सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों एवं सूचकांकों का वस्तुनिष्ठ एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिनमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिफल (निवेश पर प्रतिफल) या क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक; पाटन मार्जिन का परिमाण; नकदी प्रवाह, भंडार (आविष्करण), रोजगार, मजदूरी, वृद्धि तथा पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक एवं संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानकों (चोट के पैरामीटर) का परीक्षण नीचे किया गया है।

क. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा

110. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री तथा क्षमता उपयोग नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत किए गए हैं:

क्रम संख्या	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि (पीओआई)
1	क्षमता	एमटी	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	100	103	108
3	उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	97	82	85
5	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	97	79	79
7	घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	102	91	90

111. यह देखा गया है कि:

- क. घरेलू उद्योग की क्षमता वर्ष 2021-22 और 2022-23 में समान रही तथा इसके पश्चात 2023-24 में तथा आगे चलकर जांच अवधि (पीओआई) में इसमें वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि उसने अपने संयंत्र में डी-बॉटलनेकिंग (बाधाएं दूर करना) किया था। यह देखा गया है कि केवल घरेलू उद्योग की क्षमता ही जांच अवधि में उत्पाद की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी। यदि अन्य घरेलू उत्पादकों की क्षमता को भी शामिल किया जाए, तो देश में कुल उत्पादन क्षमताएँ वर्तमान तथा संभावित मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।
- ख. घरेलू उद्योग का उत्पादन और क्षमता उपयोग 2023-24 तक घटता रहा, जबकि 2023-24 में घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि हुई थी। जांच अवधि में उत्पादन में मामूली वृद्धि हुई। संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान देखा जाए तो उत्पादन में गिरावट आई है, जबकि मांग और क्षमता दोनों में वृद्धि हुई है।
- ग. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री 2021-22 की तुलना में 2022-23 में बढ़ी, इसके पश्चात 2023-24 में घट गई तथा 2023-24 की तुलना में जांच अवधि में पुनः गिरावट आई। संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान घरेलू बिक्री में गिरावट देखी गई है।
- घ. उत्पाद की मांग क्षति अवधि के दौरान बढ़ी है, जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट आई है।

ख. बाजार हिस्सेदारी

112. घरेलू उद्योग, भारत के अन्य उत्पादकों तथा भारत में उत्पाद के आयातों की बाजार हिस्सेदारी नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

क्रम संख्या	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि (पीओआई)
1	घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	93	83	83
3	अन्य घरेलू उत्पादक	%	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	148	156	138
5	विषय देश	%	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	77	86	100
7	अन्य देश	%	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	121	0	0

113. उपरोक्त के आधार पर, प्राधिकरण यह नोट करता है कि:

- क. घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी वर्ष 2022-23 में घटी, 2023-24 में और अधिक घटी तथा इसके पश्चात जांच अवधि (पीओआई) में समान बनी रही। इस प्रकार घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान घटती रही है।
- ख. विषय देशों से होने वाले आयातों की बाजार हिस्सेदारी 2022-23 में घटी, इसके पश्चात 2023-24 में बढ़ी तथा जांच अवधि में और अधिक बढ़ी।

- ग. अन्य घरेलू उत्पादकों की बाजार हिस्सेदारी 2021-22 से 2023-24 तक बढ़ी। तथापि, जब जांच अवधि में विषय देशों से आयात तीव्र हुए, तो इन घरेलू उत्पादकों की बाजार हिस्सेदारी भी 2023-24 की तुलना में घट गई।
- घ. अन्य घरेलू उत्पादक 4-एडीपीए (उत्पाद का पूर्ववर्ती मध्यवर्ती कच्चा माल) अन्य देशों से आयात करते हैं, जबकि घरेलू उद्योग बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है और स्वयं 4-एडीपीए का उत्पादन करता है। घरेलू उद्योग का यह दावा है कि इन उत्पादकों को कम कीमत वाले कच्चे माल तक पहुंच प्राप्त है।
- उ. जांच अवधि में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी 2023-24 के समान बनी रही, किंतु यह 2021-22 की तुलना में 9% तथा 2022-23 की तुलना में 5% कम रही, जबकि घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि हुई थी और उसके पास भारत की संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता उपलब्ध थी।

ग. भंडार

114. भंडार से संबंधित जानकारी नीचे दी गई है।

क्रम संख्या	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि (पीओआई)
1	प्रारंभिक भंडार	एमटी	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	459	614	645
3	अंतिम भंडार	एमटी	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	134	109	132
5	औसत भंडार	एमटी	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	192	199	223

115. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के पास औसत भंडार (औसत भंडार) संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान लगातार बढ़ता रहा है। जांच अवधि में भी औसत भंडार में वृद्धि हुई है, जबकि इस अवधि में मांग में वृद्धि हुई थी, और यह अपने सर्वाधिक स्तर (ऐतिहासिक उच्चतम स्त) पर बना हुआ है।

घ. लाभप्रदता, नकद लाभ तथा पूंजी नियोजित पर प्रतिफल

116. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, पूंजी नियोजित पर प्रतिफल (नियोजित पूंजी पर रिटर्न) तथा नकद लाभ नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत हैं:-

क्रम संख्या	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि (पीओआई)
1	लाभ/(हानि)	₹ लाख	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	212	48	19
3	ब्याज एवं कर पूर्व लाभ	₹ लाख	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	212	48	20
5	नकद लाभ	₹ लाख	***	***	***	***

6	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	193	56	33
7	निवेश पर प्रतिफल	%	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	220	54	25

117. यह देखा गया है कि:

- क. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता वर्ष 2022-23 में बढ़ी, इसके पश्चात 2023-24 तक तथा जांच अवधि (पीओआई) तक इसमें तीव्र गिरावट दर्ज की गई।
- ख. घरेलू उद्योग का ब्याज एवं कर पूर्व लाभ (पीबीआईटी) तथा नकद लाभ (नकद लाभ) ने भी इसी प्रकार का रुझान दर्शाया है, जिसमें 2022-23 में वृद्धि के पश्चात 2023-24 तथा जांच अवधि तक तीव्र गिरावट आई है।
- ग. घरेलू उद्योग का निवेश पर प्रतिफल (निवेश पर प्रतिफल) 2022-23 में बढ़ा, जिसके बाद 2023-24 तथा जांच अवधि (पीओआई) में इसमें तीव्र गिरावट दर्ज की गई है।

ड. रोजगार, उत्पादकता एवं मजदूरी

118. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के रोजगार, उत्पादकता एवं मजदूरी नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत हैं।

क्रम संख्या	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि (पीओआई)
1	कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	109	98	98
3	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी/संख्या	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	89	84	87
5	प्रति दिन उत्पादकता	एमटी/दिन	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	97	82	85
7	मजदूरी	₹ लाख	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	114	119	120

119. यह देखा गया है कि:

- क. घरेलू उद्योग में कर्मचारियों की संख्या 2021-22 की तुलना में 2022-23 में बढ़ी, इसके पश्चात 2023-24 में इसमें गिरावट आई तथा जांच अवधि (पीओआई) में यह 2023-24 के समान बनी रही।
- ख. क्षति अवधि के दौरान प्रति कर्मचारी उत्पादकता तथा प्रति दिन उत्पादकता में आई गिरावट घरेलू उद्योग पर पाटनयुक्त आयातों के प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाती है। पाटनयुक्त आयात उत्पादन स्तर तथा संसाधनों के उपयोग पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग अपनी उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाता।
- ग. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा भुगतान की गई मजदूरी में वृद्धि हुई है।

च. वृद्धि

120. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के वृद्धि (विकास) मानदंड नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए हैं।

क्रम संख्या	विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	जांच अवधि (पीओआई)
1	क्षमता	%	0%	3%	5%
2	उत्पादन	%	-3%	-16%	4%
3	घरेलू बिक्री	%	2%	-11%	-1%
4	लाभ/(हानि)	%	108%	-75%	-59%
5	PBIT (ब्याज एवं कर पूर्व लाभ)	%	112%	-78%	-60%
6	नकद लाभ	%	112%	-77%	-59%
7	ब्याज पूर्व लाभ	%	93%	-71%	-41%

121. उपरोक्त के आधार पर, प्राधिकरण यह नोट करता है कि अनेक मानकों में 2022-23 में सकारात्मक वृद्धि देखी गई थी, किंतु इसके पश्चात जांच अवधि (पीओआई) तक मात्रा एवं मूल्य दोनों मानकों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। जांच अवधि में घरेलू उद्योग का उत्पादन एवं घरेलू बिक्री में गिरावट आई है और यह उस स्तर से काफी कम है, जिस पर इन्हें होना चाहिए था। मूल्य संबंधी मानकों, जिनमें लाभ, नकद लाभ, ब्याज एवं कर पूर्व लाभ (पीबीआईटी) तथा पूंजी नियोजित पर प्रतिफल (नियोजित पूंजी पर रिटर्न) शामिल हैं, में भी जांच अवधि के दौरान उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है।

छ. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

122. प्राधिकरण यह नोट करता है कि जांच अवधि (पीओआई) में लाभप्रदता अत्यंत निम्न स्तर पर है। यह भी देखा गया है कि घरेलू उद्योग का पूंजी नियोजित पर प्रतिफल (नियोजित पूंजी पर रिटर्न) भी काफी कम है, जिससे उसकी पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता प्रभावित होने की संभावना है। प्राधिकरण घरेलू उद्योग के इस तर्क को भी नोट करता है कि वर्तमान परिस्थितियों में कोई भी उत्पादक इस बाजार में निवेश करना नहीं चाहेगा।

ज. कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

123. प्राधिकरण यह नोट करता है कि 2023-24 तथा जांच अवधि (पीओआई) में विषय आयातों का लैंडेड मूल्य घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य तथा विक्रय लागत दोनों से कम है। विषय आयातों के लैंडेड मूल्य ने घरेलू उद्योग की कीमतों को अवसादित (मूल्य कम करना) किया है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को मात्रा एवं मूल्य दोनों मानकों पर महत्वपूर्ण हानि हुई है। अतः पाटनयुक्त आयात ही घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित करने वाले प्रमुख/एकमात्र कारक हैं।

झ. पाटन का परिमाण

124. पाटन का परिमाण (डंपिंग का पैमाना) इस बात का संकेतक है कि आयात किस सीमा तक भारत में पाटनयुक्त (गिराना) रूप में हो रहे हैं। जांच में यह पाया गया है कि जांच अवधि (पीओआई) के दौरान पाटन मार्जिन सकारात्मक तथा महत्वपूर्ण (महत्वपूर्ण) है।

छ.3.6 चोट संबंधी निष्कर्ष

125. विचाराधीन उत्पाद के आयातों तथा घरेलू उद्योग के निष्पादन के परीक्षण से निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित होते हैं:

- क. विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि हुई है।
- ख. आयातों में निरपेक्ष तथा सापेक्ष दोनों दृष्टियों से वृद्धि हुई है।
- ग. जांच अवधि के दौरान आयातों की अवतरणित कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत तथा विक्रय कीमत से कम रही है। डंपित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित करने वाला एकमात्र कारक रहे हैं।
- घ. मूल्य अल्पकटौती धनात्मक रही है।
- ङ. यद्यपि वर्ष 2023-24 की तुलना में जांच अवधि के दौरान बिक्री लागत में रु. [***] प्रति मीट्रिक टन की कमी आई, तथापि विक्रय कीमत में इससे अधिक अर्थात् रु. [***] प्रति मीट्रिक टन की कमी दर्ज की गई। इसी अवधि में आयात मात्रा में वृद्धि हुई तथा आयात कीमत में गिरावट आई। इसके परिणामस्वरूप मूल्य अवसाद की स्थिति उत्पन्न हुई है।
- च. घरेलू उद्योग में मांग तथा क्षमता में वृद्धि होने के बावजूद, क्षति अवधि के दौरान उत्पादन तथा क्षमता उपयोग में गिरावट आई है।
- छ. क्षति अवधि के दौरान घरेलू बिक्री में गिरावट आई है।
- ज. विषयगत आयातों की बाजार हिस्सेदारी वर्ष 2022-23 में घटी, तत्पश्चात वर्ष 2023-24 में बढ़ी तथा जांच अवधि में और अधिक बढ़ी है।
- झ. घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है।
- ञ. मांग में वृद्धि होने के बावजूद, जांच अवधि में औसत भंडार में वृद्धि हुई है तथा यह अब तक के उच्चतम स्तर पर बना रहा है।
- ट. जांच अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में तीव्र गिरावट आई है। ब्याज एवं कर पूर्व लाभ तथा नकद लाभ में भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति देखी गई है। घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, जांच अवधि के पश्चात की अवधि में भी उसे हानि हुई है।
- ठ. जांच अवधि के दौरान सभी मानदंडों ने नकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित की है।
- ड. जांच से यह प्रदर्शित हुआ है कि जांच अवधि के दौरान डंपिंग मार्जिन धनात्मक तथा महत्वपूर्ण रहा है।

126. अतः प्राधिकरण यह निष्कर्ष निकालता है कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

झ. गैर-आरोपण एवं कारण-संबंध

127. प्राधिकरण ने यह परीक्षण किया है कि क्या पाटनयुक्त आयातों के अतिरिक्त कोई अन्य ज्ञात कारक उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हैं, तथा ऐसे अन्य कारकों से हुई क्षति को पाटनयुक्त आयातों से संबद्ध नहीं किया जाना चाहिए। यह भी जांचा गया है कि क्या पाटनयुक्त आयातों के अलावा अन्य कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने में योगदान दिया हो सकता है। प्राधिकरण यह नोट करता है कि न तो अधिनियम और न ही नियम यह अपेक्षा करते हैं कि पाटन ही घरेलू उद्योग को क्षति का एकमात्र कारण हो, ताकि प्रतिपाटन शुल्क लगाया जा सके।

क. तृतीय देशों से आयातों की मात्रा एवं मूल्य

128. प्राधिकरण यह नोट करता है कि विषय देशों के अतिरिक्त किसी अन्य देश से आयात महत्वपूर्ण मात्रा में रिपोर्ट नहीं किए गए हैं। अतः घरेलू उद्योग को हुई क्षति को विषय देशों के अतिरिक्त किसी अन्य देश से होने वाले आयातों से संबद्ध नहीं किया जा सकता।

ख. मांग में संकुचन

129. प्राधिकरण यह नोट करता है कि उत्पाद की मांग क्षति अवधि के दौरान बड़ी है। जबकि विषय देशों से आयातों में वृद्धि हुई है, घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में गिरावट आई है। अतः मांग में संकुचन (मांग में कमी) घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संभावित कारण नहीं है।

ग. उपभोग के पैटर्न में परिवर्तन

130. प्राधिकरण यह नोट करता है कि उत्पाद के उपभोग पैटर्न में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है, जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने का कारण बन सकता हो।

घ. व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ

131. प्राधिकरण यह नोट करता है कि उत्पाद की बिक्री किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं है तथा प्राधिकरण के संज्ञान में कोई प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ नहीं लाई गई हैं।

ङ. प्रौद्योगिकी में विकास

132. प्राधिकरण यह नोट करता है कि उत्पाद के उत्पादन हेतु प्रयुक्त प्रौद्योगिकी में कोई ज्ञात महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

च. उत्पादकता

133. क्षति अवधि के दौरान प्रति कर्मचारी उत्पादकता तथा प्रति दिन उत्पादकता में आई गिरावट घरेलू उद्योग के परिचालन पर पाटनयुक्त आयातों के प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाती है। पाटनयुक्त आयात उत्पादन स्तर तथा संसाधनों के उपयोग पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग अपनी उत्पादन क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने में असमर्थ रहता है। प्राधिकरण यह नोट करता है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति उत्पादन क्षमताओं में गिरावट के कारण नहीं हो सकती।

छ. निर्यात प्रदर्शन

134. प्राधिकरण यह नोट करता है कि उपर्युक्त में परीक्षण की गई क्षति संबंधी जानकारी केवल घरेलू उद्योग के घरेलू बाजार में प्रदर्शन से संबंधित है।

ज. न्य उत्पादों का प्रदर्शन

135. प्राधिकरण ने केवल विषय वस्तु (विषय-वस्तु) के प्रदर्शन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है। अतः उत्पादित एवं विक्रय किए गए अन्य उत्पादों का प्रदर्शन घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संभावित कारण नहीं है।

झ. डंपिंग और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध

136. प्राधिकारी यह नोट करता है कि अन्य ज्ञात कारक, जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा सकते थे, का ऊपर किए गए गैर-आरोपण विश्लेषण में विधिवत परीक्षण किया गया है और यह प्रतीत नहीं होता है कि इन कारकों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। निम्नलिखित कारक यह स्थापित करते हैं कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति डंप किए गए आयातों के कारण हुई है—

- क. घरेलू बाजार में आयातों को डंप किए गए मूल्यों पर पाया गया है। चूंकि आयात डंप किए गए मूल्यों पर हो रहे हैं, अतः जांच अवधि के दौरान आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य और बिक्री लागत से कम रहा है, जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक मूल्य अवमूल्यन हुआ है।
- ख. कम मूल्य वाले आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को अपने मूल्यों में कमी करने के लिए बाध्य होना पड़ा और उसे मूल्य ह्रास का सामना करना पड़ा। जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है।
- ग. कम मूल्यों के परिणामस्वरूप, डंप किए गए आयातों ने घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी को भी प्रभावित किया है। आयातों की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, जबकि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में कमी आई है।
- घ. जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का उत्पादन और घरेलू बिक्री में गिरावट आई है, जबकि आयातों में वृद्धि हुई है।

137. ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए, घरेलू उद्योग अथॉरिटी से सम्मानपूर्वक अनुरोध करता है कि वह इस नतीजे पर पहुँचे कि संबंधित देशों से डंप किए गए आयात और घरेलू उद्योग को हुए नुकसान के बीच सीधा संबंध है।

ज. क्षति मार्जिन का परिमाण

138. प्राधिकरण ने गैर-हानिकारक मूल्य का निर्धारण नियमों में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर, अनुसूची-III के साथ पठित, यथासंशोधित, किया है। विषय वस्तु का गैर-हानिकारक मूल्य जांच अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित किया गया है। गैर-हानिकारक मूल्य की तुलना विषय देशों से प्राप्त लैंडेड मूल्य से की गई है ताकि क्षति मार्जिन की गणना की जा सके। गैर-हानिकारक मूल्य निर्धारण हेतु, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल के सर्वोत्तम उपयोग को ध्यान में रखा गया है। इसी प्रकार उपयोगिताओं के संबंध में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई है। उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग को भी ध्यान में रखा गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन लागत में किसी भी प्रकार के असाधारण या गैर-आवर्ती व्यय को शामिल न किया जाए। विषय वस्तु के निर्माण में प्रयुक्त मध्यवर्ती उत्पाद, अर्थात् 4- एडीपीए, जिसे कैप्टिव रूप से उपभोग किया जाता है, का भी नियमों की अनुसूची-III के अनुसार अनुकूलन किया गया है। व्याज, कर एवं लाभ के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत शुद्ध स्थिर परिसंपत्ति एवं औसत कार्यशील पूंजी) पर 22% का उचित प्रतिफल अपनाया गया है, जिससे गैर-हानिकारक मूल्य निर्धारित किया गया है, जैसा कि अनुसूची-III में प्रावधानित है।
139. सहयोगी निर्यातकों के लिए लैंडेड मूल्य का निर्धारण उनके द्वारा प्रस्तुत उत्तर/सूचना के आधार पर किया गया है। आयातों के लैंडेड मूल्य का निर्धारण करने के लिए लागू सीमा शुल्क (customs duties) को भी जोड़ा गया है। विषय देशों के सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर लैंडेड मूल्य निर्धारित किया गया है।
140. उपर्युक्त के अनुसार निर्धारित लैंडेड मूल्य तथा गैर-हानिकारक मूल्य के आधार पर, प्राधिकरण द्वारा विषय देशों के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन निर्धारित किया गया है, जिसे नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत किया गया है:

क्रम संख्या	विवरण	NIP (गैर-हानिकारक मूल्य)	लैंडेड मूल्य	क्षति मार्जिन)		
				(\$/एम टी)	%	परास
1	चीन पी आर					
	सेनिक्स ग्रुप, चीन					
क	सेनिक्स कंपनी लिमिटेड, अनहुई	***	***	***	***	10-20
ख	सेनिक्स कंपनी लिमिटेड, शेडोंग	***	***	***	***	10-20
ग	सेनिक्स कंपनी लिमिटेड, ताइआन	***	***	***	***	10-20
घ	अन्य कोई	***	***	***	***	30-40
2	थाईलैंड					
क	सेनिक्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	10-20
ख	अन्य कोई	***	***	***	***	20-30
3	कोरिया					
क	कुम्हो पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	10-20
ख	अन्य कोई	***	***	***	***	20-30
4	यूरोपीय संघ					
क	अन्य कोई	***	***	***	***	20-30

ट. भारतीय उद्योग का हित एवं अन्य मुद्दे

अ.1 विरोधी इच्छुक पक्ष द्वारा प्रस्तुतिकरण

141. भारतीय उद्योग के हित एवं अन्य मुद्दों के संबंध में विरोधी इच्छुक पक्ष ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी हैं:

- i. प्रतिपक्ष इच्छुक पक्ष ने यह प्रस्तुत किया है कि शुल्क का आरोपण सार्वजनिक हित में नहीं होगा क्योंकि पीएक्स-13 विभिन्न डाउनस्ट्रीम उद्योगों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है।
- ii. घरेलू स्तर पर पीएक्स-13 का उत्पादन सीमित है और राष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है।
- iii. पीएक्स-13 पर प्रतिपाटन शुल्क लगभग बीस वर्षों से लगातार लागू रहा है, जिसके कारण भारतीय टायर उद्योग को उच्च कच्चे माल लागत एवं प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी के रूप में महत्वपूर्ण एवं निरंतर भार वहन करना पड़ा है।

- iv. टायर क्षेत्र वर्तमान में अपने महत्वपूर्ण कच्चे माल से संबंधित कई चल रही जांचों का सामना कर रहा है। प्रत्येक जांच में अतिरिक्त शुल्क लगाने का जोखिम है। ऐसे उपायों का संयुक्त प्रभाव उद्योग की घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने की क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा।
- v. प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने से पीएक्स-13 के घरेलू आयातकों के व्यवसाय पर प्रभाव पड़ेगा। आयातकों के विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ मौजूदा अनुबंध समाप्त या कम हो सकते हैं, तथा भारतीय आयातकों एवं आपूर्तिकर्ताओं के बीच व्यावसायिक संबंध बाधित हो सकते हैं।
- vi. पीएक्स-13 पर प्रतिपाटन शुल्क का आरोपण 'मेक इन इंडिया' जैसी प्रमुख नीतियों के विपरीत और प्रतिकूल है।
- vii. पीएक्स-13 पर प्रतिपाटन शुल्क का आरोपण डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों, जैसे ऑटोमोबाइल उद्योग, को उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत दिए गए लाभों को निष्प्रभावी कर देगा।
- viii. ऐसा कोई कानूनी आधार नहीं है जिसके तहत यह माना जाए कि यदि उपयोगकर्ता उद्योग पर समग्र प्रभाव न्यूनतम हो तो प्रतिपाटन शुल्क की सिफारिश स्वतः ही सार्वजनिक हित में है।
- ix. आवेदक का यह निष्कर्ष कि प्रतिपाटन शुल्क का प्रभाव कुल लागत का केवल 0.10–0.30% होगा, भ्रामक है, क्योंकि यह भारतीय टायर उद्योग के विशाल आकार की अनदेखी करता है, जहाँ 0.10% की वृद्धि भी हजारों करोड़ रुपये के अतिरिक्त बोझ के बराबर हो सकती है, और यह उद्योग की नाजुक स्थिति को भी नजरअंदाज करता है, जो पहले से ही वैश्विक मांग में मंदी, कच्चे माल की कीमतों में अस्थिरता तथा मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के दबाव में है।

ज.2 आवेदक द्वारा प्रस्तुतिकरण

142. भारतीय उद्योग के हित एवं अन्य मुद्दों के संबंध में आवेदक ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी हैं: -

- i. जांचाधीन उत्पाद टायर उत्पादकों तथा अन्य रबर कंपाउंड निर्माताओं के परिचालन लागत का कोई महत्वपूर्ण या निर्णायक हिस्सा नहीं बनाता है। नीचे दी गई तालिका में जांचाधीन उत्पाद की लागत में हिस्सेदारी दर्शाई गई है।

क्रम संख्या	विवरण	इकाई	मूल्य
1	उत्पाद की कुल खरीद मूल्य	₹ करोड़	862
2	टायर उत्पादकों की कुल कच्चे माल की लागत	₹ करोड़	60,170
3	टायर उत्पादकों की कुल लागत	₹ करोड़	92,272
4	टायर उत्पादकों की कुल बिक्री मूल्य	₹ करोड़	1,04,444
5	जांचाधीन उत्पाद (पीयूसी) का हिस्सा		
6	कच्चे माल की लागत में हिस्सा	%	1.43%
7	उत्पादन लागत में हिस्सा	%	0.93%
8	बिक्री में हिस्सा	%	0.83%

- ii. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए जांचों में यह लगातार देखा गया है कि अन्य इच्छुक पक्ष उपयोगकर्ता उद्योग एवं उपभोक्ताओं पर प्रतिपाटन शुल्क के प्रभाव को प्रमाणित करने में असमर्थ रहे हैं।

- iii. यह तथ्य कि गैर-टायर क्षेत्र के किसी भी उपभोक्ता ने वर्तमान प्रतिपाटन जांच में स्वयं को इच्छुक पक्ष के रूप में पंजीकृत नहीं कराया है, यह दर्शाता है कि जांचाधीन उत्पाद पर शुल्क का गैर-टायर क्षेत्र के उपभोक्ताओं पर प्रभाव नगण्य या अत्यंत कम है।
- iv. भारत में स्थापित क्षमता देश की संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक है।
- v. उपयोगकर्ता उद्योग द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न कच्चे माल, जिन पर या तो जांच चल रही है या जिन पर पहले से उपाय लागू हैं, उन सभी पर प्रतिपाटन शुल्क का समग्र प्रभाव मात्र 0.7% है।
- vi. टायर उद्योग पहले से ही एंटी-सब्सिडी शुल्क, आयात प्रतिबंध तथा आयात के लिए बीआईएस लाइसेंस की आवश्यकता के माध्यम से संरक्षित है।
- vii. जांच अवधि के दौरान जांचाधीन उत्पाद के आयात का मूल्य ₹*** लाख से अधिक रहा है। केवल जांच अवधि में ही इसका आयात मूल्य ₹*** लाख रहा, जिसमें से ₹*** लाख विषय देशों से आयात किया गया। यह आयात देश में मांग-आपूर्ति अंतर के बिना हुआ है, जिससे अनावश्यक व्यापार घाटे में वृद्धि हुई है।
- viii. प्रतिपाटन शुल्क का आरोपण भारत में 4- एडीपीए के उत्पादन को लाभ पहुंचाएगा। वर्तमान में, आवेदक का 4- एडीपीए संयंत्र (जो भारत में इसका एकमात्र उत्पादक है) पाटन के कारण अत्यंत निम्न क्षमता उपयोग पर संचालित हो रहा है।
- ix. प्रतिपाटन शुल्क के आरोपण से किसी प्रकार की एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि भारत में जांचाधीन उत्पाद के दो अन्य उत्पादक भी मौजूद हैं, अर्थात् लैंक्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा फिनोरकेम लिमिटेड।
- x. आवेदक से खरीद की स्थिति में उपभोक्ताओं के पास आयात पर निर्भर रहने की तुलना में कम इन्वेंट्री स्तर बनाए रखने का विकल्प होता है। अतः प्रतिपाटन शुल्क का आरोपण उपभोक्ताओं के हित में होगा।

ब.3 प्राधिकरण द्वारा परीक्षण

143. प्राधिकरण ने यह विचार किया है कि क्या प्रतिपाटन शुल्क का आरोपण सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा। यह निर्धारण अभिलेख पर उपलब्ध सूचना तथा भाग लेने वाले इच्छुक पक्षों के हितों पर विचार के आधार पर किया गया है।
144. प्राधिकरण ने राजपत्र अधिसूचना जारी कर सभी इच्छुक पक्षों, जिनमें आयातक, उपभोक्ता तथा अन्य संबंधित पक्ष शामिल हैं, से उनके विचार आमंत्रित किए। प्राधिकरण ने उत्पादकों, उपयोगकर्ताओं तथा आयातकों के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की, ताकि वे वर्तमान जांच से संबंधित प्रासंगिक जानकारी, जिसमें प्रतिपाटन शुल्क के संभावित प्रभाव भी शामिल हैं, प्रस्तुत कर सकें। प्राधिकरण ने, अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न देशों के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की परस्पर विनिमेयता (परस्पर), आपूर्ति स्रोत बदलने की क्षमता, उपभोक्ताओं पर प्रतिपाटन शुल्क का प्रभाव, तथा वे कारक जो प्रतिपाटन शुल्क के कारण उत्पन्न नई स्थिति के अनुकूलन को तेज या विलंबित कर सकते हैं, से संबंधित जानकारी मांगी।
145. यह नोट किया जाता है कि प्रतिपाटन उपायों (एंटी-डंपिंग उपाय) का सामान्य उद्देश्य घरेलू उद्योग को पाटन (डम्पिंग) जैसी अनुचित व्यापार प्रथाओं से होने वाली क्षति को समाप्त करना है, ताकि भारतीय बाजार में खुले एवं निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा (खुला और निष्पक्ष मुकाबला) की स्थिति पुनः स्थापित की जा सके, जो देश के सामान्य हित में

है। प्राधिकरण यह स्वीकार करता है कि प्रतिपाटन शुल्क के आरोपण से जांचाधीन उत्पाद तथा भारत में उस उत्पाद का उपयोग करके बनाए जाने वाले अन्य डाउनस्ट्रीम उत्पादों के मूल्य स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, प्रतिपाटन उपायों के आरोपण से भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में कमी नहीं आती। इसके विपरीत, ऐसे उपाय विषय देशों से आने वाले कम कीमत वाले आयातों के कारण घरेलू उद्योग के प्रदर्शन मानकों में आई गिरावट को रोकने में सहायक होते हैं तथा जांचाधीन उत्पाद के उपभोक्ताओं के लिए विकल्पों की व्यापक उपलब्धता बनाए रखने में सहायता करते हैं।

146. चार उपयोगकर्ताओं, अर्थात् अपोलो टायर्स लिमिटेड, सीएट लिमिटेड, जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड तथा एमआरएफ़ लिमिटेड, और एक संबंधित आयातक ऋषिरूप लिमिटेड ने निर्धारित उपयोगकर्ता/आयातक प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया है। प्राधिकरण ने इस जांच में सभी इच्छुक पक्षों को आर्थिक हित संबंधी प्रश्नावली भी जारी की थी। प्राधिकरण यह नोट करता है कि उपर्युक्त चार उपयोगकर्ताओं ने निर्धारित आर्थिक प्रश्नावली का उत्तर भी प्रस्तुत किया है। उपयोगकर्ताओं ने यह दावा किया है कि प्रतिपाटन शुल्क उनके संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, तथापि इनमें से किसी भी आयातक/उपयोगकर्ता द्वारा उपभोक्ताओं पर प्रतिपाटन शुल्क के प्रभाव को प्रमाणित करने हेतु कोई सत्यापन योग्य सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, गैर-टायर क्षेत्र के किसी भी उपभोक्ता ने वर्तमान जांच में स्वयं को इच्छुक पक्ष के रूप में पंजीकृत नहीं कराया है, जो इस बात का संकेत है कि गैर-टायर क्षेत्र पर इसका प्रभाव नगण्य है। साक्ष्य के अभाव तथा हितधारकों की सीमित भागीदारी को देखते हुए, प्राधिकरण यह मानता है कि निष्पक्ष व्यापार परिस्थितियों को सुनिश्चित करने हेतु प्रतिपाटन उपायों का आरोपण आवश्यक है।
147. घरेलू उद्योग ने यह मात्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया है कि जांचाधीन उत्पाद का हिस्सा टायर उत्पादकों की समग्र कच्चे माल लागत, कुल लागत तथा बिक्री मूल्य में क्रमशः 1.43%, 0.93% तथा 0.83% है। घरेलू उद्योग ने उपयोगकर्ता उद्योग द्वारा प्रयुक्त विभिन्न कच्चे माल, जैसे टीडीक्यू, सल्फेनामाइड एक्सेलेरेटर्स, पीएक्स-13, आईआईआर तथा सॉल्युबल सल्फर, जिन पर या तो जांच चल रही है या जिन पर उपाय लागू हैं, उन सभी पर प्रतिपाटन शुल्क के संयुक्त प्रभाव (संचयी प्रभाव) का भी आकलन किया है। घरेलू उद्योग ने दर्शाया है कि इन सभी कच्चे माल पर प्रतिपाटन शुल्क का संयुक्त प्रभाव टायर लागत पर मात्र 0.7% है।
148. चूंकि जांचाधीन उत्पाद टायर उद्योग तथा अन्य रबर कंपाउंड निर्माताओं के परिचालन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तथा उपयोगकर्ता उद्योग द्वारा प्रयुक्त सभी उत्पादों (विभिन्न कच्चे माल जिन पर या तो जांच चल रही है या उपाय लागू हैं) पर शुल्क का संयुक्त प्रभाव नगण्य है, प्राधिकरण यह मानता है कि प्रतिपाटन शुल्क के आरोपण का डाउनस्ट्रीम उद्योग के मूल्य स्तरों पर प्रभाव अत्यंत सीमित/नगण्य होगा।
149. प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि प्रतिपाटन शुल्क के आरोपण से भारत में जांचाधीन उत्पाद की कमी (कमी) उत्पन्न नहीं होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिपाटन शुल्क आयातों को प्रतिबंधित नहीं करता, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि आयात निष्पक्ष कीमतों पर उपलब्ध हों। अतः शुल्क के आरोपण से उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की क्षमता भारत में मांग से अधिक है, जिससे देश में पर्याप्त

आपूर्ति सुनिश्चित रहती है। साथ ही, भारत में दो अन्य घरेलू उत्पादक, अर्थात् लैंक्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा फिनोरकेम लिमिटेड, भी जांचाधीन उत्पाद की आपूर्ति भारतीय बाजार में कर रहे हैं।

ठ. प्रकटीकरण-पश्चात् टिप्पणियाँ

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुतियाँ

150. विरोधी हितबद्ध पक्षों ने प्रकटीकरण विवरण पर निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी हैं:

- क. घरेलू उद्योग ने पीएक्स-13 तथा अन्य रबर रसायनों पर लगभग दो दशकों से प्रतिप्रतिषेध शुल्क, सुरक्षा उपायों तथा सूर्यास्त समीक्षाओं के माध्यम से व्यापार सुरक्षात्मक संरक्षण का लाभ उठाया है।
- ख. चीन पीआर, कोरिया आरपी तथा यूएसए से पीएक्स-13 के आयातों के संबंध में 2020 में प्रारंभ की गई प्रतिप्रतिषेध जांच में, यद्यपि प्राधिकरण ने प्रतिप्रतिषेध शुल्क की सिफारिश की थी, केन्द्र सरकार ने अनुशंसित उपायों को अधिरोपित नहीं किया। इससे संकेत मिलता है कि ऐसे शुल्कों से जुड़े व्यापक आर्थिक एवं सार्वजनिक हित संबंधी विचारों को पहले भी मान्यता दी जा चुकी है।
- ग. प्राधिकरण ने सेनिक्स थाईलैंड द्वारा सूचित 4-एडीपीए की वास्तविक क्रय लागत को अस्वीकार करने तथा उसके स्थान पर यूरोपीय संघ में प्रचलित आयात कीमतों को प्रतिस्थापित करने में त्रुटि की है। प्राधिकरण ने सेनिक्स थाईलैंड द्वारा अनुरक्षित पुस्तकों एवं अभिलेखों में कोई दोष नहीं पहचाना है।
- घ. डब्ल्यूटीओ प्रतिप्रतिषेध समझौते का अनुच्छेद 2.2.1.1 अपेक्षा करता है कि लागतों की गणना सामान्यतः निर्यातक या उत्पादक द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों के आधार पर की जाए, बशर्ते ऐसे अभिलेख लागतों को उचित रूप से प्रतिबिंबित करते हों।
- ङ. प्राधिकरण ने यह प्रकट नहीं किया है कि यूरोपीय संघ को उपयुक्त संदर्भ बाजार क्यों माना गया, क्या वैकल्पिक बेंचमार्कों की जांच की गई, या ऐसा बेंचमार्क सेनिक्स थाईलैंड द्वारा सामान्य बाजार स्थितियों में की गई लागत को किस प्रकार उचित रूप से प्रतिबिंबित करता है।
- च. पीएक्स-13 पर प्रतिप्रतिषेध शुल्क लगाना सार्वजनिक हित में नहीं है। पीएक्स-13 टायर एवं रबर विनिर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट है, जो ऑटोमोटिव, परिवहन, अवसंरचना एवं निर्यात के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं।
- छ. घरेलू उद्योग पिछड़ा एकीकृत (बैकवर्ड इंटीग्रेटेड) है एवं 4-एडीपीए का स्वामित्वपूर्ण उत्पादन करता है। इसके विपरीत, भारत में अन्य घरेलू उत्पादक, अर्थात् फिनोरकेम लिमिटेड एवं लैंक्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 4-एडीपीए को चीन पीआर एवं अन्य देशों से काफी कम कीमतों पर क्रय करते हैं। इस संरचनात्मक लागत लाभ ने अन्य घरेलू उत्पादकों को क्षति अवधि के दौरान अपने उत्पादन एवं बिक्री में पर्याप्त विस्तार करने में सक्षम बनाया है। अतः एनओसीआईएल लिमिटेड के समक्ष प्रतिस्पर्धात्मक दबाव, विचाराधीन उत्पाद के आयात के कारण नहीं है, बल्कि अपने स्वयं के स्वामित्वपूर्ण उत्पादन मॉडल से उत्पन्न संरचनात्मक लागत नुकसान के कारण है, जबकि अन्य घरेलू उत्पादक सस्ते आयातित 4-एडीपीए से लाभान्वित होते हैं।
- ज. भारत में 4-एडीपीए के सस्ते आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कम लागत वाले कच्चे माल तक पहुँच रखने वाले अन्य घरेलू उत्पादकों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा, कोरिया आरपी से विचाराधीन वस्तुओं के आयात के कारण नहीं है।
- झ. कोरिया कुम्हो तथा सेनिक्स चीन के बीच कोई विशेष संबंध नहीं है। सेनिक्स चीन भी भारत को 6पीपीडी का निर्यातक है एवं वर्तमान जांच में भाग ले रहा है, जो दर्शाता है कि प्रतिवादी एवं सेनिक्स विचाराधीन वस्तुओं के लिए भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

- ज. जांच अवधि के दौरान, कोरिया आरपी से आयात, अन्य विषय देशों से आयात की तुलना में काफी कम है। इसके अलावा, कोरिया आरपी से आयात मूल्य ₹2,61,361/मीट्रिक टन पर सभी विषय देशों में सर्वाधिक है।
- ट. प्रकटीकरण विवरण में रिशिरूप लिमिटेड को प्रतिवादी के "संबंधित आयातक" के रूप में चित्रित करना तथ्यात्मक रूप से गलत है।
- ठ. अमेरिकी डॉलर/भारतीय रुपया विनिमय दर में जांच अवधि के दौरान प्रचलित ₹84.27 प्रति अमेरिकी डॉलर से वर्तमान दर लगभग ₹94.47 प्रति अमेरिकी डॉलर तक महत्वपूर्ण अवमूल्यन हुआ है, जो लगभग 12% का अवमूल्यन दर्शाता है।
- ड. 4-एडीपीए पर प्रतिप्रतिषेध शुल्क एनओसीआईएल लिमिटेड को हुई क्षति का उपचार करेगा तथा विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर प्रतिप्रतिषेध शुल्क अनावश्यक है।
- ढ. यदि प्राधिकरण तथापि यह निर्धारित करता है कि प्रतिप्रतिषेध शुल्क की सिफारिश उचित है, तो ऐसा शुल्क केवल दो (2) वर्षों की सीमित अवधि के लिए संदर्भ मूल्य आधार पर अनुशंसित किया जाना चाहिए।
- ण. प्रकटीकरण विवरण विस्तारित वैधानिक समय-सीमा के अंतिम छोर पर जारी किया गया है तथा हितबद्ध पक्षों को टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने का कोई उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। यह मानते हुए कि हितबद्ध पक्ष निर्धारित अवधि के भीतर विस्तृत टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने में सक्षम हैं, प्राधिकरण के लिए 28 जून 2026 तक या उससे पूर्व अंतिम निष्कर्ष जारी करने से पहले टिप्पणियों का सार्थक रूप से समाधान करना असंभव है। माननीय प्राधिकरण से जांच की समय-सीमा तीन माह बढ़ाने के कारण मांगे गए थे। कोई कारण प्रदान नहीं किए गए हैं।
- त. नियोजित पूँजी पर 22% प्रतिफल पर विचार किया गया है, बिना नियोजित पूँजी पर ऐतिहासिक प्रतिफल पर विचार किए।
- थ. प्रकटीकरण विवरण, टिप्पणियाँ आमंत्रित करने के उद्देश्य से विचाराधीन आवश्यक तथ्यों को प्रकट करने के बजाय, उन्हीं मुद्दों पर अंतिम एवं निर्णायक तथ्यात्मक निष्कर्ष पहले ही प्रस्तुत कर चुका है।
- द. प्राधिकरण ने विरोधाभासी कथन किए हैं, क्योंकि प्रकटीकरण विवरण में एक स्थान पर यह दावा किया गया है कि यदि ऐनिलीन पर प्रतिप्रतिषेध शुल्क क्षति का कारण होता, तो घरेलू उद्योग को पूरी क्षति अवधि के दौरान क्षति उठानी पड़ती, तथा दूसरी ओर 4-एडीपीए पर प्रतिप्रतिषेध शुल्क की प्रारंभ सूचना में, प्राधिकरण ने कहा है कि घरेलू उद्योग ने पूरी क्षति अवधि के दौरान भौतिक क्षति का दावा किया है। वर्तमान मामले में भी, प्राधिकरण ने विभिन्न स्थानों पर कहा है कि घरेलू उद्योग को क्षति अवधि के दौरान विभिन्न प्राचलों में गिरावट का सामना करना पड़ा है।
- ध. फिनोरकेम लिमिटेड द्वारा दिए गए समर्थन का गैर-प्रकटीकरण हितबद्ध पक्षों को ऐसे समर्थन की प्रकृति की जांच करने तथा यह आकलन करने से रोकता है कि क्या समर्थन करने वाले उत्पादक को वास्तव में क्षति हुई है।
- न. प्रकटीकरण विवरण यह स्थापित नहीं करता है कि घरेलू उद्योग द्वारा खोई गई बाजार हिस्सेदारी को विषय आयातों ने अधिग्रहीत किया था, बल्कि आंकड़े दर्शाते हैं कि क्षति अवधि के दौरान बाजार हिस्सेदारी में सर्वाधिक लाभ अन्य घरेलू उत्पादकों को प्राप्त हुआ।
- त. प्रभाव विश्लेषण से संबंधित संपूर्ण गणना तथ्यात्मक रूप से गलत है। ऐसे आंकड़ों का स्रोत हितबद्ध पक्षों को प्रकट किया जाना चाहिए तथा ऐसे सत्यापन के बिना इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ

151. घरेलू उद्योग ने प्रकटीकरण विवरण पर निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी हैं:

- क. घरेलू उद्योग सेनिक्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड एवं कुम्हो पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड के लिए सामान्य मूल्य गणना के संबंध में प्राधिकरण के निर्धारण का समर्थन करता है। प्राधिकरण अपने अंतिम निष्कर्षों में आगे स्पष्ट कर सकता है कि सूचित लागतों को विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन एवं बिक्री से जुड़ी लागतों को उचित रूप

- से प्रतिबिंबित नहीं करने वाला माना गया, क्योंकि संबंधित आपूर्तिकर्ता से क्रय हाथों-हाथ (आर्म्स लेंथ) पर नहीं पाए गए।
- ख. कुम्हो पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड के लिए उत्पादन की कच्चे माल की लागत पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। कंपनी ने 4-एडीपीए को सेनिक्स कंपनी लिमिटेड, चीन पीआर से प्राप्त किया, जिसके साथ उसका विशेष संबंध है, जिससे सूचित उत्पादन लागत पीएक्स-13 के उत्पादन एवं बिक्री से जुड़ी लागत को उचित रूप से प्रतिबिंबित नहीं करती है।
- ग. यद्यपि प्राधिकरण ने नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध सभी कारकों की जांच की है, प्राधिकरण से अनुरोध है कि वह उपलब्ध क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए डंपित आयातों के कारण आवेदक द्वारा खोए गए बाजार अवसर की अतिरिक्त जांच करे। आवेदक घरेलू बाजार में अधिक उत्पादन एवं बिक्री कर सकता था।
- घ. अन्य उत्पादकों की घरेलू बिक्री एवं बाजार हिस्सेदारी दोनों 2022-23 तक बढ़ी, लेकिन जांच अवधि में गिर गई, जब डंपित आयातों में वृद्धि हुई। 2022-23 में अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री में वृद्धि 4-एडीपीए की डंपिंग का परिणाम है। 4-एडीपीए पीएक्स-13 की उत्पादन प्रक्रिया में अंतिम चरण से पूर्व का मध्यवर्ती है।
- ङ. पीएक्स-13 की निरंतर डंपिंग के साथ, घरेलू उद्योग पीएक्स-13 की अपनी बिक्री या पीएक्स-13 के विक्रय मूल्य में वृद्धि करने में सक्षम नहीं होगा। 4-एडीपीए एवं पीएक्स-13 दोनों की डंपिंग का उपचार किया जाना आवश्यक है। यदि केवल 4-एडीपीए की डंपिंग का उपचार किया जाता है, तो उत्पादन लागत में सीमांत कमी उद्योग को पीएक्स-13 में वर्तमान भौतिक क्षति की स्थिति से उबरने की अनुमति नहीं देगी।
- च. यह ऐसी स्थिति भी नहीं है जहाँ घरेलू उद्योग डंपित आयातों के विरुद्ध पूर्ण उपचार चाह रहा हो। सेनिक्स थाईलैंड को छोड़कर सभी भाग लेने वाले उत्पादकों के लिए निर्धारित क्षति मार्जिन, डंपिंग मार्जिन से कम है, जो बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाता है।
- छ. जांच अवधि के बाद आयात मूल्य लगातार गिरा है। यद्यपि लागत भी गिरी है, लागत में गिरावट आयात मूल्य में गिरावट से कहीं कम है। घरेलू उद्योग जांच अवधि में लाभदायक था, लेकिन अब नुकसान में आ गया है।
- ज. आयातकों/उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रभावी भागीदारी तथा प्रतिप्रतिषेध शुल्क के प्रभाव का प्रदर्शन न होना, कोई मांग-आपूर्ति अंतर न होना तथा अन्य घरेलू उत्पादकों का अस्तित्व दर्शाता है कि शुल्क डाउनस्ट्रीम उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।
- झ. उपभोक्ताओं की व्यवहार्यता अनुचित एवं डंपित कीमतों पर कच्चे माल तक पहुँच पर निर्भर नहीं हो सकती है।
- ञ. प्रतिप्रतिषेध उपाय उपभोक्ताओं को लाभान्वित करते हैं, क्योंकि सशक्त घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य निर्धारण, कम लीड समय, कम विदेशी मुद्रा जोखिम, तथा वैश्विक व्यवधानों, आपूर्ति शृंखला दक्षता एवं विदेशी आपूर्तिकर्ता निर्भरता के विरुद्ध रणनीतिक लचीलापन सुनिश्चित करता है।
- ट. घरेलू उद्योग प्राधिकरण से अनुरोध करता है कि वह विचार करे कि प्रतिप्रतिषेध शुल्क 5 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया जाना आवश्यक है।
- ठ. घरेलू उद्योग ने प्रारूप VI-2 में कुछ व्ययों [जैसे उपभोग्य सामग्री, स्टोर एवं स्पेयर, वेतन एवं मजदूरी तथा अन्य विनिर्माण उपरिव्यय] की सूचना दी है, जिन्हें विभिन्न उत्पादों के बीच सापेक्ष उत्पादन के आधार पर विभाजित किया गया है। कंपनी ने सभी उत्पादों के लिए स्थानवार उत्पादन क्षमताओं एवं क्षमता उपयोग पर विचार करके इन व्ययों के अनुकूलन की सूचना दी है।
- ड. चूँकि व्यय संयंत्र के लिए स्थिर एवं उत्पाद के लिए परिवर्तनशील है, आवेदक ने संयंत्र के लिए सर्वोत्तम प्राप्त क्षमता उपयोग पर विचार करके स्थिर व्ययों का अनुकूलन किया है। चूँकि इसे उत्पादन के अनुपात में उत्पाद के लिए विभाजित किया गया है, यह अनुसरण करता है कि ये व्यय अब विचाराधीन उत्पाद के लिए स्थिर नहीं हैं बल्कि परिवर्तनशील हैं, और इसलिए विचाराधीन उत्पाद के क्षमता उपयोग पर विचार करना अनुचित है।

ट.3 प्राधिकरण द्वारा परीक्षण

152. प्राधिकरण ने हितबद्ध पक्षों द्वारा की गई प्रकटीकरण-पश्चात् प्रस्तुतियों का परीक्षण किया है। यह देखा गया है कि इनमें से अधिकांश प्रस्तुतियाँ पहले से ही परीक्षण किए गए तर्कों एवं अभिकथनों की पुनरावृत्ति हैं और इसलिए इन्हें इन अंतिम निष्कर्षों के प्रासंगिक पैराग्राफों में आवश्यक समझे जाने तक संबोधित किया गया है। संक्षिप्तता के लिए, प्राधिकरण ने इस प्रकटीकरण-पश्चात् परीक्षण में ऐसे मुद्दों पर प्रतिक्रियाओं को दोहराने से परहेज किया है। हालाँकि, प्रकटीकरण-पश्चात् प्रस्तुतियों में पहली बार उठाए गए किसी भी नए मुद्दे, साथ ही पहले संबोधित किए गए लेकिन आगे परीक्षण करना आवश्यक समझे गए मुद्दों को यहाँ संबोधित किया गया है।
153. विरोधी हितबद्ध पक्षों ने प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग ने लगभग दो दशकों से व्यापार सुरक्षात्मक संरक्षण का लाभ उठाया है तथा वित्त मंत्रालय ने पिछली जांच में उपाय अधिरोपित नहीं किए थे। प्राधिकरण नोट करता है कि प्रत्येक प्रतिप्रतिषेध जांच एक स्वतंत्र कार्यवाही है एवं उसे संबंधित जांच अवधि के दौरान प्रचलित तथ्यों, साक्ष्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। पूर्व प्रतिप्रतिषेध जांचों एवं शुल्कों का अस्तित्व, अपने आप में, वर्तमान जांच में संरक्षण से इनकार करने का आधार नहीं बनता है, जहाँ डंपिंग एवं तत्परिणामी भौतिक क्षति स्वतंत्र रूप से स्थापित की गई है। प्रतिप्रतिषेध शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिशें केवल प्राधिकरण द्वारा जांच के पश्चात् एवं जब आवश्यक विधिक अपेक्षाएँ पूरी होती हैं, की जाती हैं। यह देखा गया है कि समान प्रतिस्पर्धी स्तर की ओर अग्रसर पूर्व उपायों ने भारतीय उद्योग के विकास को बढ़ावा दिया है, क्योंकि घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता का विस्तार किया है तथा अन्य उत्पादकों ने घरेलू बाजार में प्रवेश किया है। यह तथ्य कि केन्द्र सरकार ने पूर्व सिफारिश के पश्चात् शुल्क अधिरोपित नहीं किए हों, वर्तमान जांच में डंपिंग या क्षति के निष्कर्षों को निरस्त नहीं करता है। अतः प्राधिकरण इस प्रस्तुति में कोई दम नहीं पाता है।
154. सेनिक्स थाईलैंड एवं कुम्हो पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड ने प्रस्तुत किया है कि प्राधिकरण ने उनकी 4-एडीपीए की वास्तविक क्रय लागत को त्रुटिपूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया है तथा उसके स्थान पर यूरोपीय संघ की आयात कीमतों को प्रतिस्थापित कर दिया है, बिना उनकी पुस्तकों एवं अभिलेखों में कोई दोष पहचाने तथा बिना यह स्थापित किए कि लेन-देन हाथों-हाथ (आर्म्स लेंथ) पर नहीं थे। प्राधिकरण ने अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के संदर्भ में इन प्रस्तुतियों की जांच की है। यह नोट किया गया है कि 4-एडीपीए पीएक्स-13 के उत्पादन में प्रयुक्त प्रमुख कच्चा माल है, जो उत्पादन की कुल लागत के प्रमुख हिस्से के लिए उत्तरदायी है। यह भी नोट किया गया है कि सेनिक्स थाईलैंड ने जांच अवधि के दौरान 4-एडीपीए को अपनी संबंधित इकाई सेनिक्स कंपनी लिमिटेड, चीन पीआर से क्रय किया है। इसी प्रकार, कुम्हो पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड ने 4-एडीपीए को मुख्य रूप से उसी गैर-बाजार अर्थव्यवस्था कंपनी (सेनिक्स ग्रुप, चीन) से प्राप्त किया है, जिसके साथ पूर्व जांचों में उसका विशेष संबंध पाया गया था। वर्तमान जांच में प्राधिकरण के समक्ष कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जो यह प्रदर्शित करे कि उक्त कंपनी की स्थिति या व्यावसायिक संबंध की प्रकृति में पूर्व निर्धारण के बाद से कोई परिवर्तन हुआ है। प्राधिकरण पाता है कि चूँकि सेनिक्स थाईलैंड एवं सेनिक्स कंपनी लिमिटेड, चीन पीआर के बीच लेन-देन एक ही समूह के भीतर संबंधित इकाइयों के बीच हैं, 4-एडीपीए की क्रय कीमतें हाथों-हाथ (आर्म्स लेंथ) बाजार कीमतों को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं। यह तथ्य कि 4-एडीपीए एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश में एक संबंधित इकाई से प्राप्त किया जाता है, क्रय मूल्य की गैर-बाजार विशेषता को और अधिक बढ़ाता है।

155. प्राधिकरण देखता है कि डब्ल्यूटीओ प्रतिप्रतिषेध समझौते का अनुच्छेद 2.2.1.1 अपेक्षा करता है कि लागतों की गणना सामान्यतः निर्यातक या उत्पादक द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों के आधार पर की जाए, बशर्ते ऐसे अभिलेख विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन एवं बिक्री से जुड़ी लागतों को उचित रूप से प्रतिबिंबित करते हों। प्रतिप्रतिषेध नियम निर्यातक द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों से व्युत्पन्न उत्पादन लागत को पवित्र मानकर स्वीकार किए जाने के लिए बाध्य नहीं करते हैं। अनुबंध-1 इस संबंध में दो संचयी शर्तें निर्धारित करता है: प्रथम, कि अभिलेख सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार अनुरक्षित हों; तथा द्वितीय, कि ऐसे अभिलेख जांच के अधीन वस्तु के उत्पादन एवं बिक्री से जुड़ी लागतों को उचित रूप से प्रतिबिंबित करें। दोनों शर्तें समान विधिक महत्व की हैं एवं उन्हें संतुष्ट किया जाना आवश्यक है। प्राधिकरण ने पाया है कि सेनिक्स थाईलैंड द्वारा अपनी संबंधित इकाई सेनिक्स चीन से भुगतान की गई 4-एडीपीए की वास्तविक हस्तांतरण कीमत तथा कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स, कोरिया द्वारा सेनिक्स चीन से भुगतान की गई कीमत, हाथों-हाथ (आर्म्स लेंथ) आधार पर नहीं है तथा पीएक्स-13 के उत्पादन एवं बिक्री से जुड़ी लागतों को उचित रूप से प्रतिबिंबित नहीं करती है। तदनुसार, केवल यह तथ्य कि उत्पादन लागत सेनिक्स थाईलैंड या कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों पर आधारित है, अपने आप में प्राधिकरण को ऐसी लागतों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करता है, बिना स्वतंत्र रूप से संतुष्ट हुए कि वही विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन एवं बिक्री से जुड़ी लागतों को उचित रूप से प्रतिबिंबित करती हैं।
156. यह भी देखा गया है कि यह स्थिति डब्ल्यूटीओ न्यायशास्त्र में तथा ईयू – बायोडीजल (अर्जेटीना) में पैनल एवं अपीलिय निकाय दोनों द्वारा समर्थन पाती है, जिसमें यह माना गया कि जहाँ किसी निर्यातक या उत्पादक के अभिलेखों में दर्ज कीमतें हाथों-हाथ (आर्म्स लेंथ) लेन-देन को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं, जांच प्राधिकरण यह निष्कर्ष निकालने का अधिकारी है कि ऐसे अभिलेख विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन एवं बिक्री से जुड़ी लागतों को उचित रूप से प्रतिबिंबित नहीं करते हैं।
157. पर्याप्त प्रकटीकरण के बिना यूरोपीय संघ से आयात कीमतों को बेंचमार्क के रूप में अपनाने से संबंधित टिप्पणियों के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि वर्तमान जांच के दौरान, किसी भी हितबद्ध पक्ष ने 4-एडीपीए कीमतों के निर्धारण के उद्देश्य से कोई बेंचमार्क प्रस्तावित नहीं किया। प्राधिकरण देखता है कि 4-एडीपीए का उत्पादन मुख्य रूप से चीन, यूरोपीय संघ एवं भारत में होता है। परिस्थितियों में, प्राधिकरण के पास या तो घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर या चीन या यूरोपीय संघ से निर्यात कीमतों पर भरोसा करने का विकल्प था। हालाँकि, चूँकि वर्तमान जांच के प्रयोजनों के लिए चीन को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना गया है, चीन में प्रचलित लागतों एवं कीमतों को एक वैध बेंचमार्क के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है और इसलिए, यदि इसे अपनाया गया होता, तो हितबद्ध पक्षों को कोई टिप्पणी करने का विकल्प नहीं होता। पूर्वोक्त को देखते हुए, प्राधिकरण ने वर्तमान निर्धारण के प्रयोजनों के लिए यूरोपीय संघ से 4-एडीपीए की निर्यात कीमत को बेंचमार्क के रूप में अपनाना उचित समझा है। अतः प्राधिकरण ने यूरोपीय संघ को बेंचमार्क के रूप में उपयोग करने का निष्कर्ष निकाला है। हितबद्ध पक्षों को यह टिप्पणी करने का अवसर प्रदान किया गया है कि यूरोपीय संघ से निर्यात कीमत एक उपयुक्त बेंचमार्क क्यों नहीं है, तथापि, ऐसी कोई टिप्पणी दायर नहीं की गई है।
158. प्राधिकरण ने अन्य घरेलू उत्पादकों के प्रदर्शन तथा डंपित आयातों एवं समग्र रूप से भारतीय उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संबंध तथा घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत संरचनात्मक नुकसानों के संबंध में घरेलू उद्योग एवं अन्य

हितबद्ध पक्षों द्वारा की गई प्रस्तुतियों की जांच की है। प्राधिकरण नोट करता है कि घरेलू उद्योग एवं अन्य घरेलू उत्पादकों दोनों की घरेलू बिक्री एवं बाजार हिस्सेदारी 2022-23 तक बढ़ी, लेकिन जांच अवधि में गिरावट देखी गई। जबकि अन्य घरेलू उत्पादकों की वृद्धि दर अधिक थी, उनकी घरेलू बिक्री भी गिर गई। जांच अवधि में गिरावट विषय देशों से डंपित आयातों में वृद्धि के साथ मेल खाती है। अतः प्राधिकरण मानता है कि प्रदर्शन में गिरावट केवल घरेलू उद्योग तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य उत्पादकों पर भी देखी जाती है।

159. यह भी नोट किया गया है कि 2022-23 में अन्य उत्पादकों की घरेलू बिक्री में वृद्धि, आयातित 4-एडीपीए तक उनकी पहुँच के कारण है, जो पीएक्स-13 के उत्पादन में अंतिम चरण से पूर्व का मध्यवर्ती है एवं प्रथमदृष्टया डंपित कीमतों पर पाया गया है। चूँकि अन्य घरेलू उत्पादक 4-एडीपीए को डंपित कीमतों पर प्राप्त करने में सक्षम रहे हैं, वे घरेलू उद्योग की तुलना में पीएक्स-13 के डंपित आयातों से दबाव का सामना करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं। घरेलू उद्योग, पिछड़ा एकीकृत (बैकवर्ड इंटीग्रेटेड) होने तथा प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों पर 4-एडीपीए की संपूर्ण घरेलू आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता रखने के बावजूद, क्षति उठाना जारी रखता है, क्योंकि पीएक्स-13 के अन्य उत्पादक 4-एडीपीए को घरेलू उद्योग से नहीं बल्कि चीन से प्राप्त कर रहे हैं। पूर्वोक्त को देखते हुए, प्राधिकरण निष्कर्ष निकालता है कि यह अभिकथन कि घरेलू उद्योग का प्रदर्शन अन्य उत्पादकों से प्रभावित हुआ है या क्षति आंतरिक अक्षमता के कारण है, निराधार है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य स्थापित करते हैं कि समग्र रूप से भारतीय उद्योग को विचाराधीन वस्तुओं के डंपित आयातों के कारण भौतिक क्षति हुई है।
160. हितबद्ध पक्षों की उन टिप्पणियों पर जिनमें यह अभिकथन किया गया है कि 4-एमिनो डाइफेनिलमाइन के आयातों पर प्रतिप्रतिषेध शुल्क अधिरोपित करना घरेलू उद्योग को हुई क्षति के उपचार के लिए पर्याप्त होगा, प्राधिकरण ने वर्तमान जांच के दौरान पाया है कि पीएक्स-13 के आयात भारतीय बाजार में डंपित कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं तथा ऐसे डंपित आयातों ने घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति पहुँचाई है। यद्यपि यह स्वीकार किया गया है कि 4-एडीपीए के आयातों पर एक पृथक प्रतिप्रतिषेध जांच पहले से ही विचाराधीन है, ऐसी समानांतर जांच का अस्तित्व किसी भी प्रकार से पीएक्स-13 से संबंधित वर्तमान जांच में स्थापित क्षति के निष्कर्षों को कमजोर या विस्थापित नहीं करता है। प्राधिकरण मानता है कि 4-एडीपीए पर प्रतिप्रतिषेध शुल्क अधिरोपित करने से घरेलू उद्योग को लाभ होगा, क्योंकि वह 4-एडीपीए की अपनी घरेलू बिक्री बढ़ाने के लिए बेहतर स्थिति में होगा, जो बदले में उसे अपने 4-एडीपीए परिचालनों में क्षमता उपयोग का अधिक इष्टतम स्तर प्राप्त करने में सक्षम बना सकता है। 4-एडीपीए विनिर्माण क्षमताओं के उपयोग में ऐसा कोई भी सुधार, परिचालनों की एकीकृत प्रकृति को देखते हुए, पीएक्स-13 की प्रति इकाई उत्पादन लागत में सीमांत रूप से कमी ला सकता है। हालाँकि, प्राधिकरण नोट करता है कि यह अप्रत्यक्ष प्रभाव पीएक्स-13 में हुई क्षति के लिए पर्याप्त उपचार का गठन नहीं करता है। घरेलू उद्योग ने जानकारी प्रदान की है जो दर्शाती है कि केवल 4-एडीपीए पर डंपिंग का उपचार पीएक्स-13 में हुई क्षति का समाधान नहीं करेगा। अतः प्राधिकरण मानता है कि पीएक्स-13 के डंपित आयातों का प्रतिकूल प्रभाव केवल 4-एडीपीए क्षमताओं के बेहतर उपयोग से उत्पन्न पीएक्स-13 की उत्पादन लागत में कमी के माध्यम से कम नहीं किया जा सकता है। अतः प्राधिकरण निष्कर्ष निकालता है कि 4-एडीपीए पर प्रतिप्रतिषेध शुल्क, चाहे वर्तमान हो या प्रस्तावित, पीएक्स-13 पर प्रतिप्रतिषेध शुल्क के आरोपण को अनावश्यक या अनुचित नहीं ठहराता है।

161. विरोधी हितबद्ध पक्षों ने प्रस्तुत किया है कि पीएक्स-13 पर प्रतिप्रतिषेध शुल्क अधिरोपित करना सार्वजनिक हित में नहीं है, क्योंकि इसका टायर एवं रबर विनिर्माण उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्राधिकरण नोट करता है कि उसने प्रकटीकरण विवरण के खंड J.3 में सार्वजनिक हित के प्रश्न की व्यापक जांच की है। जैसा कि वहाँ निर्धारित किया गया है, टायर उत्पादकों की कुल कच्चे माल की लागत, कुल लागत एवं बिक्री मूल्य में विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा क्रमशः 1.43%, 0.93% एवं 0.83% है, तथा सभी कच्चे मालों पर प्रतिप्रतिषेध शुल्क का टायर उद्योग पर संचयी प्रभाव मात्र 0.7% है। अतः डाउनस्ट्रीम उद्योग पर शुल्क का प्रभाव नगण्य पाया गया है। घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता देश में संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। दो अन्य घरेलू उत्पादक, अर्थात् लैक्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं फिनोरकेम लिमिटेड भी हैं, जो भारतीय बाजार में उत्पाद की आपूर्ति करते हैं, जिससे पर्याप्त उपलब्धता एवं प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होती है। अतः प्राधिकरण मानता है कि प्रतिप्रतिषेध शुल्क अधिरोपित करना सार्वजनिक हित में है तथा इस मामले पर विरोधी हितबद्ध पक्षों की प्रस्तुति में कोई दम नहीं पाता है।
162. कुम्हो पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड ने प्रस्तुत किया है कि प्रकटीकरण विवरण में रिशिरूप लिमिटेड को उसके "संबंधित आयातक" के रूप में चित्रित करना तथ्यात्मक रूप से गलत है। प्राधिकरण ने इस प्रस्तुति की जांच की है। प्राधिकरण नोट करता है कि प्रकटीकरण विवरण में रिशिरूप लिमिटेड को "संबंधित आयातक" के रूप में संदर्भित करना एक मुद्रण त्रुटि थी तथा इसे स्वीकार किया जाता है।
163. प्राधिकरण ने हितबद्ध पक्षों द्वारा की गई उन टिप्पणियों की जांच की है जिनमें दावा किया गया है कि जांच अवधि के पश्चात् भारतीय रुपये के अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अवमूल्यन के कारण अनुशंसित शुल्क राशि को समायोजित किया जाना चाहिए। प्राधिकरण को इन प्रस्तुतियों में कोई दम नहीं दिखता है। प्रतिप्रतिषेध जांचें जांच अवधि के संदर्भ में संचालित की जाती हैं, तथा उक्त अवधि के दौरान प्रचलित विनिमय दर प्रासंगिक होती है। इस विनिमय दर पर गैर-हानिकारक मूल्य एवं सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया गया है। विषय देशों के भाग लेने वाले उत्पादकों ने अपने उत्पाद का चालान अमेरिकी डॉलर में किया है। इसके अलावा, वर्तमान जांच में सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य, डंपिंग मार्जिन एवं क्षति मार्जिन का संपूर्ण निर्धारण अमेरिकी डॉलर में किया गया है। अतः परिणामी शुल्क को किसी अन्य मुद्रा में व्यक्त करना उचित नहीं होगा। जांच अवधि के पश्चात् विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव वर्तमान निर्धारण के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक विचार नहीं है, क्योंकि शुल्क जांच अवधि के दौरान स्थापित डंपिंग मार्जिन की भरपाई के लिए अभिप्रेत है, न कि बाद के व्यापक आर्थिक विकासों की क्षतिपूर्ति के लिए। चूंकि विचाराधीन वस्तुओं का आयात अमेरिकी डॉलर में किया जाता है एवं चालान किया जाता है, भारतीय रुपये के अमेरिकी डॉलर के मुकाबले किसी भी अवमूल्यन से आयातित वस्तुओं का लैंडेड मूल्य भारतीय रुपये में तदनु रूप बढ़ जाएगा। अतः अमेरिकी डॉलर मूल्यवर्ग, भारतीय रुपये-मूल्यवर्ग के समतुल्य की तुलना में उपाय के उपचारात्मक आशय को अधिक विश्वसनीय रूप से पूरा करता है।
164. एनआईपी निर्धारण पर प्रस्तुति के संबंध में, यह नोट किया गया है कि उत्पादन क्षमता का अनुकूलन तथा एनआईपी का निर्धारण प्रतिप्रतिषेध शुल्क नियमों के अनुबंध III में निहित एनआईपी निर्धारण के सिद्धांतों के अनुसार है।
165. जांच पारदर्शी ढंग से एवं निर्धारित अनुसार संचालित की गई, जिसमें सभी हितबद्ध पक्षों को प्रश्नावली उत्तर दाखिल करने, दो मौखिक सुनवाईयों में भाग लेने, सुनवाई-पश्चात प्रस्तुतियाँ एवं प्रत्युत्तर दाखिल करने तथा प्रकटीकरण विवरण पर टिप्पणी करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। प्राधिकरण एवं हितबद्ध पक्ष विवादित मुद्दों से पहले से भली-भांति अवगत थे और इसलिए हितबद्ध पक्ष जागरूकता की कमी का बहाना नहीं कर सकते। अन्य हितबद्ध पक्षों की प्रकटीकरण-पश्चात् टिप्पणियों पर विचार करने के बाद, तथा प्रदान किए गए अवसरों की

समग्रता एवं इन कार्यवाहियों की समयबद्ध प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण पाता है कि प्रकटीकरण विवरण टिप्पणियों की समय-सीमा से कोई पूर्वाग्रह उत्पन्न नहीं हुआ है, तथा समय विस्तार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता है।

166. कुछ हितबद्ध पक्षों ने तर्क दिया है कि गैर-हानिकारक मूल्य के निर्धारण के लिए, प्राधिकरण ने नियोजित पूँजी पर 22% की दर से प्रतिफल पर विचार किया है, बिना इसके लिए कारण प्रदान किए तथा बिना घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित नियोजित पूँजी पर ऐतिहासिक प्रतिफल की दर का प्रकटीकरण किए। प्राधिकरण मानता है कि नियोजित पूँजी पर 22% प्रतिफल पर विचार करना सुसंगत अभ्यास रहा है। सीईएसटीएटी ने विभिन्न जांचों में माना है कि 22% प्रतिफल उपयुक्त है, विशेषतः विपरीत साक्ष्य के अभाव में। प्राधिकरण नोट करता है कि वर्तमान जांच में, किसी भी हितबद्ध पक्ष ने यह सिद्ध करने वाले कोई साक्ष्य/प्रस्तुतियाँ नहीं दी हैं कि गैर-हानिकारक मूल्य का निर्धारण करते समय नियोजित पूँजी पर 22% प्रतिफल उचित क्यों नहीं है।
167. कुछ हितबद्ध पक्षों ने तर्क दिया है कि प्राधिकरण ने नियम 16 के अधिदेश के विपरीत प्रकटीकरण विवरण में निर्णायक एवं अंतिम भाषा का उपयोग किया है, जो प्राधिकरण को प्रकटीकरण विवरण के चरण में विवादित मुद्दों पर निष्कर्ष निकालने की अनुमति नहीं देता है। प्राधिकरण मानता है कि यह अभिकथन गलत है। प्राधिकरण नोट करता है कि नियम 16 के अंतर्गत, प्राधिकरण को विचाराधीन आवश्यक तथ्यों का प्रकटीकरण करना आवश्यक है, जिसमें ऐसे तथ्यों पर निष्कर्ष भी शामिल हैं, जो सामूहिक रूप से अंतिम निष्कर्ष में निश्चित उपायों को अधिरोपित करने की सिफारिश करने या न करने के प्राधिकरण के निर्णय का आधार बनेंगे। प्राधिकरण नोट करता है कि उपर्युक्त के अनुरूप, वर्तमान मामले में जारी प्रकटीकरण विवरण में, उसने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री की जांच की है, अपने विचार एवं ऐसी जांच से उत्पन्न निष्कर्ष बताए हैं, तथा उसके लिए अपना तर्क प्रदान किया है। प्रकटीकरण विवरण में यह कहा गया है कि दिए गए तथ्यों (गोपनीय आधार पर दिए गए तथ्यों सहित) के बावजूद, नामित प्राधिकरण अंतिम निर्धारण पर पहुँचने के लिए गुणदोष के आधार पर सभी उत्तरों पर विचार करेगा। इस प्रकार, यह संप्रेषित किया गया कि प्रकटीकरण विवरण केवल नामित प्राधिकरण द्वारा विचाराधीन आवश्यक तथ्यों का प्रकटीकरण है तथा यह नामित प्राधिकरण द्वारा अंतिम निर्धारण नहीं है। प्राधिकरण गुजरात उच्च न्यायालय के निर्मा लिमिटेड बनाम भारत संघ (2017) के निर्णय का संदर्भ देता है, जिसमें न्यायालय ने कहा:

31.5 इस प्रकार, जबकि अनुच्छेद 6.9 आवश्यक तथ्यों के प्रकटीकरण के लिए कोई विशेष प्रारूप निर्धारित नहीं करता है, यह सभी मामलों में अपेक्षा करता है कि जांच प्राधिकरण ऐसे तथ्यों को इस प्रकार प्रकट करे कि एक हितबद्ध पक्ष स्पष्ट रूप से समझ सके कि जांच प्राधिकरण ने किस आंकड़े का उपयोग किया है, तथा उन आंकड़ों का उपयोग डंपिंग मार्जिन निर्धारित करने के लिए कैसे किया गया। अतः प्रकटीकरण विवरण में आवश्यक तथ्यों पर नामित प्राधिकरण के मध्यवर्ती निष्कर्ष एवं निष्कर्ष शामिल होते हैं, जो इस निर्णय का आधार बनेंगे कि निश्चित उपाय लागू किए जाने हैं या नहीं, न कि इस पर अंतिम निष्कर्ष कि निश्चित उपाय लागू किए जाने आवश्यक हैं या नहीं। इस न्यायालय की राय में, जैसा कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा सही रूप से प्रस्तुत किया गया है, प्रकटीकरण विवरण में उन आवश्यक तथ्यों पर नामित प्राधिकरण के निष्कर्ष शामिल होने चाहिए जो इसके निर्णय का आधार बनेंगे कि निश्चित उपाय लागू किए जाने हैं या नहीं, न कि उन आवश्यक तथ्यों के आधार पर उसके निष्कर्ष। आवश्यक तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष अंतिम निष्कर्षों में दर्ज किए जाने हैं, अर्थात् कि क्या ऐसे तथ्यों के आधार पर निश्चित उपाय लागू किए जाने आवश्यक हैं। अतः यह अभिकथन कि प्रकटीकरण विवरण एक मसौदा आदेश की प्रकृति का है,

स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि एक मसौदा आदेश में भी इस बात पर निष्कर्ष शामिल होंगे कि निश्चित उपाय लागू किए जाने आवश्यक हैं या नहीं।

168. उन टिप्पणियों पर कि प्राधिकरण ने विरोधाभासी कथन किए हैं, "क्षति अवधि के दौरान" शब्द का उपयोग भिन्न है। ऐनिलीन पर अधिरोपित प्रतिप्रतिषेध शुल्क के कारण क्षति के आरोपण के संबंध में उपयोग किए गए "क्षति अवधि के दौरान" का अर्थ यह दर्शाना है कि यदि ऐनिलीन पर प्रतिप्रतिषेध शुल्क घरेलू उद्योग द्वारा सहन की गई क्षति का कारण होता, तो ऐसी क्षति पूरी क्षति अवधि के दौरान बनी रहती। अतः पूरी क्षति अवधि के दौरान ऐसी क्षति की अनुपस्थिति दर्शाती है कि ऐनिलीन पर प्रतिप्रतिषेध शुल्क क्षति का कारण नहीं है। उत्पादन, बिक्री एवं बाजार हिस्सेदारी के लिए प्रवृत्ति विश्लेषण के संदर्भ में उपयोग किए गए "क्षति अवधि के दौरान" का अर्थ यह दर्शाना है कि उक्त अवधि पर मूल्यांकन करने पर इन प्राचलों में गिरावट की प्रवृत्ति दिखी है।
169. जांच की समय-सीमा तीन माह बढ़ाने के लिए मांगे गए कारणों पर, प्राधिकरण नोट करता है कि जांच की अवधि को एक वर्ष से अधिक बढ़ाना केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिप्रतिषेध नियमों के नियम 17(1) के प्रावधान के अंतर्गत विशेष परिस्थितियों में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए प्रदान किया जाता है। विस्तार मांगने एवं प्रदान करने का निर्णय जांच प्राधिकरण एवं केन्द्र सरकार के बीच का मामला है। वर्तमान मामले में विस्तार को संबंधित राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से सभी हितबद्ध पक्षों को विधिवत सूचित किया गया था। प्रतिप्रतिषेध नियम एवं डीजीटीआर मैनुअल विस्तार मांगने या प्रदान करने के आंतरिक कारणों के प्रकटीकरण को नियम 16 के अंतर्गत नामित प्राधिकरण पर एक दायित्व के रूप में परिकल्पित नहीं करते हैं, जो केवल डंपिंग, क्षति एवं कारणात्मक संबंध के निर्धारण से संबंधित आवश्यक तथ्यों के प्रकटीकरण तक सीमित है। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकरण 4-एडीपीए के आयातों पर भी एक प्रतिप्रतिषेध जांच संचालित कर रहा है, जो विचाराधीन उत्पाद के लिए कच्चा माल है। हितबद्ध पक्षों ने बड़ी संख्या में टिप्पणियाँ दायर की हैं जिनमें कहा गया है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति अन्य उत्पादकों द्वारा कम लागत वाले कच्चे माल तक पहुँच के कारण है। अतः दोनों मामलों में घरेलू उद्योग एवं भाग लेने वाले निर्यातकों की जानकारी की एक साथ जांच करना उचित समझा गया।
170. जहाँ तक फिनोरकेम लिमिटेड से समर्थन पर भरोसा करने तथा फिनोरकेम लिमिटेड द्वारा सहन की गई क्षति में कथित प्रक्रियागत त्रुटि से संबंधित हितबद्ध पक्षों के अभिकथन का प्रश्न है। प्राधिकरण नोट करता है कि क्षति की जांच परिभाषित घरेलू उद्योग के संबंध में की जानी आवश्यक है। यह नोट किया गया है कि, ऐसे समर्थन के अभाव में भी, आवेदक घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख अनुपात गठित करता है। वर्तमान मामले में, किसी भी हितबद्ध पक्ष द्वारा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है कि फिनोरकेम लिमिटेड को क्षति नहीं हो रही है। अतः प्राधिकरण के लिए फिनोरकेम लिमिटेड के आंकड़ों की जांच करने का कोई कारण नहीं है।
171. प्राधिकरण मानता है कि प्रकटीकरण विवरण में कथन, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री की जांच पर विभिन्न विचाराधीन मुद्दों पर गठित विचार हैं तथा ये कुछ हितबद्ध पक्षों द्वारा व्यक्त किए गए "पूर्व-निर्णय" या "अंतिम अधिनिर्णय" नहीं हैं। हितबद्ध पक्ष टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं तथा प्राधिकरण ने पिछली विभिन्न जांचों में प्रकटीकरण विवरण की तुलना में अंतिम निष्कर्ष में भिन्न दृष्टिकोण अपनाया है। प्रकटीकरण विवरण में अवलोकन प्राधिकरण द्वारा अंतिम निर्धारण नहीं हैं। वर्तमान जांच में, प्राधिकरण ने हितबद्ध पक्षों से प्राप्त टिप्पणियों का विधिवत परीक्षण किया है तथा अपने अंतिम निर्धारण पर पहुँचने में उन्हें विधिवत ध्यान में रखा है।

172. प्राधिकरण नोट करता है कि अनुशंसित किए जाने वाले शुल्क का प्रारूप एवं परिमाण प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर प्राधिकरण के निर्धारण के भीतर के मामले हैं, तथा प्रतिप्रतिषेध नियमों के अंतर्गत निर्धारित अल्पतर शुल्क नियम के अधीन हैं।

ड. निष्कर्ष

173. हितबद्ध पक्षों द्वारा उठाए गए अभिकथनों, प्रदान की गई जानकारी, प्रस्तुतियों तथा प्राधिकरण के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि उपरोक्त निष्कर्षों में दर्ज है, तथा डंपिंग, क्षति एवं घरेलू उद्योग से कारणात्मक संबंध के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण निम्नानुसार निष्कर्ष निकालता है:

(क) वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद "एन-(1,3 डाइमिथाइलब्यूटिल)-एन'-फेनिल-पी-फेनिलीनडायमाइन" है, जिसे "पीएक्स-13" या "6पीपीडी" के नाम से भी जाना जाता है।

(ख) घरेलू उद्योग एवं पात्रता पर:

- आवेदक उत्पाद का प्रमुख उत्पादक है एवं कुल भारतीय उत्पादन में 65% हिस्सेदारी रखता है।
- एनओसीआईएल लिमिटेड नियम 2(ख) के अर्थ में एक पात्र घरेलू उद्योग है तथा नियमों के नियम 5(3) के संदर्भ में पात्रता की कसौटी को पूरा करता है।

(ग) सामान्य मूल्य एवं निर्यात मूल्य पर:

- चीन पीआर, कोरिया आरपी एवं थाईलैंड के उत्पादकों ने वर्तमान जांच में भाग लिया है। यूरोपीय संघ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
- चीन पीआर को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाता है, क्योंकि चीन पीआर के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने नियमों के अनुबंध-1 के पैरा 8 में उल्लिखित इस धारणा का खंडन करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रदान नहीं किए हैं।
- सेनिक्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड ने जांच अवधि के दौरान 4-एडीपीए (कच्चा माल) को अपनी सहायक कंपनी सेनिक्स कंपनी लिमिटेड, चीन पीआर से क्रय किया है। चूंकि सेनिक्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड द्वारा सेनिक्स कंपनी लिमिटेड, चीन पीआर से 4-एडीपीए की वास्तविक क्रय कीमत का उपयोग पीएक्स-13 के उत्पादन से जुड़ी लागत को उचित रूप से प्रतिबिंबित नहीं करेगा, सेनिक्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड द्वारा सूचित 4-एडीपीए की उपभोग कीमत को उत्पादन लागत के निर्धारण के प्रयोजन के लिए स्वीकार नहीं किया गया है। सेनिक्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड द्वारा दावा की गई पीएक्स-13 की शेष उत्पादन लागत को स्वीकार कर लिया गया है।
- कुम्हो पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड ने 4-एडीपीए को मुख्य रूप से एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था कंपनी से प्राप्त किया है, जिसके साथ कुम्हो पेट्रोकेमिकल ने पूर्व जांचों में पहले विशेष संबंध होने की सूचना दी थी। चूंकि कुम्हो पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था कंपनी से 4-एडीपीए की वास्तविक क्रय कीमत का उपयोग पीएक्स-13 के उत्पादन से जुड़ी लागत को उचित रूप से प्रतिबिंबित नहीं करता है, कुम्हो पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा सूचित 4-एडीपीए की उपभोग कीमत को उत्पादन लागत के निर्धारण के प्रयोजन के लिए स्वीकार नहीं किया गया है। कुम्हो पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा दावा की गई पीएक्स-13 की शेष उत्पादन लागत को स्वीकार कर लिया गया है।

- v. चीन पीआर, कोरिया आरपी एवं थाईलैंड के उत्पादकों द्वारा दाखिल प्रतिक्रिया से पता चलता है कि उत्पाद का निर्यात भारत को डंपित कीमतों पर किया गया है।
- vi. प्रत्येक विषय देश से विचाराधीन उत्पाद के लिए डंपिंग मार्जण डी-मिनिमस से अधिक पाया गया है।

(घ) क्षति एवं कारणात्मक संबंध पर:

- i. पिछले वर्ष की तुलना में विषय देशों से आयात निरपेक्ष एवं सापेक्ष दोनों रूपों में बढ़ा है।
- ii. मूल्य अंडरकटिंग सकारात्मक है।
- iii. जांच अवधि में, आयातों की लैंडेड कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत एवं बिक्री मूल्य से कम है। अतः जबकि लागत 5 सूचकांक अंकों से गिरी है, विक्रय मूल्य 8 सूचकांक अंकों से गिरा है। घरेलू उद्योग की कीमतें असादित रहीं।
- iv. क्षति अवधि पर देखने पर जांच अवधि में घरेलू उद्योग का उत्पादन, घरेलू बिक्री एवं क्षमता उपयोग गिरा।
- v. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता 2022-23 में सुधरी; तथापि, उसके पश्चात् इसमें महत्वपूर्ण गिरावट आई तथा जांच अवधि के दौरान यह काफी निम्न स्तर पर बनी रही।
- vi. डंपित आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित किया है।
- vii. जांच से विषय देशों से डंपिंग के अलावा कोई अन्य कारक सामने नहीं आया, जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा सकता हो।

(ङ) भारतीय उद्योग के हित पर:

- i. देश में कोई मांग-आपूर्ति अंतर नहीं है तथा देश में उपलब्ध क्षमता देश की संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।
- ii. घरेलू उद्योग भौतिक क्षति सहन कर रहा है, तथा प्रतिप्रतिषेध शुल्क अधिरोपित करना घरेलू उत्पादक के हित में होगा।
- iii. एक सशक्त घरेलू उद्योग समग्र सार्वजनिक हित में है, जो प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य निर्धारण, कम लीड समय, कम विदेशी मुद्रा जोखिम, तथा वैश्विक व्यवधानों, आपूर्ति शृंखला दक्षता एवं विदेशी आपूर्तिकर्ता निर्भरता के विरुद्ध रणनीतिक लचीलापन सुनिश्चित करता है।
- iv. अंतिम उपभोक्ताओं पर शुल्क का प्रभाव नगण्य पाया गया है, क्योंकि विचाराधीन उत्पाद डाउनस्ट्रीम उद्योग की कुल कच्चे माल की लागत में बहुत कम हिस्सेदारी रखता है।
- v. शुल्कों का आरोपण सार्वजनिक हित के विरुद्ध नहीं होगा।

ढ. सिफारिशें

174. प्राधिकरण नोट करता है कि जांच प्रारंभ की गई थी तथा सभी हितबद्ध पक्षों को सूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों एवं अन्य हितबद्ध पक्षों को डंपिंग, क्षति, कारणात्मक संबंध एवं अनुशंसित उपायों के प्रभाव के पहलू पर सकारात्मक जानकारी प्रदान करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। प्रतिप्रतिषेध नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार डंपिंग, क्षति एवं कारणात्मक संबंध की जांच प्रारंभ एवं संचालित करने के बाद, प्राधिकरण की राय है कि डंपिंग एवं क्षति की भरपाई के लिए प्रतिप्रतिषेध शुल्क अधिरोपित करना आवश्यक है। प्राधिकरण इसे आवश्यक मानता है तथा विषय देशों से विषय वस्तुओं के आयात पर प्रतिप्रतिषेध शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश करता है।

175. अनुसरण किए गए अल्पतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण विषय देशों में उत्पन्न या वहाँ से निर्यातित विषय वस्तुओं के आयात पर, घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए, डंपिंग मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कम के बराबर प्रतिप्रतिषेध शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश करता है। तदनुसार, प्राधिकरण इसे आवश्यक मानता है तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पाँच (5) वर्षों की अवधि के लिए, विषय देशों में उत्पन्न या वहाँ से निर्यातित विषय वस्तुओं के आयात पर, नीचे संलग्न शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर प्रतिप्रतिषेध शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश करता है।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्षक (HS Code)	विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	मापन इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	29215120, 29215130, 29215190, 38121000, 38122090, 38123100, 38123910, 38123920, 38123930 एवं 38123990 (नोट 1)	एन-(1,3 डाइमिथाइलब्यूटिल)- एन'-फेनिल-पी- फेनिलीनडायमाइन (पीएक्स-13 के नाम से भी जाना जाता है) (नोट 2)	चीन	चीन सहित कोई भी देश	सेनिक्स कंपनी लिमिटेड अनहुई, सेनिक्स कंपनी लिमिटेड शेडोंग एवं सेनिक्स कंपनी लिमिटेड ताइआन	511	मीट्रिक टन	\$
2	-do-	-do-	चीन	चीन सहित कोई भी देश	क्र.सं. 1 में उल्लिखित के अतिरिक्त कोई भी उत्पादक	930	मीट्रिक टन	\$
3	-do-	-do-	चीन, यूरोपीय संघ, कोरिया एवं थाईलैंड के	चीन	कोई भी उत्पादक	930	मीट्रिक टन	\$

			अतिरिक्त कोई भी देश					
4	-do-	-do-	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ सहित कोई भी देश	कोई भी उत्पादक	576	मीट्रिक टन	\$
5	-do-	-do-	चीन, यूरोपीय संघ, कोरिया एवं थाईलैंड के अतिरिक्त कोई भी देश	यूरोपीय संघ	कोई भी उत्पादक	576	मीट्रिक टन	\$
6	-do-	-do-	कोरिया	कोरिया सहित कोई भी देश	कुम्हो पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड	551	मीट्रिक टन	\$
7	-do-	-do-	कोरिया	कोरिया सहित कोई भी देश	क्र.सं. 7 में उल्लिखित के अतिरिक्त कोई भी उत्पादक	768	मीट्रिक टन	\$
8	-do-	-do-	चीन, यूरोपीय संघ, कोरिया एवं थाईलैंड के अतिरिक्त कोई भी देश	कोरिया	कोई भी उत्पादक	768	मीट्रिक टन	\$
9	-do-	-do-	थाईलैंड	थाईलैंड सहित कोई भी देश	सेनिक्स (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड	307	मीट्रिक टन	\$

10	-do-	-do-	थाईलैंड	थाईलैंड सहित कोई भी देश	क्र.सं. 9 में उल्लिखित के अतिरिक्त कोई भी उत्पादक	541	मीट्रिक टन	\$
11	-do-	-do-	चीन, यूरोपीय संघ, कोरिया एवं थाईलैंड के अतिरिक्त कोई भी देश	थाईलैंड	कोई भी उत्पादक	541	मीट्रिक टन	\$

नोट 1 – ऊपर उल्लिखित सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है।

नोट 2 – उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित उत्पादकों के लिए निर्दिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दरों का आवेदन सीमा शुल्क प्राधिकारियों को एक वैध वाणिज्यिक चालान प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अधीन होगा। उक्त चालान पर चालान जारी करने वाली इकाई के किसी अधिकारी द्वारा दिनांकित एवं हस्ताक्षरित एक घोषणा अंकित होनी चाहिए, जिसमें अधिकारी का नाम एवं पदनाम स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो। घोषणा निम्नानुसार होगी:

"मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस चालान के अंतर्गत भारत को निर्यात हेतु बेची गई एन-(1,3 डाइमिथाइलब्यूटिल)-एन'-फेनिल-पी-फेनिलीनडायमाइन (पीएक्स-13 के नाम से भी जाना जाता है) की (मात्रा) का निर्माण (उत्पादक का नाम एवं पता) द्वारा [संबंधित देश] में किया गया है। मैं घोषित करता/करती हूँ कि इस चालान में दी गई जानकारी पूर्ण एवं सही है।"

यदि ऐसा कोई चालान प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी उत्पादकों पर लागू शुल्क दर लागू होगी। यह आवश्यकता लागू सीमा शुल्क कानूनों एवं विनियमों के अंतर्गत सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाने वाली सत्यापन प्रक्रियाओं को प्रभावित नहीं करेगी।

ग. आगे की प्रक्रिया

176. इस अंतिम निष्कर्ष से उत्पन्न प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDING

New Delhi, the 24th June, 2026

Case No. AD (OI)-10/2025

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of “N-(1,3 dimethylbutyl)-N'-phenyl-p-phenylenediamine (also known as PX-13)” originating in or exported from China PR, European Union, Korea RP and Kingdom of Thailand.

F. No. 6/10/2025-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter referred as the “Anti-Dumping Rules” or “Rules”) thereof,

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. NOCIL Limited (hereinafter referred to as the “applicant”) filed an application, before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 and the Anti-Dumping Rules for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-phenyl-p-phenylenediamine (also known as PX-13)” (hereinafter also referred to as the “product under consideration” or the “subject goods”) from People's Republic of China (“China PR”), European Union (“EU”), Republic of Korea (“Korea RP”) and Kingdom of Thailand (“Thailand”) (hereinafter jointly referred to as the “subject countries”).
2. And whereas, in view of the sufficient *prima facie* application filed by the applicant, the Authority issued a public notice *vide* Notification F. No. 6/10/2025-DGTR, dated 28th March, 2025, published in the Gazette of India, initiating anti-dumping investigation into imports of the product under consideration from China PR, EU, Korea RP and Thailand, in accordance with Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping of the subject goods and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

3.1 Initiation

- a. In accordance with Rule 5(5) of the Rules, the Authority notified the embassies of subject countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation.
- b. Upon examination of the application, the Authority found *prima facie* evidence of dumping and consequent injury. Therefore, in accordance with Rules 5 and 6 of the Rules, *vide* Notification F. No. 6/10/2025-DGTR dated 28th March 2025, the Authority initiated the present proceedings.

- c. The period of investigation (POI) was considered as 1st October 2023 to 30th September 2024. The injury period was set to cover the period 1st April 2021 to 31st March 2022, 1st April 2022 to 31st March 2023, 1st April 2023 to 31st March 2024 and the POI.
- d. A request was made to the Directorate General for Systems and Data Management (DG Systems) for transaction-wise import data of the subject goods for the injury period. The Authority received the data and has relied upon this data for the necessary analysis after due examination of transactions.

3.2 Circulation of non-confidential version of the application

- a. In accordance with Rule 6(2) of the Rules, the Authority informed interested parties of the initiation of the investigation by sharing a copy of the initiation notification with the embassies of subject countries in India, known producers and exporters of the product under consideration in the subject countries, known importers of the subject goods in India and other interested parties, as per the information made available in the application.
- b. In accordance with Rule 6(3) of the Rules, the Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the governments of subject countries through their embassies in India, known exporters of the subject imports and to other interested parties who requested in writing for a copy of the application.
- c. The Authority sent questionnaires to the governments of subject countries through their embassies in India. The governments of the subject countries were requested to forward the initiation notification and the questionnaires to the producers of the subject goods in their country and advise them to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.
- d. The interested parties were granted an opportunity to present their comments on the issues of confidentiality claimed by the other interested parties within 7 days of the circulation of the non-confidential version of the document filed before the Authority.

3.3 Participation by exporters of the subject countries and importers/users from India

- a. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

A. China PR

- i. Changde Dingyuan Chemical Industrial Limited
- ii. China Sunsine Chemical Holdings Ltd.
- iii. Dalian Richon Chem Co., Ltd
- iv. Dongying Bo-Chen Chemical Co., Ltd.
- v. Dongying Wantong Rubber Auxiliary Co., Ltd.
- vi. Hebei Hanxing Chemical Co., Ltd.
- vii. Hebei Haufeng Chemical Group
- viii. Hebi Huaxia Auxiliary Co., Ltd.
- ix. Hebi Uhoo Rubber Chemicals Co., Ltd.
- x. Henan Kailun Chemical Co., Ltd.
- xi. Jiangsu Donglong Industry Co., Ltd.
- xii. Jinan Runquan Chemical Co., Ltd.
- xiii. Jincheng Sky Success Chemical Industry Co., Ltd.
- xiv. Jingcheng Tiancheng Chemical Co., Ltd.
- xv. Kemai Chemical Co Ltd.
- xvi. Linkwell Rubber Chemicals Co., Ltd.
- xvii. Lion Industries Ltd.
- xviii. Nanjing Chemical Plant
- xix. Northeast Auxiliary Chemical Industry Co., Ltd.

- xx. Puyang Willing Chemicals Co., Ltd.
- xxi. Qingdao Zhongjian Rubber Chemicals Co., Ltd.
- xxii. Rongcheng Chemical General Factory Co., Ltd.
- xxiii. Sennics Co., Ltd.
- xxiv. Shandong Yanggu Huatai Chemical Co., Ltd.
- xxv. Shangyu Lixing Chemical Co., Ltd.
- xxvi. Shenzhen Huaren Industrial Co., Ltd.
- xxvii. The Organic Chemical Industry Limited
- xxviii. Tianjin East Richon Rubber Additives Co., Ltd.
- xxix. United Rubber Chemical Corp
- xxx. Yixing Dongfang Chemical Co
- xxxi. Zhejiang Huangyan Zhedong Rubber Auxiliary Co., Ltd.
- xxxii. Zhejiang Yongjia Chemical Plant
- xxxiii. Zhejina Yueqing Ultrafine Powders & Chemicals Co Ltd.

B. EU

- i. Flexsys Netherlands B. V
- ii. SGS Belgium N.V
- iii. Solutia Europe SPRUBVBA

C. Korea RP

- i. Daewoo International Corporation
- ii. Kumho Petrochemical Co., Ltd.
- iii. Posco International Corporation

D. Thailand

- i. Nittsu Shoji (Thailand) Co., Ltd.
- ii. Sennics (Thailand) Co., Ltd.
- iii. Vee Rubber Corporation Ltd.

- b. The following producers/exporters have registered themselves as interested parties in the present investigation:

A. China PR

- i. Sennics Co., Ltd.
- ii. Sennics Co., Ltd. Tai'an
- iii. Sennics Co., Ltd. Shandong
- iv. Sennics Co., Ltd. Anhui
- v. Sennics Singapore Pte. Ltd.

B. Korea RP

- i. Kumho Petrochemical Co., Ltd.
- ii. POSCO International Corporation

C. Thailand

- i. Sennics (Thailand) Co., Ltd.

- c. The Authority sent importer's questionnaire to the following known importers/users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.

- i. Apollo Tyres Limited
- ii. ATC Tires Private Limited
- iii. Balakrishna Industries Limited
- iv. Birla Tyres Limited
- v. Bridgestone India Private Limited
- vi. CEAT Limited

- vii. Goodyear India Limited
 - viii. J K Tyre & Industries Limited
 - ix. J.K. Fenner (India) Limited
 - x. Lanxess India Private Limited
 - xi. Malhotra Rubbers Limited
 - xii. Metro Tyres Limited
 - xiii. MRF Limited
 - xiv. PMC Rubber Chemicals India Private Limited
- d. In response to the initiation of the subject investigation notification, the following importers/users have registered themselves as interested parties in the investigation: -
- i. Apollo Tyres Limited
 - ii. CEAT Limited
 - iii. J K Tyres & Industries Limited
 - iv. MRF Limited
 - v. Rishiroop Limited
 - vi. Rishiroop Polymers Pvt. Limited
- e. Finorchem Limited has registered themselves as the other domestic producer in the present investigation.
- f. In addition to the above, two associations, namely, Automotive Tyre Manufacturers Association and All India Rubber Industries Association have also registered themselves as interested parties in the present investigation.
- g. The Authority issued an Economic Interest Questionnaire (EIQ) to assess public interest and impact of the duties on the wider economy. A copy of the EIQ was sent to the embassy of each subject country, all the known exporters, importers and users and the domestic industry. The EIQ was also shared with the administrative line ministry. Of the applicant, other domestic producer, producers/exporters, importers/users and user associations registered as interested party, a response to the economic interest questionnaire was filed by the following:

SN	Name of interested party
I	Applicant
a.	NOCIL Limited
II	Producers/exporters
a.	Kumho Petrochemical Co., Ltd.
b.	POSCO International Corporation
III	Importers/users
a.	MRF Limited
b.	J K Tyres & Industries Limited
c.	CEAT Limited
d.	Apollo Tyres Ltd.

3.4 Further procedures

- a. A list of all interested parties that registered themselves within the prescribed timeline was uploaded on the website. All registered interested parties were directed to circulate the non-

- confidential version of all their submissions in the present proceedings with all other interested parties
- b. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a hearing held on 4th September 2025. The parties presenting their views in the oral hearing were directed to make written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions. Subsequently, another oral hearing was held on **19th December 2025** on account of change of the Designated Authority. All the parties who had attended the second oral hearing were provided an opportunity to file written submissions, followed by rejoinder submissions. The interested parties were further directed to share the NCV of the written submissions with the other interested parties.
- c. In accordance with Rule 6(8) of the Rules, wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information in a timely manner during the course of the present proceedings, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the findings based on the facts available.
- d. In accordance with Rule 7 of the Rules, information provided by the interested parties on a confidential basis was examined by the Authority with regard to the sufficiency of the confidentiality claimed. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide a non-confidential summary of the information filed on confidential basis.
- e. In accordance with Rule 8 of the Rules, the Authority conducted verification of the data provided by the applicant and other interested parties to the extent considered necessary for the present proceedings. The Authority has considered the verified data of the interested parties in its analysis in the present case.
- f. The non-injurious price (hereinafter referred to as the “NIP”) has been determined based on the cost of production and reasonable return on capital employed for the subject goods in India, based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the AD Rules, 1995 so as to ascertain whether anti-dumping duties lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- g. The Authority examined the issues raised, information provided, and submissions made by the interested parties during the course of the proceedings, to the extent they were supported by evidence and considered relevant to the present purposes, in making the final finding.
- h. The examination and verification of the information submitted by the cooperating producers/exporters from the subject countries were also carried out to the extent deemed necessary and the same has been relied upon for the purpose of the present final findings.
- i. A disclosure statement containing the essential facts of the investigation which have formed the basis of the final findings was issued to the interested parties on 17th June 2026 and the interested parties were asked to provide comments on the disclosure statement. The submissions made by the interested parties, arguments raised, and the comments to disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant, non-repetitive and supported with evidence in this final finding notification.
- j. *** represents information furnished by a party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- k. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US\$ = ₹ 84.27.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION (PUC) AND LIKE ARTICLE**C.1 Submission by opposing interested party**

4. The opposing interested party has not made any submission with regard to the product under consideration and like article.

C.2 Submission by the applicant

5. The applicant has made the following submissions with regard to the product under consideration:
- The product under consideration is “N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-phenyl-p-phenylenediamine” or also known as “PX-13” or “6 PPD”.
 - The product under consideration is also known as 6PPD and is imported with various descriptions such as Antioxidant 6PPD, Kumanox 13, Santoflex 6PPD, Sirantox 6PPD, Vulkanox 4020, Antioxidant4020, Dussantox 6PPD, Antage 6C, N-1,3-Dimethylbutyl)-N'-Phenyl-P-Phenylenediamine, etc.
 - The product under consideration is an alkyl-aryl-PPD anti-degradant most widely used in the tyre and non-tyre sector of the rubber industry.
 - The product under consideration is classifiable under Chapter 38 of the Customs Tariff Act, 1975 under the subheading 3812 39. The product under consideration has been imported under the following HS codes, namely 2921 51 20, 2921 51 30, 2921 51 90, 3812 10 00, 3812 20 90, 3812 31 00, 3812 39 10, 3812 39 20, 3812 39 30 and 3812 39 90.
 - There is no known difference in the like article produced by the applicant and the product under consideration exported from the subject countries.

C.3 Examination by the Authority

6. The Authority has examined the submissions regarding the PUC made by the interested parties herein as under:
7. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as under:

“3. The product under consideration (PUC) in the present application is “N-(1,3 dimethylbutyl)-N'-phenyl-p-phenylenediamine” or also known as “PX-13” or “6 PPD”.

4. PX-13 is also known as 6PPD and is imported with various descriptions such as Antioxidant 6PPD, Kumanox 13, Santoflex 6PPD, Sirantox 6PPD, Vulkanox 4020, Antioxidant4020, Dussantox 6PPD, Antage 6C, N-1,3-Dimethylbutyl)-N'-Phenyl-P Phenylenediamine, etc.

5. PX-13 is an alkyl-aryl-PPD anti-degradant most widely used in the tyre and non tyre sector of the rubber industry. PX-13 offers excellent resistance to rubber vulcanizates against degradative forces such as ozone (static as well as dynamic), flex-cracking and fatigue, oxidative heat ageing, metal-ion catalysed oxidative ageing, UV light and weathering. It is used as antioxidants in treating natural rubber, synthetic rubber (SBR, Butadiene Rubber, Nitrile Rubber, Carboxylated Rubber) and other synthetic rubber-based compounds used for manufacture of various rubber products to achieve the desired life cycle of the rubber product.

6. PX-13 is classified under Chapter 38 viz., 'Miscellaneous chemicals products' of the Customs Tariff Act, 1975 under sub-heading 3812 39 of the tariff classification. The applicant has stated that PX-13 is imported under the ITC-HS codes 29215120, 29215130, 29215190, 38121000, 38122090, 38123100, 38123910, 38123920, 38123930 and 38123990.”

8. The Authority notified the scope of the product under consideration in the notice of initiation. Whereby, the interested parties were granted an opportunity to present their comments on the scope of the PUC, and product control numbers (PCNs) methodology. Apart from domestic industry, none of the interested parties have filed any comments on the scope of the PUC and proposed PCNs methodology. Accordingly, the Authority confirms the scope of the product under consideration as below.

“3. The product under consideration (PUC) in the present application is “N-(1,3 dimethylbutyl)-N'-phenyl-p-phenylenediamine” or also known as “PX-13” or “6 PPD”.

4. PX-13 is also known as 6PPD and is imported with various descriptions such as Antioxidant 6PPD, Kumanox 13, Santoflex 6PPD, Sirantox 6PPD, Vulkanox 4020, Antioxidant4020, Dussantox 6PPD, Antage 6C, N-1,3-Dimethylbutyl)-N'-Phenyl-P Phenylenediamine, etc.”

9. PX-13 is classified under Chapter 38 viz., 'Miscellaneous chemicals products' of the Customs Tariff Act, 1975 under sub-heading 3812 39 of the tariff classification. The applicant has stated that PX-13 is imported under the ITC-HS codes 29215120, 29215130, 29215190, 38121000, 38122090, 38123100, 38123910, 38123920, 38123930 and 38123990. The Authority notes that the aforesaid customs classification is only indicative and not binding on the scope of the product under consideration. Imports of the product under consideration, wherever reported, have been considered for the purpose of present determination.
10. There are no restrictions on the import of the product under consideration in India as it falls under Open General License.
11. The basic customs duty applicable to product under consideration is 7.5%. The imports of the product under consideration enjoy basic customs duty concession when imported from Thailand under the ASEAN–India Free Trade Area (AIFTA) and the Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) between India and Korea. Examination of the DG System Transaction wise data and the questionnaire responses shows that the imports of the product have been cleared after payment of customs duty from Korea RP. However, the imports of the product under consideration have been cleared without payment of customs duty when imported from Thailand.
12. The prescribed unit of measurement for the product under consideration is weight, expressed in kilogram (KG) or MT. The information in the application has been presented in the form of MT.
13. Rule 2(d) of the Anti-Dumping Rules provides the definition of like article as under:
- "like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation.*
14. After considering the information on record, the Authority concludes that the product under consideration produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of physical characteristics, functions & uses, product specifications, pricing,

distribution & marketing and tariff classification of the goods. The goods produced by the domestic industry and imported from the subject countries are like articles in terms of the provisions of Anti-Dumping Rules. The two are technically and commercially, substitutable. Thus, the Authority concludes that the subject goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from the subject countries within the scope and meaning of Rule 2(d) of Anti-Dumping Rules.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1 Submission by opposing interested party

15. The opposing interested party has made the following submissions with regard to the scope of the domestic industry or its standing.
- i. The standing of the applicant is unclear because the applicant has not disclosed the range of shares of the applicant in total Indian production.
 - ii. The share of the applicant in total production has declined by 15% in the period of investigation as compared to 2021-22.
 - iii. Support letter of Finorchem Limited has not been shared with the other interested parties.
 - iv. The Authority's reliance on the alleged support of Finorchem Limited without disclosing it in terms of the prescribed Trade Notices (Trade Notice No. 13/2018 and Trade Notice No 14/2018) is inconsistent with the Authority's procedural framework.

D.2 Submission by the applicant

16. The applicant has made the following submissions with regard to the scope of the domestic industry and its standing:
- i. Other than the applicant, there are two other producers of the subject goods in India, namely Finorchem Limited and Lanxess India Private Limited. The applicant has adequate standing to file the present application.
 - ii. The applicant has not imported the product under consideration in the period of investigation from the subject countries.
 - iii. The applicant is not related to any exporters in the subject countries or importers of the product under consideration into India.
 - iv. The domestic industry had sent communication to Finorchem Limited seeking their views on the application, but it did not respond to the communication sent. Finorchem had directly filed a support letter with the Authority.

D.3 Examination by the Authority

17. Rule 2(b) of the Rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.

18. The application has been filed by NOCIL Limited. As per the information on record, there are two other producers of the subject goods in India viz., Finorchem Limited and Lanxess India Private Limited. The Authority had sent communication to the other two domestic producers before

initiation of investigation. While response was received from Finorchem Limited supporting the application, no response was received from Lanxess India Private Limited. There was no response from these other domestic producers post initiation of investigations.

19. The Authority has examined the DG System transaction wise data, and it is seen that none of these producers have imported the product under consideration in the period of investigation.
20. It is seen that NOCIL Limited is not related to any exporters of the product under consideration from the subject countries or any importer in India.
21. Based on information on record, the Authority has determined the Indian production and share of NOCIL Limited in Indian production as follows:

SN	Particulars	Production	Share (%)
1	Production of NOCIL Limited	***	60-70
2	Production of other producers		
i	Finorchem Limited	***	10-20
ii	Lanxess India Private Limited	***	10-20
3	Total/gross Indian production	***	100

22. The Authority notes that the production of NOCIL Limited accounts for more than 50% share in the Indian production.
23. Prior to the initiation of the investigation, the Authority sent emails to both Lanxess India Private Limited and Finorchem Limited seeking their views on whether they supported or opposed the application. In response, Finorchem Limited conveyed its support for the application through email. However, post-initiation, Finorchem Limited has not provided its information on production or sales. Based on the information on record, the Authority notes that the production of NOCIL Limited accounts for more than 50% of the gross Indian production. The Authority further notes that, even without considering the support of the other domestic producer, NOCIL Limited satisfies the criteria of standing.
24. Considering the information available on record, it is seen that NOCIL Limited accounts for a major proportion of Indian production in terms of the Rules. NOCIL Limited is an eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) and satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules. Hence, the Authority holds that NOCIL Limited constitutes domestic industry within the meaning of the Rules.

E. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

E.1 Submission by opposing interested party

25. The opposing interested party has made the following misc. submission:
 - i. The applicant has not provided the best information available on the volume and value of production by all other producers (except the applicant) as per the requirement of Trade Notice No. 10/2018. Rather, the applicant has only provided trend of volume of production of all other producers.

- ii. The applicant has not disclosed data in trend with regard to the applicant's research and development expense, funds raised and cost of sales per unit (exports) as per the requirement of Trade Notice No. 10/2018.
- iii. The applicant has not disclosed its aggregate actual data of non-injurious price calculation in range as per the requirement of Trade Notice No. 10/2018.
- iv. The applicant has not disclosed its actual share or provided a range of the applicant's share in total Indian production within the application.
- v. On the comments by the domestic industry on excessive confidentiality claimed by Sennics (Thailand) Co., Ltd., Sennics Co., Ltd. Anhui, Sennics Co., Ltd. Tai'an and Sennics Co., Ltd., the information such as manufacturing process, raw material names, adjustments, channel of marketing and other details are business sensitive information.
- vi. On the comments by the domestic industry on excessive confidentiality claimed by Kumho Petrochemical Co., Ltd. and POSCO International Corporation, the information such as manufacturing process, raw material names and other details are business sensitive information and cannot be disclosed.
- vii. On the comments by the domestic industry on excessive confidentiality claimed by MRF Limited, J K Tyres & Industries Limited, CEAT Limited and Apollo Tyres Ltd., the information on production process and flow chart, actual information on details of utilisation of product in the downstream product, share in the domestic market and other details are commercially sensitive details not available in public domain.
- viii. The applicant has not disclosed the range of non-injurious price.
- ix. In the most recently concluded anti-dumping investigation on the product under consideration, the Ministry of Finance has concluded that the domestic industry has obtained sufficient protection from import competition and there is no need for recommending imposition of anti-dumping duty for further period.
- x. The data sourced from the private source is not authentic and reliable. The Authority should have called for DGCI&S data for the examination of imports in the present investigation at the time of initiation.
- xi. The applicant is a habitual initiator of trade remedy investigations, indicating a pattern of abuse of the process.

E.2 Submission by the applicant

26. The applicant has made the following misc. submissions: -

- i. Research and development expense, funds raised and cost of sales per unit (exports) of the applicant, and the value of production of other domestic producers are not being provided as the anti-dumping application proforma (notified *vide* Trade Notice No. 04/2021) does not require these details to be provided within the application.
- ii. On the submission of the interested parties that the non-injurious price has not been disclosed, the range of non-injurious price has been disclosed.
- iii. The applicant is not required to disclose the range of its share in total Indian production as per the requirement of Trade Notice No. 10/2018
- iv. Sennics (Thailand) Co., Ltd., Sennics Co., Ltd. Anhui, Sennics Co., Ltd. Tai'an and Sennics Co., Ltd. Shandong have not provided actual information on write-up of broad stage wise manufacturing, adjustment in normal value and export price, raw material, channel of marketing and other information which are required to be disclosed as per Trade Notice 10/2018.
- v. Kumho Petrochemical Co., Ltd. and POSCO International Corporation have claimed the list of adjustments used in normal value and export price calculation, raw material names, and manufacturing process as confidential.

- vi. MRF Limited, J K Tyres & Industries Limited, CEAT Limited and Apollo Tyres Ltd. have claimed information regarding manufacturing process, share of the product under consideration in their downstream product and their share in the demand as completely confidential.
- vii. The applicant had relied on the import data as per its market intelligence. There is no sufficient evidence brought forward by the interested party showing how the import data of the applicant is unreliable.
- viii. The applicant categorically refutes the assertion of interested parties that recommendations of the Authority to impose measures were not accepted as Ministry of Finance had concluded that the domestic industry has obtained sufficient protection from import competition.
- ix. There is nothing on public record that would even indicate that the Ministry of Finance considered that anti-dumping duties were not required.
- x. The applicant has been forced to become habitual user of trade remedies because the producers in the subject countries are habitual of dumping the product in the Indian market.

E.3 Examination by the Authority

27. The Authority made available the non-confidential version of the information provided by the various parties to all the other interested parties as per Rule 6(7) of the Rules. With regard to confidentiality of the information submitted by the interested parties, Rule 7 of the Rules provides as follows:

“7. Confidential Information:

(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the interested parties providing information on confidential basis to furnish nonconfidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarisation is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

28. Submissions made by the domestic industry and other opposing interested parties with regard to confidentiality, to the extent considered relevant, were examined by the Authority and addressed accordingly. The Authority notes that the information provided by the interested parties on confidential basis was duly examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient nonconfidential version of the information filed on confidential basis. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

29. On the submissions made by the interested parties concerning the reliability of the data used by the domestic industry for the examination of imports, the Authority examined the import data based on the DG System Transaction Wise data and found that the import volume and price were comparable. Accordingly, the Authority has relied upon the same for the purpose of the present investigation.
30. On the submission of the interested parties of the domestic industry being a habitual initiator of trade remedy investigations, thereby indicating a pattern of abuse of the process, the Authority notes that while multiple anti-dumping investigations have been conducted in the past on the product under consideration both from subject as well as non-subject countries, these investigations have been initiated, and recommendations for imposition of duty made (wherever warranted), pursuant to the requirements as per the Act and the Rules. Similarly, in the present case, the Authority had initiated this investigation on the basis of duly substantiated written application submitted by the domestic industry and having reached satisfaction based on the prima facie evidence submitted by the domestic industry concerning the dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, the consequential injury to the domestic industry as a result of the alleged dumping of the product under consideration and the causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules.
31. The Authority also notes the contention of the interested parties regarding non-imposition of duties by Ministry of Finance despite recommendations in the last two investigations concerning this product. The interested parties have made definitive submissions regarding the reasons for such non-imposition. However, the Authority notes that the interested parties have not advanced any evidence in support of this submission.

F. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE & DUMPING MARGIN FOR THE SUBJECT COUNTRIES

F.1 Submission by opposing interested party

32. The opposing interested party has made the following submissions with regard to normal value, export price and dumping margin:
- i. The presumption of China PR as a non-market economy and the requirement to file MET ceased on 11th December 2016 with the expiry of China's Accession Protocol provisions. Accordingly, normal value must be determined on the basis of actual domestic prices and costs of participating Chinese producers, and reliance on surrogate country methodology post-2016 is inconsistent with WTO obligations.
 - ii. Claims regarding Sennics' alleged global dominance, control over demand or raw materials, surrogate relationships with other producers, and impact on closures or capacity decisions of unrelated companies are speculative, factually incorrect, and unsupported by any credible evidence, and should therefore be rejected in entirety.
 - iii. The domestic industry has failed to establish any legal or factual basis to reject the verified costs and domestic selling prices of Kumho Petrochemicals Co. Ltd. and Sennics (Thailand) Co., Ltd. Sole-producer status, raw material sourcing, or unsubstantiated claims of cost distortion do not justify discarding domestic prices or substituting exporters' costs with the applicant's costs in the absence of evidence of sales below cost or a particular market situation.
 - iv. Allegations of market allocation or collusion between Sennics and Kumho are speculative and unsupported by evidence, and that the absence of bilateral exports is driven by legitimate commercial considerations, with both exporters actively competing in the Indian market.

- v. Claims seeking to treat Sennics and Kumho as related parties are legally untenable, as none of the criteria under applicable DGTR guidelines are met, and speculative notions of “operational control” cannot replace objective legal standards.
- vi. Generalized references to global demand slowdown do not establish dumping or injury in India, and no evidence or causal link has been demonstrated between international market conditions and export pricing to India.
- vii. The cost of raw material (4-ADPA) for the Respondent must be determined on an actual basis as per the records maintained by the company.
- viii. The allegation of a 'particular market situation' in Korea RP is unfounded; procurement of raw materials from an unrelated party in China PR does not constitute such a situation under Article 2.2 of the WTO Anti-Dumping Agreement.
- ix. As per Article 2.2.1.1 of the WTO Anti-Dumping Agreement and multiple WTO Appellate Body rulings (e.g., *EU – Biodiesel*), an investigating authority is obligated to use an exporter's actual costs if its records comply with GAAP and reasonably reflect the costs. Rejecting actual costs in favour of a benchmark price is inconsistent with this legal standard.
- x. The Respondent has commenced its own production of 4-ADPA post-POI, making any rejection of historical procurement costs unreasonable for the purpose of future duties.
- xi. The dumping margin must be calculated based on the actual normal value and export price information provided by the cooperating producer/exporter, in accordance with Section 9A(6A) of the Customs Tariff Act.

F.2 Submission by the applicant

33. The following submissions have been made by the applicant with regard to normal value, export price and dumping margin:
 - i. China PR should be considered a non-market economy.
 - ii. Should it be contended that Article 15(a)(ii) of China PR's Accession Protocol has already ceased and therefore the same cannot be applied to the present case, Article 15(a)(i) is still applicable and must be considered for determination of normal value for China PR.
 - iii. The obligation under 15(a)(i) of China PR's Accession Protocol require the criterion stipulated in para 8 of Annexure I of the Rules to be satisfied by the exporter.
 - iv. Since Chinese producers are not entitled to market economy treatment, the Designated Authority should follow para 7 of Annexure I of the Rules for the determination of Normal Value.
 - v. The cost of Kumho Petrochemicals Co. Ltd. and Sennics (Thailand) Co., Ltd., should not be accepted for the purpose of normal value.
 - vi. There exists a tacit agreement between Kumho Petrochemicals Co. Ltd. and Sennics, China wherein 4-ADPA is exclusively sourced by Kumho Petrochemicals from Sennics, China at lower prices than at which Sennics, China sells the same to other producers and other markets.
 - vii. The fact that it has been exported at low prices it has also been observed by the Authority in the 'Anti-Dumping investigation concerning the imports of Rubber Chemicals viz. MBT, CBS, TDQ, PVI, and TMT from China and PX-13(6PPD) from China and Korea RP' (F. No. 14/5/2007- DGAD dated 1st October 2008), which was further upheld by the Hon'ble CESTAT Tribunal and the Hon'ble Supreme Court.
 - viii. There is no export by Sennics, China to Korea despite holding so significant capacities, far exceeding domestic demand, and despite the fact that both Kumho and Sennics are undertaking significant exports. Similarly, Kumho Petrochemicals Co. Ltd. has not exported the product to China.

- ix. Import price per unit from China PR to Korea RP of 4-ADPA shows that 4-ADPA is being exported at significantly low prices to Korea RP in comparison to exports prices to other countries.
- x. Kumho and Sennics should be deemed to be related parties for the purpose of present investigations and because of their actions and inactions.
- xi. A producer should be deemed to control another producer when the former is legally or operationally in a position to exercise restraint or direction over the latter. Thus, control is not limited to legal control and extends to operational control.
- xii. In *Stainless Steel Wire Rod from Korea*, USDOC found that POSCO had a close supplier relationship with the respondent Dongbang Special Steel Co., Ltd. since POSCO was the major supplier of black coil (black coil was the major raw material used to produce wire rod) to Dongbang and Dongbang did not have an alternative source of black coil. A similar position was also observed by USDOC in *Certain Oil Country Tubular Goods from Republic of Korea*.
- xiii. The cost of production of Sennics (Thailand) Co., Ltd., should not be accepted for the purpose of normal value since Sennics (Thailand) Co., Ltd. procures 4-ADPA from its related entity Sennics, China for the production of PX-13.
- xiv. Import price per unit from China PR to Thailand of 4-ADPA shows that 4-ADPA is being exported at significantly low prices to Thailand in comparison to exports prices to other countries.
- xv. Cost of production for the purpose of calculation of normal value for Kumho Petrochemicals Co. Ltd. and Sennics (Thailand) Co., Ltd., should not be based on records kept by the exporter as per Annexure I of the Anti-Dumping Rules since the records do not reasonably reflect the cost associated with production and sale of the article under consideration
- xvi. The records do not reasonably reflect the cost associated with production and sale of the article under consideration since the records did not suitably and sufficiently correspond to or reproduce those costs incurred by the investigated exporter or producer that have a genuine relationship with the production and sale of the specific product under consideration.
- xvii. In any event, records may be found not to reasonably reflect the costs associated with the production and sale of the product under consideration where transaction involving inputs are not at arm's length as held by the WTO Panel and Appellate Body in *EU – Biodiesel* and WTO Panel Body in *US – OCTG (Korea)*.
- xviii. In any event, the tacit agreement and actions and inactions between Kumho Petrochemicals Co. Ltd. and Sennics, China constitute an 'abnormal' circumstance that justifies the rejection of the Kumho's cost.
- xix. The use of the term 'normally,' read together with the phrase 'for the purpose of paragraph 2,' under Article 2.2.1.1 of the WTO Anti-Dumping Agreement indicates that the provision for cost rejection does not exhaust the circumstances in which the costs reflected in the records of the producer or exporter under investigation may be rejected, as held by WTO Panel Body in *EU – Cost Adjustment Methodologies II (Russia)*.
- xx. In any event, Kumho Petrochemicals Co. Ltd. and Sennics (Thailand) Co., Ltd. are faced with a 'particular market situation'.
- xxi. Section 9A(c)(2) of the Customs Tariff Act detailing 'particular market situation' is pari materia to Article 2.2. of the Anti-Dumping Agreement.
- xxii. The WTO Panel body in *Australia – Anti-Dumping Measures on Paper* has held that 'particular market situation' is relevant as long as the situation has the effect of rendering domestic sales unfit to permit a proper comparison.
- xxiii. The WTO Panel body in *Australia – Anti-Dumping Measures on Paper* had held low-priced inputs used for the production of subject merchandise to constitute a 'particular market situation'.

- xxiv. In view of the distorted cost of production of Kumho Petrochemicals Co. Ltd. and Sennics (Thailand) Co., Ltd., the Authority should determine their cost of production on the basis of the cost of production of the applicant.
- xxv. Since 4-ADPA is imported into India from China PR and the European Union, both of which are the subject countries currently undergoing anti-dumping investigation pursuant to prima facie evidence of dumping and consequent injury to the domestic industry, such import prices are themselves distorted and cannot be considered a reliable benchmark.

F.3 Examination by the Authority

34. Under section 9A(1)(c), the normal value in relation to an article means:

- i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or*
- ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:*

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6).

(b) Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

F.3 (a) Normal value and Export Price for China PR

Normal Value for China PR

35. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) *The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*

(b) *In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.*

(c) *The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*

(d) *Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provision of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."*

36. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a) (ii) have expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO, read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession Protocol require the criterion stipulated in Para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status.
37. As none of the producers from China PR have filed a supplementary questionnaire on market economy conditions questionnaire response, the normal value has been determined in accordance with para 7 of Annexure I to the Rules which read as under:

"7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated Authority in a reasonable manner keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of the selection. Account shall also be taken within time limits; where appropriate, of the investigation if any made in similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

8. (1) *The term "non-market economy country" means any country which the designated Authority determines as not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in subparagraph (3).*

(2) *There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an antidumping investigation by the designated Authority or by the competent Authority of any WTO member country during the three-year period preceding the investigation is a non-market economy country. Provided, however, that the non-market economy country or the concerned firms from such country may rebut such presumption by providing information and evidence to the designated Authority that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3).*

(3) *The designated Authority shall consider in each case the following criteria as to whether: (a) the decisions of the concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values; (b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts; (c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and (d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate. Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the designated Authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this paragraph.*

(4) *Notwithstanding, anything contained in sub-paragraph (2), the designated Authority may treat such country as market economy country which, on the basis of the latest detailed evaluation of relevant criteria, which includes the criteria specified in sub paragraph (3), has been, by publication of such evaluation in a public document, treated or determined to be treated as a market economy country for the purposes of anti-dumping investigations, by a country which is a Member of the World Trade Organization.*

38. Para 7 lays down hierarchy for determination of normal value and provides that normal value shall be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to any other country, including India, or where it is not possible, on any reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like article, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. Thus, the Authority notes that the normal value is required to be determined having regard to the various sequential alternatives provided under Annexure-I.
39. It is to be noted that no information/evidence has been provided by the interested parties for the construction of the normal value on the basis of the first and second methods. In the absence of the above information/evidence, the Authority is unable to determine normal value on the basis of the

first or second method. Therefore, the Authority has decided to construct normal value based on the third method, i.e., on any other reasonable basis including the price actually paid or payable in India during the period of investigation. The Authority has constructed the normal value on the basis of the price paid or payable in India. The normal value has been determined considering the cost of production in India, as adjusted, after addition of the selling, general & administrative expenses, and the reasonable profits. The normal value as determined is mentioned at dumping margin table.

Export Price for China PR

Export price for Sennics Co., Ltd.

40. Sennics Co., Ltd. Anhui, is a producer/exporter of the subject goods from China PR. During the POI, Sennics Co., Ltd. Anhui, has sold *** MT subject goods of invoice value *** CNY to India indirectly through a related exporter/trader namely Sennics Co., Ltd.
41. Sennics Co., Ltd. Shandong is a producer/exporter of the subject goods from China PR. During the POI, Sennics Co., Ltd. Shandong, has sold ***MT subject goods of invoice value *** CNY to India indirectly through a related exporter/trader namely Sennics Co., Ltd.
42. Sennics Co., Ltd. Tai'an is a producer/exporter of the subject goods from China PR. During the POI, Sennics Co., Ltd. Tai'an, has sold *** MT subject goods of invoice value *** CNY to India indirectly through related exporters/traders, namely Sennics Co., Ltd. and Sennics Singapore Pte. Ltd.
43. The producers/exporters have claimed no adjustments as subject goods sold to India are on ex-works basis.
44. All three producers form part of the same group (jointly referred to as Sennics Group) and therefore, the dumping margin and injury margin have been first determined for the individual producer and then determined for the group.
45. The export price at ex-factory level so determined is as shown in the dumping margin table below.

Export price for non-cooperative exporters/producers.

46. The export price for non-cooperative producers/exporters from China PR has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The net export price so determined is mentioned in the dumping margin table below.

F.3 (b) Normal value and Export Price for EU

Normal value for EU

47. None of the interested parties cooperated from EU. The normal value for EU has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

Export Price for EU

48. None of the interested parties cooperated from EU. The export price for EU has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The net export price so determined is mentioned in the dumping margin table below.

F.3 (c) Normal value and Export Price for Thailand

Normal value for Sennics (Thailand) Co., Ltd.

49. Sennics (Thailand) Co., Ltd. is a producer/exporter of the subject goods from Thailand. Sennics (Thailand) Co., Ltd. has sold ***MT of the subject goods having invoice value *** THB to unrelated customers in the domestic market during the POI, based on response of Sennics (Thailand) Co., Ltd., it is noted that the domestic sales are in sufficient quantity in the domestic market.
50. It is seen that Sennics (Thailand) Co., Ltd. has sourced 4-ADPA from its related entity, Sennics Co., Ltd., China PR, which has not claimed any market economy treatment. It is therefore considered that the use of actual purchase price of 4-ADPA by Sennics (Thailand) Co., Ltd. from Sennics Co., Ltd., China PR would not reasonably reflect the cost associated with production of PX-13, and therefore, the consumption price of 4-ADPA reported by Sennics (Thailand) Co., Ltd. cannot be adopted for the purpose of determination of cost of production. Rest of the cost of production of PX-13 as claimed by Sennics (Thailand) Co., Ltd. has been accepted. The revised cost of sales of PX-13 so constructed has been taken into account for the ordinary course of trade test.
51. In view of the above, the Authority has taken international price of 4-ADPA i.e., import price of 4-ADPA from EU in the POI, after adjusting as ocean freight, insurance and port expenses, for the purpose of working out the cost of production of PX-13. Rest of the cost of production of PX-13 as claimed by Sennics (Thailand) Co., Ltd. has been accepted. The revised cost of sales of PX-13 so constructed has been taken into account for ordinary course of trade test.
52. On the basis of the cost of sales determined as above, the Authority has carried out the ordinary course of trade test. In case profit making transactions are more than 80%, then the Authority has considered all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value. Where profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of normal value. Based on the ordinary course of trade test, only profitable domestic sales have been taken for determination of normal value, since the profitable sales were less than 80%.
53. Sennics (Thailand) Co., Ltd. has claimed adjustments on account of inland transportation, credit cost and bank charges to arrive at export price at ex-factory level. The Authority has undertaken desk verification and examined the claims made by the interested party. The adjustments claimed by the respondent interested party have been allowed. Accordingly, the normal value for Sennics (Thailand) Co., Ltd. has been determined and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Export price for Sennics (Thailand) Co., Ltd.

54. During the POI, Sennics (Thailand) Co., Ltd. has sold *** MT subject goods of invoice value *** US\$ to India. Out of the subject goods sold to India in the POI, the company has exported *** MT directly and *** MT indirectly through an unrelated exporter/trader, namely Apollo Tyres Holdings (Singapore) Pte Ltd., Singapore. It is noted that Apollo Tyres Holdings (Singapore) Pte Ltd., Singapore has not participated in this investigation and therefore not cooperated before the Authority. In this regard, it is noted that the complete channel of information of subject goods

produced by Sennics (Thailand) Co., Ltd. and exported to India has not been made available to the Authority. However, taking into account direct exports of subject goods produced and exported by Sennics (Thailand) Co., Ltd. to India, the Authority has decided to work out an individual export price for Sennics (Thailand) Co., Ltd. For working out the export price, the Authority has considered the actual export price for the chain comprising Sennics (Thailand) Co., Ltd's direct exports to India and export price based on the best available information for Apollo Tyres Holdings (Singapore) Pte Ltd., Singapore.

55. The producer/exporter has claimed adjustments on accounts of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, credit cost and bank charges to arrive at export price at ex-factory level.
56. The Authority has undertaken desk verification and examined the claims made by the interested party. The adjustments claimed by the interested party have been allowed. Accordingly, the export price for Sennics (Thailand) Co., Ltd. has been determined and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Normal value and export price for non-cooperative exporters/producers

57. The normal value and export price for all other non-cooperative producers/exporters from Thailand have been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The normal value and export price so determined is mentioned in the dumping margin table below.

F.3 (d) Normal value and Export Price for Korea RP

Normal value for Kumho Petrochemical Co., Ltd.

58. Kumho Petrochemical Co., Ltd. is a producer/exporter of the subject goods from Korea RP. During the POI, Kumho Petrochemical Co., Ltd. has sold ***KG of the subject goods having invoice value *** KRW to unrelated customers in the domestic market. Based on the response of Kumho Petrochemical Co., Ltd., it is noted that the domestic sales are in sufficient quantity in the domestic market.
59. The Authority notes that 4-ADPA is a major raw material in production of the product under consideration. The information provided by the domestic industry and Kumho Petrochemical Co., Ltd. show that 4-ADPA constitutes a significant part of the total cost of production of PX-13. As per information available on record, 4-ADPA is being largely produced only by Chinese and Indian producer, with some quantity being produced in EU. Information provided by responding producers show that Kumho Petrochemical Co., Ltd. has entirely sourced 4-ADPA from China PR. Questionnaire response filed by Chinese producers show that they produce their own 4-ADPA. The responding producers from China PR have not claimed market economy treatment.
60. With regard to determination of normal value for Kumho Petrochemical Co., Ltd. in the present investigation, it is noted that the Authority has consistently rejected 4-ADPA cost of Kumho Petrochemical Co., Ltd. in the past anti-dumping investigations for determination of normal value. No evidence or argument has been provided that the situation in the present investigation has undergone any major change from the previous investigations on the product under consideration from the same country where the same cooperating producer and exporter had participated. It is further noted that the very issue has also been upheld by Hon'ble CESTAT, and the supreme court

and now attained finality with regard to treatment of 4-ADPA cost reported by the Kumho. Relevant extract of the decision of Hon'ble CESTAT is reproduced below.

61. The Hon'ble CESTAT in its judgment reported as 2015 (322) E.L.T. 514 (Tri. - Del.) held as under:

“19. In dumping investigations, the Authority routinely requests both price and cost information in order to check whether domestic sales are made below cost. In determining normal value, sales of the like product in the domestic market of the exporting country at prices below per unit (fixed and variable) costs of production plus SGA costs will be treated as not being in ordinary course of trade by reason of price. In order to ascertain the comparable price for the like article when meant for consumption in ordinary course of trade in the exporting country under Section 9A(1)(c)(i) ibid, the sales reflected in the accounts/record for the relevant period at the price shown therein will normally be accepted when the record reasonably reflects the cost associated with the production and sale of such article. However, when a major input is imported from a non-market economy country, the sale price reflected in the record will have to be scrutinized to detect and correct the distortion resulting from the non-market economy price of the input used, the cost of which is required to be worked out in order to correct the distorted cost of production of the article. The Authority is justified in rejecting the domestic sales price shown as the record when the input in question was produced within a non-market economy country, because the price for such input would be distorted, as they do not reflect the normal market economy purchase price. The prices or costs in non-market economies are not accepted as an appropriate basis for the calculation of normal value on the ground that prices and costs are controlled and regulated by the government and therefore not subject to market forces. Export price of 4 ADPA from China to India, would also suffer from the same distortions. Thus, in our view, the international price, as evidenced by the import data for 4 ADPA from a market economy country to India, is a fair basis for ascertaining the actual value of 4 ADPA.....”

62. The Hon'ble Supreme Bench on 8-5-2015 disposed of the Petition for Special Leave to Appeal (Civil) No. 12086-12087 of 2015 with S.L.P. (C) CC No. 8088 of 2015 filed by Kumho Petrochemicals Co., Ltd. against the CESTAT Final Order Nos. AD/A/54808-54810/2014-CU(DB), dated 26-12-2014 as reported in 2015 (322) E.L.T. 514 (Tri.-Del.) (Kumho Petrochemicals Co. Ltd. v. Designated Authority). While disposing of the petitions, the Supreme Court passed the following order:
SLP (C) Nos. 12086-12087 12015

“Learned counsel for the petitioners, on instructions, seeks permission of this Court to withdraw these special leave petitions with liberty to the petitioners, if they so desire, to question the correctness or otherwise of the order that may be passed by the designated authority, Director General of Anti-Dumping and allied duties, before an appropriate forum by taking up all such contentions which are available to them including the contentions raised in these special leave petitions.”

63. Kumho again challenged the remand finding before the Hon'ble CESTAT. The Hon'ble CESTAT rejected the appeal vide its Final Order Nos. AD/N53452-53453/2016-CU(DB), dated 9-9-2016 reported as 2016 (342) E.L.T. 573 (Tri. - Del.) and held as follows;

“6. We have heard all the interested parties and perused the appeal records including the written submissions. We note that in the first round of appeal, the Tribunal examined two

issues for decision. The first one being the correctness of cost construction for production of 6 PPD (one of the subject goods) for arriving at normal value and consequently, the dumping margin and injury decision on the said goods. After elaborate discussion, the Tribunal recorded that the DA rightly rejected the price of 4 ADPA from Sinorgchem and after for construction of normal value based on the international price of 4 ADPA which is a main raw material for 6 PPD. The Tribunal upheld the rejection of 4 ADPA price from China and arriving of normal value based on international price of 4 ADPA. Hence, the issue relating to methodology adopted by the DA in constructing the normal value for the appellants has reached finality. The conclusion of the Tribunal has not been challenged before any higher judicial forum.”

64. The Hon'ble Supreme Court Bench on 13-2-2017 dismissed Petition for Special Leave to Appeal (C) No. 3079 of 2017 filed by Kumho Petrochemicals Co. Ltd. against the CESTAT Final Order Nos. AD/A/53452-53453/2016-CU(DB), dated 9-9-2016 as reported in 2016 (342) E.L.T. 573 (Tri.-Del.) (Rishiroop Polymers Pvt. Ltd. v. Union of India). While dismissing the petition, the Supreme Court passed the following order:
“The special leave petition is dismissed.”
65. In view of the above, the very issue has been settled by the Designated Authority and further upheld by Hon'ble CESTAT and Hon'ble Supreme Court, that the Designated Authority has not accepted consumption price of 4-ADPA reported by Kumho Petrochemical Co., Ltd.
66. In the present investigation, Kumho Petrochemical Co., Ltd. continues to source majority of 4-ADPA from the same non-market economy company with whom Kumho Petrochemical had earlier reported to have special relationship and no facts or evidence have been brought before the Authority in the present investigation that either status of the said company or business activities of the two companies has undergone any change since the previous determination by the Authority
67. It is seen that Kumho Petrochemical Co. Ltd. has completely sourced 4-ADPA from Sennics Co., Ltd., China PR. Further, while Kumho Petrochemical Co. Ltd. had earlier reported to have special relationship with Sennics in the previous investigations on the product under consideration, no facts or evidence have been brought before the Authority in the present investigation that have shown any change in either the status of the said company or the business activities of the two companies since the previous determination by the Authority.
68. The domestic industry has provided information showing that the export price of 4 ADPA from China to Korea is lower than the export price from China to rest of the world. It is therefore considered that considering the facts of the present case, the use of actual purchase price of 4-ADPA by Kumho Petrochemical Co., Ltd. from the said non-market economy company would not reasonably reflect the cost associated with production of PX-13 (6 PPD), and therefore, the consumption price of 4-ADPA reported by Kumho Petrochemical Co., Ltd. cannot be adopted for the purpose of determination of cost of production.
69. In view of the above, the Authority has taken international price of 4-ADPA i.e., import price of 4-ADPA from EU in the POI, after adding adjustments as ocean freight, insurance and inland freight, for the purpose of working out the cost of production of PX-13. Rest of the cost of production of PX-13 as claimed by Kumho Petrochemical Co., Ltd. has been accepted. The revised cost of sales of PX-13 so constructed has been taken into account for ordinary course of trade test.

70. On the basis of the cost of sales determined as above, the Authority has carried out the ordinary course of trade test. In case profit making transactions are more than 80% then the Authority has considered all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value. Where profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of normal value. Based on the ordinary course of trade test, only profitable domestic sales have been taken for determination of normal value, since the profitable sales were less than 80%.
71. Kumho Petrochemical Co. Ltd. has claimed adjustments on account of inland transportation, credit cost and packing charges. The Authority has undertaken desk verification and examined the claims made by the interested party. The adjustments claimed by the interested party have been allowed. Accordingly, normal value for Kumho Petrochemical Co., Ltd. has been determined, and the same is mentioned in dumping margin table below.

Export price for Kumho Petrochemical Co., Ltd.

72. During the POI, Kumho Petrochemical Co., Ltd. has sold ***MT subject goods of invoice value *** US\$ to India. Of the subject goods sold to India in the POI, the company has exported ***MT directly and *** MT indirectly through unrelated exporters/traders namely, Apollo Tyres Holdings Pte Ltd., Singapore and Posco International Corporation. It is noted that Posco International Corporation has submitted the questionnaire response and has given information regarding chain of exports to India. However, Apollo Tyres Holdings Pte Ltd. has not cooperated before the Authority. In this regard, it is noted that complete channel of information of subject goods produced by Kumho Petrochemical Co., Ltd. and exported to India for the subject goods has not been made available to the Authority as some of the information by the unrelated exporter who had sourced the subject goods from Kumho Petrochemical Co., Ltd. has not been submitted. However, taking into account direct exports of subject goods produced and exported by Kumho Petrochemical Co., Ltd. to India, and through its cooperating exporter Posco International Corporation, it has been decided to work out an individual export price for Kumho Petrochemical Co., Ltd. For working out net export price, the Authority has considered the actual export price for the chain comprising Kumho Petrochemical Co., Ltd. direct exports to India along with indirect exports made by Posco International Corporation, and export price based on the best available information for Apollo Tyres Holdings Pte Ltd., Singapore.
73. The producer/exporter has claimed adjustments on accounts of ocean freight, insurance, inland transportation, port expenses and other charges to arrive at export price at ex-factory level.
74. The Authority has undertaken desk verification and examined the claims made by the respondent. The adjustments claimed by the respondent have been allowed. Accordingly, export price for Kumho Petrochemical Co., Ltd. has been determined, and the same is mentioned in dumping margin table below.

Normal value and export price for non-cooperative exporters/producers

75. The normal value and export price for all other non-cooperative producers/exporters from Korea RP has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

F.3 (e) Dumping margin

76. The dumping margin has been determined as below.

SN	Particular	Normal value/ CNV	Export price	Dumping Margin		
		\$/MT	\$/MT	\$/MT	%	Range
1	China PR					
a	Sennics Co., Ltd. Anhui, Sennics Co., Ltd. Shandong and Sennics Co., Ltd. Tai'an	***	***	***	***	40-50
b	Any other	***	***	***	***	60-70
2	Thailand					
a	Sennics (Thailand) Co., Ltd.	***	***	***	***	10-20
b	Any other	***	***	***	***	20-30
3	Korea					
a	Kumho Petrochemical Co., Ltd.	***	***	***	***	20-30
b	Any other	***	***	***	***	30-40
4	European Union					
a	All producers/exporters	***	***	***	***	20-30

G. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

G.1 Submission by opposing interested party

77. The opposing interested party has made the following submissions with regard to assessment of injury and causal link:
- i. Imports from China PR have consistently declined from 2020-21 to 2023-24 despite an increase in demand/consumption over the same period. Around the same time, sales of the applicant have remained broadly stable.
 - ii. Total volume of imports declined only marginally from *** (in 2021-22) to *** MT (in the period of investigation). This near-static trend in import volumes cannot reasonably be linked to the sharp deterioration in the applicant's performance.
 - iii. The import price from China PR is lower than import price from Korea RP and the import volume from China PR is the highest during the period of investigation. Therefore, imports from Korea should not be clubbed with the imports from China. As it would wrongly impute injury to the applicant due to imports from Korea RP.
 - iv. The volume of the imports of subject goods from Korea RP cannot be a cause of injury to the applicant since the imports have declined over the injury period, and during the period of investigation, imports from Korea RP were substantially lower than imports from China PR and Thailand.
 - v. While the landed price of imports from China PR declined, the price undercutting remained low or even negative in some years.
 - vi. The profitability of the applicant shows that there is no price underselling, since both the domestic selling price and the landed price of subject imports are above the applicant's cost of production.
 - vii. There is no price suppression or depression as the selling price of the applicant has closely followed the trend in its cost of sales throughout the injury period and the period of investigation.
 - viii. There has been a pronounced slowdown in global demand for the tyre and rubber industry, caused by weak economic conditions and reduced consumption in key end-use sectors as

- acknowledged by the applicant. The applicant's prices and profits have moved in parallel with international price trends, which reflects wider market forces rather than any effect of subject imports to have caused injury to the applicant.
- ix. The fall in capacity utilization and production in 2023-24 and the period of investigation is not because of subject imports but is rather linked to the applicant's own capacity expansion decisions.
 - x. In the anti-dumping investigation concerning imports of "N, N'- Dicyclohexyl Carbodiimide (DCC)" from China PR, the Authority had held that start-up costs, inefficiencies and low-capacity utilization associated with new industries is a relevant factor in determining causality of the injury.
 - xi. From 2020-21 to 2023-24, the sales of two other Indian producers have increased from 100 indexed points in 2021-22 to 151 indexed points in the period of investigation. This growth has been largely driven by their ability to procure 4-ADPA, a key intermediate chemical, from China PR at competitive prices.
 - xii. From 2021-22 to the period of investigation, the two other Indian producers increased their production by 21% and expanded their market share by 45%. This growth has been largely driven by their ability to procure 4-ADPA, a key intermediate chemical, from China PR at competitive prices.
 - xiii. Demand has not increased at all considering 2022-23 as the base year, and demand has only increased by 6 indexed points in the period of investigation in comparison to 2021-22 as the base year. In these circumstances, significant increase in production and sales reported by other domestic producers cannot be attributed to any expansion in demand but rather inter-se competition amongst domestic producers.
 - xiv. In a flat demand scenario, while imports from the subject countries have not exhibited any sustained or significant increase, the applicant's domestic sales declining marginally during the period of investigation represents a normal commercial adjustment within the market and does not establish displacement by imports.
 - xv. In the anti-dumping investigation concerning Coated Paper from China PR, the EU, and the USA, the Authority, in its Final Findings dated 26th December 2018, terminated the investigation without recommending the imposition of anti-dumping duty based on the conclusion that the injury was confined to a single producer while other domestic producers had shown improvement.
 - xvi. The profitability of the applicant declined significantly even though there has been no increase in imports from the subject countries over the injury period.
 - xvii. Increase in the cost of sales and consequent decline in profitability of the applicant is due to anti-dumping duty on imports of Aniline from China PR and cannot be attributed to imports of PX-13 from Korea RP. The applicant had also filed an application seeking initiation of mid-term review and withdrawal of anti-dumping duty on imports of Aniline, though the Authority recommended continuation of duty.
 - xviii. The decline in profitability of the applicant coincides with increase in depreciation cost and interest cost, which is due to recent increase in capacity/capital investment in 2023-24.
 - xix. Interest costs have continuously increased from an indexed level of 100 indexed points in the base year to 155 in the period of investigation. This sharp rise in financial expenses has directly reduced profit before tax from 212 indexed points in 2022-23 to only 19 indexed points in the period of investigation.
 - xx. The applicant's export sales prices, which are unaffected by domestic competition from subject imports, exhibit a parallel decline to the applicant's domestic selling price. Therefore, decline in both import and domestic prices during the period of investigation is reflective of wider market dynamics and the applicant's own business decisions.

- xxi. The Authority should reconsider the fixed 22% return on capital employed methodology and adopt the actual return on capital employed earned by the domestic industry during periods free from dumping allegations as the benchmark for a reasonable return.
- xxii. The fall in import prices is reflective of international market conditions and not import-driven pressure on the domestic industry.

G.2 Submission by the applicant

78. The applicant has made the following submissions with regard to assessment of injury and causal link:

- i. Rubber Chemicals are produced in various countries with major producing countries being China PR, Europe, India, Korea RP and Thailand.
- ii. The capacities in China PR, Korea RP and Thailand far exceed the demand in their respective countries.
- iii. Sennics Co., Ltd. already having a huge rubber chemical plant in China PR has now also set up a plant in Thailand. Producers have set up capacities in different parts of the world to take geographical advantage.
- iv. The period 2023-24 had seen a sluggish demand for rubber chemical (outside India) due to sharp government spending cuts in the United States of America and the latest struggles of recession-stricken Europe. The subdued demand in international markets had resulted in surge in supply from various markets thereby exerting pressure on volume and price dynamics in the domestic and export market.
- v. The demand for the product under consideration had consistently increased over the injury period. While the global demand declined, the Indian demand increased and imports into India increased.
- vi. Imports from the subject countries declined in 2022-23, increased in 2023-24 and then increased again in the period of investigation.
- vii. Imports in relation to Indian production and consumption declined in 2022-23 and thereafter increased in 2023-24 and the period of investigation.
- viii. The landed price of imports in the period of investigation was below the selling price of the applicant. The price undercutting was positive and significant.
- ix. The applicant's prices were depressed in the period of investigation.
- x. While there was a marginal decline in imports from China PR from 2020-21 to 2023-24, the landed price of imports has consistently remained below the selling price of the applicant, except in 2022-23 because of China's zero Covid policy and its impact on global prices.
- xi. The capacity of the applicant marginally increased in 2023-24 and the period of investigation as the applicant had undertaken debottlenecking
- xii. The production and capacity utilization declined in 2022-23 and further declined in 2023-24. While there was a marginal increase in production in the period of investigation in comparison to the immediately preceding year, the applicant was unable to increase its domestic sales.
- xiii. The capacity utilization of the applicant declined over the injury period.
- xiv. The domestic sales volume and value increased in 2022-23, declined thereafter in 2023-24 and further declined in the period of investigation. The decline in sales in values terms was higher than the decline in sales in volume terms.
- xv. The applicant was operating with significant unutilized production capacity over the injury period. This was despite significant demand for the product being available in the country.
- xvi. The installed capacity in India is more than enough to meet entire demand in India as on the period of investigation. In the absence of dumped imports, the applicant could have produced and sold more in the domestic market.

- xvii. Despite having sufficient capacity to cater the entire demand in India, the applicant's market share has seen a consistent decline over the injury period.
- xviii. The applicant's inventory has consistently increased over the injury period.
- xix. The applicant's profitability increased in 2022-23 when the import prices increased. As dumping resumed in 2023-24, the applicant again suffered steep decline in the profits which have further declined in the period of investigation. The profit per unit earned by the applicant is less than the adequate profit considered by the Authority for normal value.
- xx. The cash profit declined sharply in 2023-24 and further declined in the period of investigation. When seen over the injury period, the cash profits have declined by 67% and the profit before interest has declined by 70%.
- xxi. The wages paid by the applicant have increased over the injury period. The number of employees and productivity per day of the applicant increased in 2022-23 and declined thereafter. These parameters are dependent on several other parameters and not reflective of the impact of dumping on the applicant
- xxii. Dumped imports have impacted both growth and the ability of the applicant to raise capital investment. The applicant is suffering in both volume and price parameters despite no demand supply gap in India.
- xxiii. The import price has directly affected the prices of the applicant in the domestic market. The landed price of the product from the subject countries was below the cost and selling price of the applicant.
- xxiv. Both the domestic sales and market share of the other Indian producers increased till 2023-24 but declined in the period of investigation when the dumped imports increased. As the domestic sales of other domestic producers increased in 2022-23, the sales of the applicant did not decline.
- xxv. 4-ADPA is being dumped in India with the dumping intensifying in 2022-23, resulting in the other domestic producer's sales to also increase.
- xxvi. The dumping of the product had intensified in the post period of investigation. The CIF import price had continuously declined post the period of investigation. While the cost of sales of the applicant had also declined, this decline in cost was far lower than the decline in CIF import price.
- xxvii. The imports from Korea with effect from April 2025 are cleared without customs duty because of the Comprehensive Economic Partnership Agreement Between India and Republic of Korea. The import price has steeply declined.
- xxviii. Since the imports of the product under consideration from Korea RP and Thailand are now being cleared without payment of anti-dumping duty, the Authority is requested to not consider basic customs duty in the calculation of injury margin.
- xxix. While the applicant was profitable in the period of investigation, the applicant operates with significant losses, cash losses and a negative return on capital employed post the period of investigation.
- xxx. The dumping margin is above *de minimis* and significant.
- xxxi. The legal requirement for causal link as per the WTO Anti-dumping Agreement is the existence of 'a' causal relationship between dumped imports and injury to the domestic industry rather than 'the' causal relationship between dumped imports and injury to the domestic industry.
- xxxii. While the anti-dumping duty on Aniline is adding to the cost of the applicant, duty on Aniline has been in force over the entire injury period and the applicant has not suffered injury over the entire injury period, thereby showing that duty on imports of Aniline cannot be the sole cause of injury.

- xxxiii. The WTO Appellate Body in *European Union – Biodiesel (Argentina)* had observed that the authority is not required to conduct a non-attribution analysis with respect to features that are inherent to the domestic industry and have remained unchanged over the injury period.
- xxxiv. The Hon'ble CESTAT Tribunal in *Nippon Zeon Co. Ltd. V. Designated Authority etc.* had held that the question of injury to the domestic industry cannot be decided by assuming ideal conditions but has to be decided on prevailing conditions though giving reasonable adjustments.
- xxxv. The share of interest cost and depreciation is only [0.14] % and [2.9] % respectively of the total cost of the applicant. The applicant's profit before interest has declined followed by a steep decline in cash profits.
- xxxvi. The Authority and the Hon'ble CESTAT Tribunal has taken a unanimous view that unless the interested parties demonstrate the need for consideration of a different return, a return of 22% shall be allowed for determination of non-injurious price.
- xxxvii. In *Tangshan Sanyou Group Hong Kong International Trade Co. Limited Vs. Union of India*, the Hon'ble CESTAT Tribunal had held that since the interested parties did not produce any evidence to substantiate that the return of 22% was unreasonable, the consistent practice followed by the Authority could not be questioned.
- xxxviii. The claims made by the applicant regarding global market disruptions in 2023-24 allegedly encouraging dumping in India are purely speculative and unsupported by credible evidence.
- xxxix. The claims made by the applicant regarding alleged overcapacity in China and an intention to dump are baseless and unsupported by any verifiable evidence.
- xl. The present investigation is a fresh investigation with no allegation of threat of material injury; therefore, there is no basis for examining post-period of investigation data.
- xli. The statements of senior management of NOCIL Limited in investor earnings calls clearly demonstrate that the applicant has not suffered any adverse impact from imports and, in fact, has reported resilience and strengthening of its economic parameters in the post- period of investigation period.

G.3 Examination by the Authority.

- 79. Rule 11 of Anti-Dumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on the domestic producers of such articles...*". For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-Dumping Rules.
- 80. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II to the Rules.
- 81. The Authority has taken note of the various submissions made by the domestic industry and the other interested parties on injury and causal link. The submissions made by interested parties with regard to injury and causal link, which have been considered relevant by the Authority are examined and addressed as under.

82. On the submissions of the interested parties that the decline in global demand has caused injury to the domestic industry, the Authority has considered the data for domestic operations only. The Authority also notes that the import from the subject countries have been found to be at dumped prices. If the decline in global demand was to cause injury, the export volume of the domestic industry too would have declined. However, the information on record shows that the export volume has increased in the period of investigation. Therefore, the global decline in demand for the tyre and rubber industry is not a cause of injury to the domestic industry.
83. Interested parties have claimed that decline in profitability of the domestic industry coincides with increase in depreciation cost and interest cost. The Authority notes that the share of interest cost is only ** % in the period of investigation. Similarly, depreciation is only ** % of the total cost in the period of investigation. With such low share in the overall cost of production, these factors could not have been a cause of injury to the domestic industry. It is also seen that the cash profits, profit before interest, profit before interest & depreciation and return on investment of the domestic industry have also declined. Therefore, depreciation and interest cost cannot be the sole reason for injury caused to the domestic industry.
84. Interested parties have claimed that the increase in cost of sales and consequent decline in the profitability of the domestic industry is due to anti-dumping duty on imports of Aniline (raw material for the production of 4-ADPA) from China PR. The Authority notes that the anti-dumping duties have been in force over the entire injury period. Had these factors been a cause of injury, the domestic industry would have suffered injury over the entire injury period, and its profits would not have declined over the injury period.
85. The interested parties have claimed that production, sales and market share of the other domestic producers have improved over the injury period the Authority notes that based on an application filed by the domestic industry (NOCIL Limited), an anti-dumping investigation has been initiated on imports of 4-ADPA from China PR on 29th September 2025 based on *prima facie* evidence that imports of 4-ADPA from China PR constitutes dumped imports and the same are causing injury to the domestic industry. 4 ADPA is the penultimate raw material for the product under consideration. The domestic industry is captively producing 4 ADPA, other producers are importing them. In the period of investigation, the market share of the subject imports (i.e. PX-13) increased from 26% to 31%, this increase being largely at the expense of the other domestic producers, whose share declined from 34% to 30%, while the market share of the domestic industry was broadly maintained at 39%. It is thus not borne out that the position of the domestic industry was displaced by the other domestic producers. The Authority also notes that the movement in the market share as between the domestic industry and the other domestic producers is a matter of inter-se competition in terms of volume and does not negate the injury suffered by the domestic industry, which has been established principally on its price and profitability parameters.
86. The interested parties have disputed consideration of 22% return on capital employed and adopt actual return on capital employed earned by the domestic industry during periods free from dumping allegations. For the same, the interested parties have placed reliance on the Hon'ble CESTAT Tribunal's decision in *Bridge Stone Tyre Manufacturing & Others vs. Designated Authority* and *M/s Hyosung Corporation vs. Designated Authority*. The Authority notes that Annexure III of the Rules refers to reasonable return (pre-tax) on the capital employed and it is a consistent practice of the Authority to determine the non-injurious price of the domestic industry based on reasonable return on capital employed, which is 22%. With regard to the interested parties reference to *Bridge Stone Tyre Manufacturing & Others vs. Designated Authority*, it is seen that the interested parties in this

case had produced specific evidence before the Hon'ble CESTAT justifying a departure from the Authority's consistent practice in this particular case. However, interested parties in the present case have not placed any evidence on record to justify such departure. With regards to the interested parties' reference to *M/s Hyosung Corporation vs. Designated Authority*, it is seen that post this decision by the Hon'ble CESTAT in 2011, there have been multiple cases including *Tangshan Sanyou Group Hong Kong International Trade Co. Limited v. Union of India*, *Merino Panel Products v. Designated Authority* and *M/s Perstorp Chemicals GmbH & Anr. v. Designated Authority & Ors.* wherein the Hon'ble CESTAT Tribunal has consistently upheld the Authority's practice of adopting a 22% ROCE for injury analysis. Therefore, the Authority finds considering a 22% return on capital employed as appropriate in the present investigation.

87. In the present case, no evidence has been provided by other interested parties that a return of less than 22% would be appropriate for the product under consideration.
88. On the submission of the domestic industry that the post period of investigation has seen a further increase in the imports with a decline in the price and as a result the domestic industry has suffered losses, the Authority notes that the present investigation is a fresh investigation and the data for the POI itself is sufficient to make a determination.
89. Certain interested parties have submitted that imports from certain sources have declined, or that any injury caused is attributable to imports from other countries. The Authority, however, notes that import volumes cannot be evaluated in isolation. Under Article 3.3 of the WTO Agreement and paragraph (iii) of Annexure II of the Rules, where imports of a product from more than one country are simultaneously subject to anti-dumping investigations, the Authority is required to assess the effects of such imports on a cumulative basis. As discussed below, the circumstances of the present case warrant a cumulative assessment of imports. Moreover, the interested parties have failed to furnish any evidence demonstrating why such a cumulative assessment would be inappropriate.
90. On the submission of the interested parties that price underselling has not been determined in the present investigation, the Authority notes that Annexure II to the anti-dumping rules contains list of factors which are required to be examined to see if a domestic industry has suffered material injury. Price underselling is not a factor listed under the Annexure II. Therefore, there is no reason to examine price underselling. The Authority has examined injury margin for the participating producers which is found to be positive.
91. On the submission of the interested parties that the injury due to start-up costs and inefficiencies is required to be removed, the Authority notes that the applicant has not commenced commercial production in the injury period but the applicant's plant has been under operation over the entire injury period. Therefore, any injury cannot be due to such startup costs or inefficiencies.

G.3.1 Cumulative assessment of injury

92. Interested parties have made various submissions on cumulative assessment. Article 3.3 of the WTO Agreement and para (iii) of the Annexure II of the Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determined that:
 - a. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as a percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of the like article or where the export of

individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the imports of the like article, and

- b. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic article.

93. The Authority notes that:

- a. The subject goods are being dumped into India from the subject countries. The margin of dumping from each of the subject countries is more than de minimis limits prescribed under the Rules.
- b. The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of the total volume of imports.
- c. Cumulative assessment of the effects of import is appropriate as the imports from the subject countries not only directly compete with the like articles offered by each of them but also the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.

94. In view of the above, the Authority considers that it is appropriate to assess the effect of dumped imports of the subject goods from China PR, EU, Korea RP and Thailand on the domestic industry.

95. The Authority notes that it is not necessary that all parameters of injury show deterioration. Some parameters may show deterioration, while some others may not. The Authority considers all injury parameters and, thereafter, determines whether the domestic industry has suffered injury or is likely to suffer injury due to dumping. The Authority has examined the injury parameters objectively considering the facts and arguments submitted by the domestic industry and other interested parties.

G.3.2 Assessment of demand/apparent consumption

96. For the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India has been defined as the sum of domestic sales of the domestic industry, domestic sales of other India producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

SN	Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	102	91	90
3	Sale of other Indian producers	MT	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	164	172	151
5	Imports from subject countries	MT	8,390	7,139	7,926	9,211
6	Trend	Indexed	100	85	94	110
7	Imports from other countries	MT	15.00	20.00	0.00	0.00
8	Trend	Indexed	100	133	0	0
9	Demand/consumption	MT	***	***	***	***
10	Trend	Indexed	100	111	110	109

97. It is seen that the demand has grown from **** MT in 2021-22 to **** MT in the POI. It is also seen that sales of the domestic industry have declined over the injury period. The other domestic producers manufacture PX-13 majorly from imported 4 ADPA, whereas the domestic industry manufacture it from captive produced 4 ADPA. The increase in sales of other Indian producer of PX-13 is allegedly due to increase in imports of 4 ADPA, which is investigated separately. The

decline in sales volume of domestic industry is in tandem with the increase in import in the POI. The Authority has already initiated an anti-dumping investigation on imports of 4 ADPA.

G.3.3 Volume effect of the dumped imports

98. With regard to the volume of imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports from the subject countries, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The same is analysed in the table below.

SN	Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Subject countries	MT	8,390	7,139	7,926	9,211
2	Trend	Indexed	100	85	94	110
3	Other countries	MT	15	20	0	0
4	Trend	Indexed	100	133	0	0
5	Imports from subject countries in relation to					
6	India production	%	***	***	***	***
7	Trend	Indexed	100	76	92	110
8	Indian demand	%	***	***	***	***
9	Trend	Indexed	100	77	86	100
10	Total imports	%	100%	100%	100%	100%
11	Trend	Indexed	100	100	100	100

99. It is seen that imports from the subject countries declined in 2022-23, as compared to 2021-22. The imports from the subject countries thereafter increased in 2023-24 and again increased in the period of investigation.
100. Imports from the subject countries in relation to Indian production decreased from 33% in 2021-22 to 25% in 2022-23, increased to 30% in 2023-24 and to 36% in the period of investigation. Similarly, imports from the subject countries in relation to Indian demand decreased from 30% in 2021-22 to 23% in 2022-23, increased to 26% in 2023-24 and to 31% in the period of investigation. Imports from the subject countries in relation to total imports remained almost 100% throughout the injury period.
101. It is thus seen that the imports first declined in 2022-23 and thereafter increased significantly till the period of investigation both in absolute terms and in relation to production and consumption in India.

G.3.4 Price effect of the dumped imports

102. With regards to the effect of the dumped imports on prices of the domestic industry, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject countries has been examined with reference to price undercutting, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with the landed price of imports of the subject goods from the subject countries.

a. Price undercutting

103. For the purpose of price undercutting analysis, the selling price of the domestic industry has been compared with the landed price of imports from the subject countries. Accordingly, the effects of the dumped imports from the subject countries are as follows:

SN	Particulars	Unit	China PR	EU	Korea RP	Thailand	Average
1	Import volume	MT	2,927	1,795	1,333	3,156	9,211
2	Net sales realization	Rs/MT	***	***	***	***	***
3	Landed price	Rs/MT	2,59,368	2,50,507	2,61,361	2,60,695	2,58,384
4	Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***	***
5	Price undercutting	%	***	***	***	***	***
6	Price undercutting	Range	10-20%	10-20%	10-20%	10-20%	10-20%

104. The Authority notes that the subject imports are undercutting the prices of the domestic industry and the price undercutting is positive and significant.

b. Price suppression/depression

105. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices or whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period are compared as below:

SN	Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Selling price	Rs/MT	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	115	94	86
3	Change	Rs/MT	***	***	***	***
4	Cost of sales	Rs/MT	***	***	***	***
5	Trend	Indexed	100	104	99	94
6	Change	Rs/MT	***	***	***	***
7	Landed price	Rs/MT	3,19,504	4,09,105	2,74,496	2,58,384
8	Trend	Indexed	100	128	86	81
9	Change	Rs/MT		89,600	-1,34,609	-16,112

106. It is seen that

- In 2022-23, while the cost of sales increased by Rs *** per MT in comparison to 2021-22, the selling price increased at a greater rate of Rs ***per MT. This was the period when the import volume declined, and the import price had increased.
- In 2023-24, while the cost of sales declined by Rs ***per MT in comparison to 2022-23, the selling price declined at a greater rate of Rs ***per MT. This was the period when the import volumes increased, and the import price declined.
- In the period of investigation, while the cost of sales declined by Rs ***per MT in comparison to 2023-24, the selling price declined at a greater rate of Rs ***per MT. The import volumes had increased further in this period, and the import price had further declined.
- While the landed price of imports remained above the domestic industry's selling price during 2022-23, it declined drastically during the FY 2023-24 and the Period of Investigation (POI). Specifically, the landed price plummeted from ₹*** per MT in the first half of 2023-24 to ₹***per MT in the second half of the same year (which serves as the first half of the POI,

creating an overlapping period). Conversely, during the second half of the POI, the landed price saw a marginal recovery, increasing to ₹***per MT.

107. It is therefore seen that the prices of the domestic industry are depressed in the period of investigation. The decline in the selling price is significantly higher than the decline in the cost of sales.
108. It is also seen that the landed price of imports is below the cost of sales and the selling price of the domestic industry in the period of investigation. The Authority holds that the landed price of imports has prevented the domestic industry from charging adequate remunerative prices in the period of investigation.

G.3.5 Economic parameters of the domestic industry

109. Annexure II to the Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

a. Production, capacity, capacity utilization and sales volumes

110. The capacity, production, sales and capacity utilization of the domestic industry over the injury period is given in the following table:

SN	Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Capacity	MT	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	100	103	108
3	Production	MT	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	97	82	85
5	Capacity utilization	%	***	***	***	***
6	Trend	Indexed	100	97	79	79
7	Domestic sales	MT	***	***	***	***
8	Trend	Indexed	100	102	91	90

111. It is seen that:

- The capacity of the domestic industry remained the same in 2021-22 and 2022-23 and then increased in 2023-24 and further in the period of investigation. The domestic industry has submitted that it had undertaken de-bottlenecking in its plant. It is seen that the capacity with the domestic industry alone was sufficient to cater the demand for the product under consideration in the period of investigation. If capacity with other domestic producers is considered, the combined production capacities in the Country are sufficient to cater to the present and potential demand for the product in the Country.
- The production and capacity utilization of the domestic industry declined till 2023-24, despite increase in capacity of the domestic industry in 2023-24. Production marginally increased in

- the period of investigation. When seen over the injury period, production has declined despite increase in demand and capacities with the domestic industry.
- c. The domestic sales of the domestic industry increased in 2022-23 in comparison to 2021-22. The domestic sales thereafter declined in 2023-24 and further declined again in the period of investigation in comparison to 2023-24. The domestic sales have declined over the injury period.
 - d. The demand for the product under consideration has seen an increase over the injury period. While the demand increased over the injury period, the domestic sales of the domestic industry declined.

b. Market share

112. The market share of the domestic industry, other producers in India and imports of the products into India is shown in the table below:

SN	Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Domestic industry	%	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	93	83	83
3	Other domestic producers	%	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	148	156	138
5	Subject countries	%	***	***	***	***
6	Trend	Indexed	100	77	86	100
7	Other countries	%	***	***	***	***
8	Trend	Indexed	100	121	0	0

113. Based on the above, the Authority notes that:
- a. The market share of the domestic industry declined in 2022-23, further declined in 2023-24 and has thereafter remained the same in the period of investigation. The market share of the domestic industry has declined over the injury period.
 - b. The market share of subject imports declined in 2022-23, then increased in 2023-24 and then further increased in the period of investigation.
 - c. The market share of other domestic producers increased from 2021-22 to 2023-24. However, once imports from the subject countries intensified in the period of investigation, the market share of the domestic producers also declined in comparison to 2023-24.
 - d. The other domestic producers import 4-ADPA (penultimate stage intermediate used for producing the product under consideration) from other countries in comparison to the domestic industry which is backward integrated and produces its own 4-ADPA. The domestic industry has claimed that these producers have access to low priced raw materials.
 - e. The market share of the domestic industry in the period of investigation has remained the same as 2023-24 and declined by 9% in comparison to 2021-22 and 5% in comparison to 2022-23 despite increasing capacity and the domestic industry having sufficient capacity to cater the entire demand in India.

c. Inventories

114. Information with regard to inventory is given below.

SN	Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Opening inventory	MT	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	459	614	645
3	Closing inventory	MT	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	134	109	132
5	Average inventory	MT	***	***	***	***
6	Trend	Indexed	100	192	199	223

115. It is seen that the average inventory with domestic industry has consistently increased over the injury period. The average inventory has increased in the period of investigation, despite increase in demand and has remained at an all-time high.

d. Profitability, cash profits and return on capital employed

116. Profitability, return on capital employed and cash profits of the domestic industry over the injury period are given in the table below: -

SN	Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	Profit/(Loss)	Rs Lakhs	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	212	48	19
3	PBIT	Rs Lakhs	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	212	48	20
5	Cash profit	Rs Lakhs	***	***	***	***
6	Trend	Indexed	100	193	56	33
7	Return on investment	%	***	***	***	***
8	Trend	Indexed	100	220	54	25

117. It is seen that

- The domestic industry's profitability increased in 2022-23 and thereafter declined steeply till the period of investigation.
- The domestic industry's profit before interest and taxes and cash profit have followed a similar trend and have increased in 2022-23 and thereafter declined steeply till the period of investigation.
- The return on investment of the domestic industry increased in 2022-23 and thereafter declined steeply in 2023-24 and the POI.

e. Employment, productivity and wages

118. Employment, productivity and wages of domestic industry over the injury period is given in the table below.

SN	Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	No. of employees	No.	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	109	98	98
3	Productivity per employee	MT/No.	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	89	84	87
5	Productivity per day	MT/ Days	***	***	***	***
6	Trend	No.	100	97	82	85
7	Wages	Rs Lacs	***	***	***	***
8	Trend	Indexed	100	114	119	120

119. It is seen that:

- a. Number of employees of the domestic industry increased in 2022-23 in comparison to 2021-22. Number of employees declined in 2023-24 and thereafter remained the same as 2023-24 in the period of investigation.
- b. The decline in productivity per employee and productivity per day during the injury period reflects the adverse effects of dumped imports on the operations of the domestic industry. Dumped imports adversely impact production levels and resource utilisation resulting in domestic industry not able to utilise its production capabilities.
- c. Wages paid by the domestic industry have increased over the injury period.

f. Growth

120. The following table shows the growth parameters of the domestic industry over the injury period.

SN	Particulars	Unit	2022-23	2023-24	POI
1	Capacity	%	0%	3%	5%
2	Production	%	-3%	-16%	4%
3	Domestic sales	%	2%	-11%	-1%
4	Profit/(Loss)	%	108%	-75%	-59%
5	PBIT	%	112%	-78%	-60%
6	Cash profit	%	112%	-77%	-59%
7	Profit before interest	%	93%	-71%	-41%

121. Based on the above, the Authority notes that a number of parameters showed a positive growth in 2022-23 but has thereafter shown a negative growth in both volume and price parameters till the period of investigation. Production and domestic sales of the domestic industry have declined in the period of investigation and are nowhere near the level these should have been. Price parameters, including profit, cash profit, profit before interest and taxes and return on capital employed of the domestic industry have also recorded a significant decline in the period of investigation.

g. Ability to raise capital investment

122. The Authority notes that the profitability in the period of investigation is very low. It is also seen that the return on capital employed by the domestic industry is significantly low, which would affect its ability to raise capital investments. The Authority also notes the contention of the domestic industry that no producer of the subject goods would want to invest in the market in the present situation.

h. Factors affecting prices

123. The Authority notes that the landed price of subject imports is below the selling price and cost of sales of the domestic industry in 2023-24 and the period of investigation. The landed price of subject imports has depressed the prices of domestic industry, leading to the domestic industry suffering significantly on both volume and price parameters. Therefore, the dumped imports are the only factors affecting the prices of the domestic industry.

i. Magnitude of dumping.

124. The magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the imports are being dumped into India. The investigation has shown that the dumping margin is positive and significant during the period of investigation.

G.3.6 Conclusions on injury.

125. The examination of the imports of the product under consideration and performance of domestic industry shows that:
- a. The imports of the product under consideration have increased.
 - b. The imports have increased in absolute terms and relative terms.
 - c. The landed price of imports is below the cost of sales and the selling price of the domestic industry in the period of investigation. The dumped imports are the only factors affecting the prices of the domestic industry
 - d. The price undercutting is positive.
 - e. While the cost of sales declined by Rs [***] per MT in the period of investigation in comparison to 2023-24, the selling price declined at a greater rate of Rs [***] per MT. The import volumes also increased in this period, and the import price had declined. This has led to price depression.
 - f. The production and capacity utilization has declined over the injury period, despite increase in demand and capacities with the domestic industry.
 - g. The domestic sales have declined over the injury period.
 - h. The market share of subject imports declined in 2022-23, then increased in 2023-24 and then further increased in the period of investigation.
 - i. The market share of the domestic industry has declined over the injury period.
 - j. The average inventory has increased in the period of investigation, despite increase in demand and has remained at an all-time high.
 - k. The domestic industry's profitability has declined steeply in the period of investigation. Profit before interest and tax and cash profit have followed a similar trend. The domestic industry has provided information that it has suffered losses in the post period of investigation.
 - l. All the parameters have shown a negative growth in the period of investigation.
 - m. The investigation has shown that the dumping margin is positive and significant during the period of investigation.
126. Therefore, the Authority concludes that the domestic industry has suffered injury.

H. NON-ATTRIBUTION AND CAUSAL LINK

127. The Authority examined whether any known factors other than the dumped imports have at the same time been injuring the domestic industry, and injury caused by these other factors should not be attributed to the dumped imports. It has been examined whether factors other than dumped imports could have contributed to injury to the domestic industry. The Authority notes neither the Act nor the Rules require dumping to be the sole cause of injury to the domestic industry for anti-dumping duty to be applied.

a. Volume and price of imports from third countries

128. The Authority notes that apart from the subject countries, imports have not been reported in significant quantities from any other country. Therefore, the injury is not attributable to imports from any country other than the subject countries.

b. Contraction of demand

129. The Authority notes that demand for the product under consideration has increased over the injury period. While the imports from the subject countries have increased, the domestic sales of the

domestic industry have declined. Therefore, the contraction of demand is not a possible cause of injury to the domestic industry.

c. Changes in pattern of consumption

130. The Authority notes that there has been no material change in the pattern of consumption of the product under consideration, which could have caused injury to the domestic industry.

d. Trade restrictive practices

131. The Authority notes that sales of the product under consideration are not restricted in any manner and no restrictive practices have been brought to the notice of the Authority.

e. Developments in technology

132. The Authority notes that there has been no known material change in the technology for production of the product under consideration.

f. Productivity

133. The decline in productivity per employee and productivity per day during the injury period reflects the adverse effects of dumped imports on the operations of the domestic industry. Dumped imports adversely impact production levels and resource utilisation resulting in domestic industry not able to utilise its production capabilities. The Authority notes that injury to the domestic industry cannot be because of decline in production capabilities.

g. Export performance

134. The Authority notes that the injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of the domestic market.

h. Performance of other products.

135. The Authority has only considered data relating only to the performance of the subject goods. Therefore, the performance of other products produced and sold is not a possible cause of injury to the domestic industry.

i. Causal link between dumping and injury.

136. The Authority notes that other known factors which could have caused injury to the domestic industry have been duly examined in the non-attribution analysis above and do not appear to have caused injury to the domestic industry. The following factors establish that the injury to the domestic industry has been caused by dumped imports.

- a. The imports in the domestic market have been found to be at dumped prices. Because the imports are at dumped prices, the landed price of imports in the period of investigation has been below the selling price and cost of sales of the domestic industry resulting in positive price undercutting.
- b. As a result of the low-priced imports, the domestic industry has been forced to reduce its prices and has suffered price depression. Profitability of the domestic industry has declined in the period of investigation.
- c. As a result of low prices, the dumped imports have also taken away the market share of the domestic industry. The market share of the imports has increased and that of the domestic industry has declined.
- d. The production and domestic sales of the domestic industry have declined in the period of investigation while the imports have increased.

137. In view of the foregoing, the domestic industry respectfully requests the Authority to conclude that a causal link exists between the dumped imports from the subject countries and the injury suffered by the domestic industry.

I. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

138. The Authority has determined Non-Injurious Price for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the subject goods has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject countries for calculating the injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilization of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilization of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses are charged to the cost of production. The penultimate product, which is captively consumed in the subject goods, i.e. 4-ADPA has been optimized as per Annexure III of the Rules. A reasonable return @22% on average capital employed (i.e. average net fixed assets plus average working capital) for the subject goods and 4-ADPA was followed towards interest, tax and profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules.
139. Landed price for the cooperating exporters has been determined based on the response filed. Applicable customs duties have been added to determine landed price of imports. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject countries, the Authority has determined the landed price based on facts available.
140. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters for the subject countries has been determined by the Authority and the same is provided in the table below:

SN	Particular	NIP	Landed Value	Injury Margin		
		(\$/MT)	(\$/MT)	(\$/MT)	%	Range
1	China PR					
	Sennics Group, China					
a	Sennics Co., Ltd. Anhui	***	***	***	***	10-20
b	Sennics Co., Ltd. Shandong	***	***	***	***	10-20
c	Sennics Co., Ltd. Taian	***	***	***	***	10-20
d	Any other	***	***	***	***	30-40
2	Thailand					
a	Sennics (Thailand) Co., Ltd.	***	***	***	***	10-20
b	Any other	***	***	***	***	20-30
3	Korea					
A	Kumho Petrochemical Co. Ltd.	***	***	***	***	10-20
b	Any other	***	***	***	***	20-30
4	European Union					
a	Any other	***	***	***	***	20-30

J. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

J.1 Submission by opposing interested party

141. The opposing interested party has made the following submissions with regard to Indian industry's interest and other issues:
- i. Imposition of duty will not be in public interest since PX-13 is a critical raw material used by various downstream industries.
 - ii. The domestic production of PX-13 is limited and insufficient to meet national demand.
 - iii. Anti-dumping duties on PX-13 have been in place continuously for almost twenty years, causing the Indian tyre industry to bear significant and sustained burdens in terms of higher raw material costs and reduced competitiveness.
 - iv. The tyre sector is simultaneously facing multiple ongoing investigations concerning its critical raw materials. Each of these proceedings carries the risk of additional duties. The combined impact of such measures will severely constrain the industry's ability to remain competitive in the domestic market.
 - v. The imposition of anti-dumping duty would impact the business of domestic importers of PX-13. Existing contracts of importers with exporters may be terminated or reduced because of the duty imposed, moreover, business relationships between Indian importers and suppliers (i.e. exporter) may be disrupted.
 - vi. Anti-dumping duty on imposition on PX-13 is counterproductive to India's key policies such as 'Make in India'.
 - vii. Anti-dumping duty on imposition on PX-13 will offset the benefit granted through Production Linked Incentive Scheme to downstream sectors in supply chain such as the automotive industry.
 - viii. There is no legal basis pursuant to which an anti-dumping duty to be recommended is presumed to be in public interest if the overall impact on the user industry is minimal.
 - ix. The applicant's conclusion that the impact of anti-dumping duty would be limited to 0.10–0.30% of total cost is misleading since it ignores the absolute size of the Indian tyre industry, where even an alleged 0.10% increase amounts to thousands of crores in additional burden, and it overlooks the fragile condition of the industry, which is already under pressure from global demand slowdown, volatility in raw material prices, and currency fluctuations.

J.2 Submission by the applicant

142. The applicant has made the following submissions with regard to Indian industry's interest and other issues: -

- i. The product under consideration does not form a critical part of the cost of the operations of the tyre producers and other rubber compound manufacturers. The table below shows the share of the product under consideration.

SN	Particulars	UOM	Value
1	Total purchase value of the product	Rs cr	862
2	Total raw material cost of tyre producers	Rs cr	60,170
3	Total cost of tyre producers	Rs cr	92,272
4	Total sales value of tyre producers	Rs cr	1,04,444
5	Share of product under consideration in		
6	Raw material cost	%	1.43%
7	Cost of production	%	0.93%
8	Sales	%	0.83%

- ii. The Authority in previously conducted investigations on the product under consideration have continuously shown the inability of other interested parties to substantiate the impact of anti-dumping duty on the user industry and consumers.
- iii. The very fact that none of the consumers from the non-tyre segment have registered themselves as interested parties in the present anti-dumping investigation demonstrates that the imposition of duty on the product under consideration has a negligible or insignificant impact on non-tyre segment consumers.
- iv. The installed capacity in India is more than enough to meet entire demand in India.
- v. The cumulative impact of anti-dumping duty on all products (various raw materials used by the user industry) on which either an investigation is ongoing, or measures are in force is a mere 0.7%.
- vi. The tyre industry is protected through existing anti-subsidy duty, import restriction and requirement of BIS license for imports.
- vii. The import value of the product under consideration over the injury period has been more than Rs ***Lakhs. In the period of investigation alone, the import value of the product under consideration amounted to Rs ***Lakhs. out of which Rs ***Lakhs was imported from the subject countries. This import is without the demand and supply gap in the country, thereby adding to the unnecessary trade deficit.
- viii. The imposition of anti-dumping duty would benefit the production of 4-ADPA in India. At present, the applicant's 4-ADPA plant (applicant being the sole producer of 4-ADPA in India) is operating at abysmally low-capacity utilization because of dumping of the product in the Indian market.
- ix. Imposition of anti-dumping duty will not create any situation of monopoly since there are two other producers of the subject goods in Indian, namely Lanxess India Private Limited and Finorchem Limited.
- x. In case of procurement from the applicant, the consumers have the option of maintaining lower inventory levels in comparison to relying on imports for the same. Therefore, imposition of anti-dumping duty would be in the interest of consumers.

J.3 Examination by the Authority

143. The Authority considered whether imposition of anti-dumping duty will be against public interest. This determination is based on consideration of information on records and interests of the participating interested parties.
144. The Authority issued gazette notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the producers, users, importers to provide relevant information with regard to the present investigation, including possible effect of the anti-dumping duty on their operation. The Authority sought information on, inter-alia, interchangeability of the product supplied by the various suppliers from different countries, ability to switch sources, the effect of the anti- dumping duty on the consumers, the factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by the anti-dumping duty.
145. It is noted that the purpose of anti-dumping measures, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. The Authority recognizes that the imposition of the anti-dumping duties might affect the price levels of the product under consideration as well as other downstream products manufactured by using the subject goods in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the

imposition of anti-dumping measures. On the contrary, the imposition of anti-dumping measures would prevent the decline in the performance parameters of the domestic industry caused as a consequence of low-priced imports from the subject countries and help maintain the wider availability of choices to the consumers of the product under consideration.

146. Four users, namely Apollo Tyres Limited, CEAT Limited, JK Tyre & Industries Limited, MRF Limited and Rishiroop Ltd. have filed the prescribed user/importer questionnaire response. The Authority had also prescribed an economic interest questionnaire which was sent to all interested parties in this investigation. The Authority notes that four users, namely Apollo Tyres Limited, CEAT Limited, JK Tyre & Industries Limited and MRF Limited have filed the prescribed economic questionnaire response. The users have claimed that anti-dumping duties will adversely affect the operations. However, none of these importers/users have provided any verifiable information in order to demonstrate the effect of anti-dumping duty on the consumers. This is in addition to the fact that none of the consumers from the non-tyre segment have registered themselves as interested parties in the present anti-dumping. This lack of evidence and silence of the stakeholders reinforces the necessity of anti-dumping measures to ensure fair trade practices.
147. The domestic industry has quantified the share of the product under consideration in the overall raw material cost, total cost and sales value of the tyre producers to be 1.43%, 0.93% and 0.83% respectively. The domestic industry has quantified the cumulative impact of anti-dumping duty on all products (various raw materials used by the user industry, namely TDQ, sulphenamides accelerators, PX-13, IIR, soluble sulphur) on which either an investigation is ongoing, or measures are in force. The domestic industry has shown that the cumulative effect of ADD on all these raw materials is a mere 0.7% on tyres costs.
148. Since the product under consideration forms a critical part of the tyre industry and other rubber compound manufacturers operations and since the impact of duty on the all products (various raw materials used by the user industry) on which either an investigation is ongoing is negligible, the Authority holds that there will be negligible impact of imposition of anti-dumping duty on the prices of the downstream industry.
149. The Authority further notes that the imposition of anti-dumping duty will not lead to scarcity of the subject goods in India. It is noted that anti-dumping duty does not restrict imports but ensures that imports are available at fair prices. The imposition of duty would, therefore, not affect the availability of the product. In any case, the capacity of the domestic industry is more than the demand in India, thereby ensuring that there remains sufficient supply in the country. There are two other domestic producers, namely Lanxess India Private Limited and Finorchem Limited as well supplying the product under consideration in the Indian market.

K. POST-DISCLOSURE COMMENTS

K.1. Submissions by the other interested parties

150. The following submissions have been made by the opposing interested parties on the disclosure statement:
- a. The domestic industry has enjoyed trade remedial protection on PX-13 and other rubber chemicals for nearly two decades through anti-dumping duties, safeguard measures and sunset reviews.

- b. In the anti-dumping investigation concerning imports of PX-13 from China PR, Korea RP and the USA initiated in 2020, although the Authority recommended anti-dumping duties, the Central Government did not impose the recommended measures. This indicates that the broader economic and public interest considerations associated with such duties have been recognized previously.
- c. The Authority has erred in rejecting the actual procurement cost of 4-ADPA reported by Sennics Thailand and substituting the same with import prices prevailing in the European Union. The Authority has not identified any defect in the books and records maintained by Sennics Thailand.
- d. Article 2.2.1.1 of the WTO Anti-Dumping Agreement requires that costs normally be calculated on the basis of records kept by the exporter or producer, provided such records reasonably reflect the costs.
- e. The Authority has not disclosed why the European Union was considered the appropriate reference market, whether alternative benchmarks were examined, or how such benchmark reasonably reflects the cost that would have been incurred by Sennics Thailand under normal market conditions.
- f. Imposing anti-dumping duty on PX-13 is not in the public interest. PX-13 is a critical input for tyre and rubber manufacturing, sectors vital to automotive, transport, infrastructure, and exports.
- g. The domestic industry is backward integrated and captively produces 4-ADPA. In contrast, the other domestic producers in India, namely Finorchem Limited and Lanxess India Private Limited, procure 4-ADPA from China PR and other countries at significantly lower prices. This structural cost advantage has enabled the other domestic producers to expand their production and sales substantially over the injury period. The competitive pressure faced by NOCIL Limited is therefore not attributable to imports of PUC, but rather to the structural cost disadvantage arising from its own captive production model vis-à-vis other domestic producers who benefit from cheaper imported 4-ADPA.
- h. Injury to the domestic industry caused due to cheap imports of 4-ADPA into India and inter-se competition from other domestic producers who have access to low-cost raw material is not attributed to imports of subject goods from Korea RP.
- i. There is no special relationship between Korea Kumho and Sennics China is also an exporter of 6PPD to India and is participating in the present investigation, which shows that the Respondent and Sennics are competing in the Indian market for subject goods.
- j. During the POI, imports from Korea RP are substantially lower than imports from other subject countries. Furthermore, the import price from Korea RP at INR 2,61,361/MT is the highest among all subject countries.
- k. The characterization of Rishiroop Limited as a "related importer" of the Respondent in Disclosure Statement is factually incorrect.
- l. The INR/USD exchange rate has depreciated significantly from the rate of ₹84.27 per US prevailing during the POI to the current rate of approximately ₹94.47 per US prevailing during the POI to the current rate of approximately ₹94.47 per US, representing a depreciation of approximately 12%.
- m. Anti-dumping duty on 4-ADPA will remedy the injury caused to NOCIL Ltd and anti-dumping duty on imports of PUC is unwarranted.
- n. Should the Authority nonetheless determine that recommendation of anti-dumping duty is warranted, such duty ought to be recommended on a reference price basis for a limited period of two (2) years only.
- o. The disclosure statement has been issued at the far end of the extended statutory timeline and interested parties have been afforded no reasonable opportunity to provide comments. Assuming that interested parties are able to submit detailed comments within the prescribed period, it is impossible for the Authority to meaningfully address comments before issuance of the final

- findings on or before 28 June 2026. Reasons were sought from the Hon'ble Authority for the extension of the timeline of investigation by three months. No reasons have been provided.
- p. 22% return on capital employed has been considered without considering the historical return on capital employed.
 - q. Disclosure Statement rather than disclosing essential facts under consideration for the purpose of inviting comments has already rendered final and conclusive factual findings on the very issues.
 - r. The Authority has made contradictory statements as at one place in the disclosure statement it has been claimed that had anti-dumping duty on Aniline been the cause of injury, the domestic industry would have suffered injury over the entire injury period and on the other hand in the initiation notification of anti-dumping duty on 4 ADPA, the Authority has stated that the domestic industry has claimed material injury over the entire injury period. Even in the present case, the Authority has at various places held that the domestic industry has suffered declined in various parameters over the injury period.
 - s. The non-disclosure of the support extended by Finorchem Limited prevents interested parties from examining the nature of such support and assessing whether the supporting producer has in fact suffered injury.
 - t. The disclosure statement does not establish that the market share lost by the domestic industry was captured by subject imports but the data demonstrates that the most significant gain in market share during the injury period accrued to other domestic producers.
 - u. The entire computation concerning impact analysis is factually incorrect. The source of such data should be disclosed to the interested parties and without such verification should not be accepted.

K.2. Submissions by the Domestic industry

151. The following submissions have been made by the opposing interested parties on the disclosure statement:
- a. Domestic industry supports the Authority's determination regarding the normal value calculation for Sennics (Thailand) Co., Ltd and Kumho Petrochemical Co., Ltd. The Authority may further clarify in its final findings that the reported costs were considered not to reasonably reflect the costs associated with the production and sale of the product under consideration *because the purchases from the related supplier were found not to be at arm's length.*
 - b. Raw material cost of production cannot be relied upon for Kumho Petrochemical Co., Ltd. Company sourced 4-ADPA from Sennics Co., Ltd., China PR, with which it has a special relationship, thereby rendering the reported cost of production to not reasonably reflect the cost associated with the production and sale of PX-13.
 - c. While the Authority has examined all the factors listed under the rules, the Authority is requested to additionally examine the market opportunity lost by the applicant due to dumped imports considering the capacities available. The applicant could have produced and sold more in the domestic market.
 - d. Both the domestic sales and market share of the other producers increased till 2022-23 but has declined in the period of investigation when the dumped imports increased. The increase in the other domestic producers sales in 22-23 is the result of dumping of 4-ADPA. 4-ADPA is the penultimate stage intermediate in the production process of PX-13.
 - e. With continued dumping of PX-13, the domestic industry will not be able to increase its sales of PX-13 or its selling price of PX-13. Dumping of both 4 ADPA and PX-13 needs to be remedied. If only dumping of 4 ADPA is remedied, the marginal reduction in cost of production will not allow the industry to recover from the current situation of material injury

- in PX-13.
- f. It is not even a situation where the domestic industry is seeking complete remedy against dumped imports. Injury margin determined for all the participating producers except Sennics Thailand, is lower than the dumping margin which demonstrates the competitiveness in the market.
 - g. The import price has continuously declined in the post the period of investigation. While the cost has also declined, the decline in the cost is far lower than decline in import price. The domestic industry was profitable in the period of investigation but has turned into losses.
 - h. Lack of effective participation and demonstration of impact of anti-dumping duty by importers/users, no demand supply gap and existence of other domestic producers show that the duties will not adversely affect the downstream industry.
 - i. The viability of the consumers cannot be dependent on access to raw material at unfair and dumped prices.
 - j. Anti-dumping measures benefit consumers as vibrant domestic industry ensures competitive pricing, shorter lead times, reduced forex risk, and strategic resilience against global disruptions, supply chain efficiency and foreign supplier dependence.
 - k. Domestic industry requests the Authority to consider that the anti-dumping duty is required to be extended for a period of 5 years.
 - l. The domestic industry has reported certain expenses in Format VI-2 [such as consumables stores and spares, salaries & wages and other manufacturing overheads] which are apportioned between different products on the basis of relative production. The company has reported optimisation of these expenses by considering production capacities and capacity utilisation at the location cumulatively for all the products.
 - m. Since the expense is fixed qua plant and variable qua product, the applicant has optimised the fixed expenses by considering best achieved capacity utilisation for the plant. Since it has been apportioned to the product in the ratio of production, it follows that these expenses are no longer fixed but variable for the product under consideration and therefore, it is inappropriate to consider capacity utilisation of the product under consideration.

K.3. Examination by the Authority

152. The Authority has examined the post-disclosure submissions made by the interested parties. It is observed that the majority of these submissions are reiterations of arguments and contentions that have already been examined and are therefore addressed to the extent deemed necessary in the relevant paragraphs of these final findings. For the sake of brevity, the Authority has refrained from repeating responses to such issues in this post disclosure examination. However, any new issues raised for the first time in the post- disclosure submissions, as well as those previously addressed but deemed necessary to examine further, are addressed hereunder
153. The opposing interested parties have submitted that the domestic industry has availed of trade remedial protection for nearly two decades and the Ministry of Finance did not impose measures in the previous investigation. The Authority notes that each anti-dumping investigation is an independent proceeding and is required to be decided on the basis of the facts, evidence and circumstances prevailing during the relevant period of investigation. The existence of prior anti-dumping investigations and duties does not, by itself, constitute grounds for denying protection in a present investigation where dumping and consequent material injury are independently established. The recommendations for the imposition of the anti-dumping duty are made only after investigation

by the Authority and when the requisite legal requirements are met. It is seen that the past measures leading to level playing field has led to the growth of the Indian industry as the domestic industry has expanded its capacity and the other producers have entered the domestic market. The fact that the Central Government may not have imposed duties following a prior recommendation does not negate the findings of dumping or injury in the present investigation. The Authority, therefore, does not find merit in this submission.

154. Sennics Thailand and Kumho Petrochemical Co. Ltd. have submitted that the Authority has erroneously rejected their actual procurement cost of 4-ADPA and substituted the same with EU import prices, without identifying any defect in their books and records and without establishing that the transactions were not at arm's length. The Authority has examined these submissions in the context of the facts on record. It is noted that 4-ADPA is the principal raw material used in the production of PX-13, accounting for the major share of the total cost of production. It is further noted that Sennics Thailand has procured 4-ADPA from its related entity Sennics Co., Ltd., China PR during the period of investigation. Similarly, Kumho Petrochemical Co. Ltd. has sourced 4-ADPA predominantly from the same non-market economy company (Sennics Group, China) with which it has been found to have a special relationship in earlier investigations. No evidence has been placed before the Authority in the present investigation to demonstrate that the status of the said company or the nature of the business relationship has undergone any change since the previous determination. The Authority finds that since the transactions between Sennics Thailand and Sennics Co., Ltd., China PR are between related entities within the same group, the procurement prices of 4-ADPA do not reflect arm's length market prices. The fact that 4-ADPA is procured from a related entity in a non-market economy country further compounds the non-market character of the procurement price.
155. The Authority observes that Article 2.2.1.1 of the WTO Anti-Dumping Agreement requires that costs shall ordinarily be computed on the basis of records maintained by the exporter or producer, provided such records reasonably reflect the costs associated with production and sale of the product under consideration. The Anti-Dumping Rules do not render the cost of production, as derived from the records maintained by the exporter, to be accepted sacrosanct. Annexure-I prescribes two cumulative conditions in this regard: first, that the records shall be maintained in accordance with Generally Accepted Accounting Principles; and second, that such records shall reasonably reflect the costs associated with the production and sale of the article under investigation. Both conditions are of equal legal significance and must be satisfied. The Authority has found that the actual transfer price of 4-ADPA paid by Sennics Thailand from its related entity Sennics China and by Kumho Petrochemicals, Korea from Sennics China is not at arm's length basis and does not reasonably reflect the costs associated with the production and sale of PX-13. Accordingly, the mere fact that cost of production is premised upon records maintained by the Sennics Thailand or Kumho Petrochemicals does not, ipso facto, require the Authority to adopt such costs without independently satisfying itself that the same reasonably reflect the costs associated with production and sale of the product under consideration.
156. It is also seen that this position finds support in WTO jurisprudence as well as the both the Panel and the Appellate Body in EU – Biodiesel (Argentina) held that where the prices recorded in an exporter's or producer's records do not reflect arm's length transactions, the investigating authority is entitled to conclude that such records do not reasonably reflect the costs associated with production and sale of the product under consideration.

157. With respect to the comments concerning the adoption of import prices from the European Union as a benchmark without adequate disclosure, the Authority notes that throughout the course of the present investigation, no interested party proposed any benchmark for the purposes of determining 4-ADPA prices. The Authority observes that 4-ADPA is primarily produced in China, European Union, and India. In the circumstances, the Authority had the option of relying either upon the domestic industry's cost of production or upon export prices from China or the European Union. However, since China has been treated as a non-market economy for the purposes of the present investigation, the costs and prices prevailing in China cannot be relied upon as a valid benchmark. Furthermore, the cost of production of the domestic industry is not available in the public domain and therefore, had it been adopted, interested parties would not have had the option to any comments. In view of the foregoing, the Authority has deemed it appropriate to adopt the export price of 4-ADPA from the European Union as the benchmark for the purposes of the present determination. Therefore, the Authority has concluded to use European Union as a benchmark. The interested parties are provided an opportunity to make comments on why export price from European Union is not an appropriate benchmark, however, no such comments have been filed.
158. The Authority has examined the submissions made by the domestic industry and other interested parties with respect to the performance of other domestic producers and the causal link between dumped imports and injury to the Indian industry as a whole and the structural disadvantages deployed by the domestic industry. The Authority notes that the domestic sales and market share of both the domestic industry and other domestic producers increased upto 2022-23 but witnessed a decline in the period of investigation. While the rate of increase of other domestic producers was higher, their domestic sales too have declined. The decline in the period of investigation coincides with the increase in dumped imports from the subject countries. The Authority, therefore, considers that the decline in performance is not confined to the domestic industry alone but is seen on the other producers as well.
159. It is further noted that the increase in the domestic sales of other producers in 2022-23 is attributable to their access to imported 4-ADPA, which is the penultimate stage intermediate in the production of PX-13 and has been *prima facie* found to be at dumped prices. Since other domestic producers have been able to source 4-ADPA at dumped prices, they have been better positioned to withstand pressure from dumped imports of PX-13 as compared to the domestic industry. The domestic industry, despite being backward integrated and possessing the capacity to cater to the entire domestic requirement of 4-ADPA at competitive prices, continues to suffer injury, as the other producers of PX-13 have been sourcing 4-ADPA from China rather than from the domestic industry. In view of the above, the Authority concludes that the contention that the domestic industry's performance has been affected by the other producers or the injury is due to internal inefficiency is without merit. The evidence on record establishes that the Indian industry as a whole has suffered material injury on account of the dumped imports of the subject goods.
160. On the comments of the interested parties contending that the imposition of anti-dumping duty on imports of 4-Amino Diphenylamine would be sufficient to remedy the injury suffered by the domestic industry, the Authority has, in the course of the present investigation, found that imports of PX-13 are entering the Indian market at dumped prices and that such dumped imports have caused material injury to the domestic industry. While it is acknowledged that a separate anti-dumping investigation on imports of 4-ADPA is already underway, the existence of such a parallel investigation does not in any manner dilute or displace the findings of injury established in the

present investigation concerning PX-13. The Authority recognises that the imposition of anti-dumping duty on 4-ADPA would benefit the domestic industry as it would be better positioned to increase its domestic sales of 4-ADPA, which in turn could enable it to achieve a more optimum level of capacity utilisation in its 4-ADPA operations. Any such improvement in the utilisation of 4-ADPA manufacturing capacities could marginally reduce the per unit cost of production of PX-13, given the integrated nature of operations. However, the Authority notes that this indirect does not constitute an adequate remedy for the injury suffered in the PX-13. The domestic industry has provided information showing how only remedy of dumping on 4 ADPA will not address the injury suffered in PX-13. Therefore, the Authority considers that the adverse effect of dumped imports of PX-13 cannot be mitigated merely through a reduction in the cost of production of PX-13 arising from better utilisation of 4-ADPA capacities. The Authority, therefore, concludes that the anti-dumping duty on 4-ADPA, whether existing or proposed, does not render the levy of anti-dumping duty on PX-13 unnecessary or unjustified.

161. The opposing interested parties have submitted that the imposition of anti-dumping duty on PX-13 is not in public interest as it would adversely impact the tyre and rubber manufacturing industry. The Authority notes that it has examined the public interest question extensively in Section J.3 of the disclosure statement. As determined therein, the share of the product under consideration in the overall raw material cost, total cost and sales value of the tyre producers is 1.43%, 0.93% and 0.83% respectively, and the cumulative impact of anti-dumping duty on all raw materials on the tyre industry is a mere 0.7%. The impact of duty on the downstream industry is, therefore, found to be negligible. The installed capacity of the domestic industry is more than sufficient to cater to the entire demand in the country. There are two other domestic producers, namely Lanxess India Private Limited and Finorchem Limited, who also supply the product in the Indian market, thereby ensuring adequate availability and competition. The Authority therefore holds that the imposition of anti-dumping duty is in the public interest and does not find merit in the submission of the opposing interested parties on this count.
162. Kumho Petrochemical Co. Ltd. has submitted that the characterization of Rishiroop Limited as its "related importer" in the Disclosure Statement is factually incorrect. The Authority has examined this submission. The Authority notes that the reference to Rishiroop Limited as a "related importer" in the Disclosure Statement was a typographical error and the same is accepted.
163. The Authority has examined the comments made by interested parties claiming that the recommended duty quantum should be adjusted on account of the depreciation of the Indian Rupee against the US Dollar subsequent to the period of investigation. The Authority does not find merit in these submissions. The anti-dumping investigations are conducted with reference to the period of investigation, and the exchange rate prevailing during the said period are relevant. This exchange rate has been considered for determination of the non-injurious price and the normal value. The participating producers from the subject countries have invoiced their product in US dollar. Furthermore, the entire determination in the present investigation of normal value, export price, dumping margin and the injury margin has been made in US Dollars. It would, therefore, be neither appropriate to express the resultant duty in any other currency. Post-period of investigation fluctuations in exchange rates do not constitute a relevant consideration for the purposes of the present determination, as the duty is intended to offset the margin of dumping as established during the period of investigation and not to compensate for subsequent macroeconomic developments. Since the subject goods are imported and invoiced in US Dollars, any depreciation of the Indian Rupee against the US Dollar would correspondingly increase the landed value of the imported goods in INR terms. The USD denomination, therefore, serves the remedial intent of the measure more faithfully than an INR-denominated equivalent.

164. In respect of submission on NIP determination, it is noted that optimisation of production capacity and determination of NIP is as per the principles for determination of NIP contained in Annexure III of ADD Rules.
165. The investigation was conducted transparently and as prescribed, with adequate opportunity afforded to all interested parties to file questionnaire responses, participate in two oral hearings, make post-hearing submissions and rejoinders, and comment on the Disclosure Statement. The Authority and interested parties were aware of the contested issues well in advance and therefore interested parties cannot plead lack of awareness. Having considered other interested parties post-disclosure comments, and having regard to the totality of opportunities afforded and the time-bound nature of these proceedings, the Authority finds that no prejudice has been occasioned by the timeline for Disclosure Statement comments, and the request for extension of time is not accepted.
166. It has been argued by certain interested parties that for the determination of the non-injurious price, the Authority has considered return on capital employed at the rate of 22%, without providing reasons therefore and without disclosing the historical rate of return on capital employed earned by the domestic industry. The Authority considers that it has been consistent practice to consider 22% return on capital employed. CESTAT in various investigations has held 22% return is appropriate specially in the absence of any evidence to the contrary. The Authority notes that in the present investigation, no evidence/submissions have been made by interested parties substantiating why 22% return on capital employed is not justified while determining the non-injurious price.
167. It has been argued by certain interested parties that the Authority has used conclusive and determinative language in the Disclosure Statement in contravention of the mandate under Rule 16, which does not allow the Authority to conclude contentious issues at the stage of the Disclosure Statement. The Authority considers that the contention is misplaced. The Authority notes that under Rule 16, the Authority is required to disclose the essential facts under consideration, including conclusions on such facts, which would cumulatively form the basis for the Authority's decision to recommend or not recommend imposition of definitive measures in the final finding. The Authority notes that in line with the above, in the Disclosure Statement issued in the present case, it has examined the material on record, stated its views and conclusions resulting from such examination, and provided its reasoning therefor. It has been stated in the disclosure statement that notwithstanding the facts given (including facts given on a confidential basis), the Designated Authority would consider all replies given on merit, in order to arrive at a final determination. Thus, it was communicated that the disclosure statement is only a disclosure of essential facts under consideration by the Designated Authority and does not amount to final determination by the Designated Authority. The Authority draws reference to the findings of the High Court of Gujarat in *Nirma Limited v Union of India* (2017), wherein the Court held:

31.5 Thus, while Article 6.9 does not prescribe a particular form for the disclosure of the essential facts, it does require in all cases that the investigating authority disclose those facts in such a manner that an interested party can understand clearly what data the investigating authority has used, and how those data were used to determine the margin of dumping. The disclosure statement, therefore, contains the intermediate findings and conclusions of the designated authority on the essential facts which would form the basis for the decision whether or not to apply definitive measures and not final conclusions on whether or not definitive measures are required to be applied. In the opinion of this court, as rightly submitted by the

learned counsel for the petitioners, the disclosure statement should contain the conclusions of the designated authority on those essential facts which would form the basis for its decision as to whether or not to apply definitive measures and not its conclusions on the basis of those essential facts. The conclusions on the basis of the essential facts are to be recorded in the final findings, viz., whether or not on the basis of such facts definitive measures are required to be applied. The contention that the disclosure statement is in the nature of a draft order, therefore, does not merit acceptance, inasmuch as, a draft order would also contain conclusions on whether or not definitive measures are required to be applied.

168. On the comments that the Authority has made contradictory statements, the usage of the term "over the injury period" used are distinct. The "over the injury period" used with regarding attribution of injury due to the anti-dumping duty imposed on Aniline has been used to imply that had the anti-dumping duty on Aniline been the cause for the injury suffered by the domestic industry, such injury would have persisted throughout the entirety of the injury period. The absence of such injury throughout the injury period therefore shows that anti-dumping duty on Aniline is not the cause of injury. The "over the injury period" employed in the context of trend analysis for production, sales, and market share has been used to imply that these parameters have shown a declining trend when assessed over the said period.
169. On the reasons sought for seeking extension of the timeline of investigation by three months, The Authority notes that the extension of the period of investigation beyond one year is granted by the Central Government under the proviso to Rule 17(1) of the AD Rules in exercise of its discretion in special circumstances. The decision on whether to seek and grant an extension is a matter between the investigating authority and the Central Government. The extension in the present case was duly notified to all interested parties through the relevant gazette notification. The AD Rules and the DGTR Manual do not contemplate disclosure of the internal reasons for seeking or granting an extension as an obligation upon the Designated Authority under Rule 16, which is confined to disclosure of essential facts bearing on the determination of dumping, injury and causal link. It is however clarified the Authority is also conducting an anti-dumping investigation on the imports of 4 ADPA, which is the raw material for the product under consideration. The interested parties have filed large number of comments stating that the injury suffered by the domestic industry is due to the other producers having access to low-cost raw material. It was therefore considered appropriate to examine the information of the domestic industry and the participating exporters in both the cases simultaneously.
170. As regards the contention of the interested parties regarding the alleged procedural infirmity in reliance on support from Finorchem Limited and the injury suffered by Finorchem Limited. The Authority notes that the injury is required to be examined with regard to the defined domestic industry. It is noted that, even in the absence of such support, the applicant constitutes a major proportion of the domestic production. In the present case, no evidence has been made available by any interested party that Finorchem Limited is not suffering injury. Therefore, there is no reason for the Authority to examine the data of Finorchem Limited.
171. The Authority considers that statements in the disclosure statement are the views which are formed upon the examination of the material on record, on the various issues under consideration and these do not amount to "pre-judgement" or "final adjudication", as expressed by some interested parties. The interested parties are free to offer comments and the Authority in past various investigations has taken a different view in the final finding as compared to the disclosure statement. The observations in the disclosure statement do not amount to final determination by the Authority. In the present investigation, the Authority has duly considered the comments received from the interested parties and has duly taken them into account in arriving at its final determination.

172. The Authority notes that the form and quantum of duty to be recommended are matters within the Authority's determination based on the facts and circumstances of each case, and subject to the lesser duty rule as prescribed under the Anti-Dumping Rules.

L. CONCLUSION

173. Having regard to the contentions raised, information provided, and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority, as recorded in the above findings, and based on above analysis of the dumping, injury and causal link to the domestic industry, the Authority concludes as follows:
- a. The product under consideration (PUC) in the present application is “N-(1,3 dimethylbutyl)-N'-phenyl-p-phenylenediamine” or also known as “PX-13” or “6 PPD”.
 - b. On domestic industry and standing
 - i. The applicant is the major producer of the product and accounts for 65% share in total Indian production.
 - ii. NOCIL Limited is an eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) and satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.
 - c. On normal value and export price
 - i. Producers from China PR, Korea RP and Thailand have participated in the present investigation. There is no response from European Union.
 - ii. China PR is presumed as a non-market economy country since none of the producers/exporters from China PR have provided sufficient evidence to rebut this presumption as mentioned in para 8 of Annexure – I of the Rules.
 - iii. Sennics (Thailand) Co., Ltd. has purchased 4-ADPA (raw material) from its subsidiary Sennics Co., Ltd., China PR in the POI. Since the use of actual purchase price of 4-ADPA by Sennics (Thailand) Co., Ltd. from Sennics Co., Ltd., China PR would not reasonably reflect the cost associated with production of PX-13, the consumption price of 4-ADPA reported by Sennics (Thailand) Co., Ltd. has not been adopted for the purpose of determination of cost of production. Rest of the cost of production of PX-13 as claimed by Sennics (Thailand) Co., Ltd. has been accepted.
 - iv. Kumho Petrochemical Co., Ltd. has largely sourced 4-ADPA from a non-market economy company with whom Kumho Petrochemical had earlier reported in previous investigations to have special relationship. Since the use of actual purchase price of 4-ADPA by Kumho Petrochemical Co., Ltd. from the non-market economy company not reasonably reflect the cost associated with production of PX-13, the consumption price of 4-ADPA reported by Kumho Petrochemical Co., Ltd. has not been adopted for the purpose of determination of cost of production. Rest of the cost of production of PX-13 as claimed by Kumho Petrochemical Co., Ltd. has been accepted.
 - v. The response filed by the producers from China PR, Korea RP and Thailand shows that the product has been exported to India at dumped prices.
 - vi. The dumping margin for the product under consideration from each of the subject countries is seen to be more than de minimis.
 - d. On injury and causal link
 - i. The imports from the subject countries have increased in absolute and relative terms when compared to the immediately preceding year.
 - ii. The price undercutting is positive.
 - iii. In the period of investigation, the landed price of imports is below the cost of sales and selling price of the domestic industry. Therefore, while the cost has declined by 5 index points, the selling price has declined by 8 index points. The prices of the domestic industry were depressed.

- iv. The production, domestic sales and capacity utilization of the domestic industry declined in the period of investigation when seen over the injury period.
- v. The profitability of the domestic industry improved in 2022-23; however, it declined significantly thereafter and remained at a substantially lower level during the period of investigation.
- vi. The dumped imports have affected the prices of the domestic industry.
- vii. The investigation did not show any other factor other than dumping from the subject countries which could have caused injury to the domestic industry.
- e. On Indian industry interest
 - i. There is no demand and supply gap in the country and the capacity with the country is sufficient to cater the entire demand in the country.
 - ii. The domestic industry is suffering material injury, and the imposition of anti-dumping duty will be in interest of domestic producer.
 - iii. A domestic industry is in overall public interest ensures competitive pricing, shorter lead times, reduced forex risk, and strategic resilience against global disruptions, supply chain efficiency and foreign supplier dependence.
 - iv. The impact of duty on the end consumers is found to be insignificant as the product under consideration forms very low share in the overall raw material cost of the downstream industry.
 - v. The imposition of duties will not be against public interest.

M. RECOMMENDATIONS

174. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers, and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury, causal link and impact of recommended measures. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury, and causal link in terms of provisions laid down under the Anti-Dumping rules, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping duty is required to offset the dumping and injury. The Authority considers it necessary and recommends imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject countries.
175. Having regards to the lesser duty rule followed, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury on imports of subject goods originating in or exported from the subject country so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority considers it necessary and recommends imposition of anti-dumping duty on the imports of subject goods originating in or exported from the subject country, for a period of five (5) years, from the date of the notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount mentioned in Col. 7 of the duty table appended below.

DUTY TABLE

SN	Heading	Description	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	UOM	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	29215120, 29215130, 29215190,	N-(1,3 dimethylbutyl)-N'-phenyl-p-	China	Any country including	Sennics Co., Ltd. Anhui,	511	MT	\$

	38121000, 38122090, 38123100, 38123910, 38123920, 38123930 and 38123990. (Note 1)	phenylenediamine (also known as PX-13)” (Note 2)		China	Sennics Co., Ltd. Shandong and Sennics Co., Ltd. Taian			
2	-do-	-do-	China	Any country including China	Any producer other than mentioned in SN 1	930	MT	\$
3	-do-	-do-	Any country other than China, European Union, Korea, and Thailand	China	Any producer	930	MT	\$
4	-do-	-do-	European Union	Any country including European Union	Any producer	576	MT	\$
5	-do-	-do-	Any country other than China, European Union, Korea, and Thailand	European Union	Any producer	576	MT	\$
6	-do-	-do-	Korea	Any country including Korea	Kumho Petrochemical Co. Ltd.	551	MT	\$
7	-do-	-do-	Korea	Any country including Korea	Any producer other than mentioned in SN 7	768	MT	\$
8	-do-	-do-	Any country other than China, European Union, Korea, and Thailand	Korea	Any producer	768	MT	\$

9	-do-	-do-	Thailand	Any country including Thailand	Sennics (Thailand) Co., Ltd	307	MT	\$
10	-do-	-do-	Thailand	Any country including Thailand	Any producer other than mentioned in SN 9	541	MT	\$
11	-do-	-do-	Any country other than China, European Union, Korea, and Thailand	Thailand	Any producer	541	MT	\$

Note 1 – Customs classification mentioned above is only indicative.

Note 2 – The application of the individual duty rates specified for the producers mentioned in the above shall be conditional upon presentation to customs authorities of a valid commercial invoice, on which shall appear a declaration dated and signed by an official of the entity issuing such invoice, identified by his/her name and function, drafted as follows:

“I, the undersigned, certify that the (volume) of N-(1,3 dimethylbutyl)-N'-phenyl-p-phenylenediamine (also known as PX-13) sold for export to the India covered by this invoice was manufactured by (producer name and address) in [country concerned]. I declare that the information provided in this invoice is complete and correct.”

If no such invoice is presented, the duty applicable to all other producers shall apply. This requirement is without prejudice to the verification procedures independently undertaken by the Customs authorities under the applicable customs law and regulations.

N. FURTHER PROCEDURE.

176. An appeal against the order of the Authority arising out of this final finding shall lie before the Customs Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Customs Tariff Act.

AMITABH KUMAR, Designated Authority